खण्ड-323, अंक-4
गुरूवार, 13 कार्तिक, शक संवत् 1898
(4 नवम्बर, 1976 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 323 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1977

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	519–522
प्रश्नोत्तर	522–566
श्री सन्त सिंह यूसुफ द्वारा प्रश्न का उत्तर दिलाने की मांग	567
उत्तर प्रदेश अल्प संख्यक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गयी)	567
यू0 पी0 स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड की 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले प्रथम वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गयी)	567
यू0 पी0 स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड की सातवीं रिपोर्ट 1973–74 तथा आठवीं वार्षिक रिपोर्ट 1974–75 (सदन के पटल पर रखी गयी)	567
उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं विनियोजन लेखे 1974–75 को, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की 1974–75 की (सिविल) (वाणिज्यिक) एवं राजस्व प्राप्तियों पर रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	567
उत्तर प्रदेश बेसिक स्कूल कर्मचारी (परिवार नियोजन से सम्बन्धित सेवा की विशेष शर्तें) नियमावली, 1976 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	568
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा भविष्य निधि नियमावली, 1975 (सदन के पटल पर रखी गयी)	568
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1976 (सदन के पटल पर रखी गयी)	568
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संविदाओं और हस्तान्तरण पत्रों का निष्पादन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975 तथा विज्ञप्ति के सम्बन्ध में जारी किये गये शुद्धि-पत्र (सदन के पटल पर रखे गये)	568
उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड का 16वां वार्षिक प्रतिवेदन, 1973–74 (सदन के पटल पर रखा गया)	568
उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1976–77) का नवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	569
उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1976–77) का दसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	569–570
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	570–571
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	571
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1976 (पारित) ..	571–574
उत्तर प्रदेश नगर विकास विधि (संशोधन), 1976 (पारित)	575–583
उत्तर प्रदेश पशु क्रय-कर विधेयक, 1976 (पारित)	583–597
उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (उपान्तर सहित पुनः अधिनियमन) विधेयक, 1976 (पारित) ..	597–599
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	599–600
नत्थियां	601–610

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, 4 नवम्बर, 1976

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजकर 3 मिनट पर अध्यक्ष श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य---260

अंगने लाल, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अनवार जमील, श्री (एडवोकेट) उर्फ जिमी मियां
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप यादव, श्री (एडवोकेट)
आबिद अली, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमोहनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
ईश्वरीसिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
ऊदल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री
ओम प्रकाश गुप्त, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरेलाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री

जगदीश मिश्र, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगल किशोर यादव, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्म सिंह, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम लाल बधवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्यारे लाल वर्मा, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बाबूलाल तिवारी, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
मोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
मान बहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, हाफिज
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां ,श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)

रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दुलार, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटल, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बाबू मिश्र, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
रामस जीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
रामायण राय, श्री
रुद्रप्रसाद, श्री
रूपराम, श्री
रेवतीशरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नारायन पांडे, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालूराम, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री

सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	हरिराम, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	हरीश कुमार गंगवार, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब	हरीश चन्द्र खन्डेलवाल, श्री
सोहन लाल, श्री	हुकम सिंह, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री	हुबराज, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती	हेमराज, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री	हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट:--विद्युत राज्य मंत्री श्री रमेन्द्र वर्मा तथा स्वायत्त शासन राज्य मंत्री श्री श्रीकृष्ण गोयल भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 4 नवम्बर, 1976

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।।

लघु औद्योगिक इकाइयों के पंजीकरण का निरस्तीकरण तथा उनसे ऋणों की वसूली

*1--श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में ग्यारह हजार लघु औद्योगिक इकाइयों के रजिस्ट्रेशन गत वर्ष रद्द कर दिए गए हैं? यदि हां, तो इसका कारण क्या है।

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

गत वर्ष (1 जनवरी से 31 दिसम्बर, 1975) तक 4, 125 लघु औद्योगिक इकाइयों के पंजीकरण निरस्त किये गये। वर्ष 1974 में 7,263 इकाइयों के पंजीकरण निरस्त किये गये। इस प्रकार 1-1-74 से 31-12-75 तक कुल 11,388 इकाइयों के पंजीकरण निरस्त किये गये। इकाइयों के पंजीकरण के निरस्त किये जाने का कारण यह था कि लघु उद्योग इकाइयों की गणना के दौरान यह इकाइयां बन्द अथवा लापता पाई गयीं।

*2--श्री पुरुषोत्तम कौशिक (अनुपस्थित)--

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जिन लघु औद्योगिक इकाइयों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए हैं उन्हें वित्त निगम द्वारा कुल कितना ऋण दिया गया, कितना ऋण वसूला जा चुका है तथा कितना शेष है?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

प्रदेश में जिन औद्योगिक इकाइयों के रजिस्ट्रेशन गत वर्ष रद्द किये गये उनमें से 23 औद्योगिक इकाइयों को 8.72 लाख रुपया का ऋण उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा दिया गया था। इसमें से 2.30 लाख रुपय की वसूली की जा चुकी है और 6.42 लाख रुपये औद्योगिक इकाइयों पर अवशेष हैं।

गाजियाबाद में राजनगर कालोनी के मकान की बिक्री

*3--श्री रेवती शरण मौर्य (जिला मेरठ)--

क्या यह सत्य है कि गाजियाबाद सुधार मंडल में मकानों को बाजार भाव पर बेचने के सरकारी आदेश की अवहेलना करके राज नगर कालोनी के ब्लाक 7 मकान संख्या 19 को 1968 की लागत मूल्य पर ही 1975 में बेचा गया है? यदि हां तो क्यों?

स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (श्रीमती इन्द्र मोहनी)--

जी नहीं। राज नगर में बाजार भाव पर मकान बेचने हेतु सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किये।

श्री रेवती शरण मौर्य—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मैंने प्रश्न किया है 'सरकार के आदेश की अवहेलना' और उसके बारे में जवाब है कि सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया, तो मैं इस बारे में यह माननीय मंत्री जी से मालूम करना चाहूंगा कि सरकार ने गाजियाबाद में मकान बेचने हेतु अगर कोई नियम या आदेश नहीं बनाये तो क्या प्रशासक महोदय या अधिकारियों को ही अधिकार दे रखे हैं कि वह जिस भाव में चाहें बेच दें ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

साधारणतया ऐसे मामले उन्हीं पर छोड़ दिये जाते हैं और वे ही उनका मूल्य निर्धारित करते हैं।

श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)—

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यदि उन्हीं के ऊपर है तो फिर रफर लखनऊ के लिये क्यों करते हैं ? दयानन्द कालोनी का मामला आपके पास रफर किया गया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

गाजियाबाद में अलग-अलग समय पर कालोनीज डेवलप होती चली गयीं इसलिये उसके हिसाब से जब आवश्यकता होती है तो रैफर भी करते हैं, लेकिन यह रुल नहीं है कि सरकार हर कालोनी के बारे में यहां से जानकारी करावे कि इसको इस तरह से बेचना है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगी कि ब्लाक नं0 7में मकान संख्या 19 को सन् 75 में बेचा गया परन्तु भाव लिये गये सन् 68 की लागत के ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

ऐसा बताया गया है कि इस कालोनी में जो मकान बेचे गये, वह नो प्राफिट नो लास पर बेचे गये और कास्ट के हिसाब से बेचे गये, लेकिन माननीय सदस्य और जानकारी कराने को कहते हैं तो और जानकारी करा ली जायगी।

श्री रेवती शरण मौर्य—

अध्यक्ष महोदय, यह राज नगर कालोनी है और यह नाम इसका इसलिये रखा गया कि इसमें ज्यादातर रिटायर अधिकारी या भारी संख्या में वर्तमान आफिसर आबाद हैं। मेरे कहने का मकसद यह है कि सन् 68 की लागत जो थी गाजियाबाद जैसे नगर में जो अब जिला बनने जा रहा है, तो उस समय के भावों में और 8 साल के बाद के भावों में जमीन आसमान का अंतर हो गया होगा, लेकिन फिर भी वह मकान सन् 68 के भाव से क्यों बेचे गये ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो उत्तर में बतला दिया गया कि सत्य है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

माननीय मंत्री ने उत्तर दिया कि नगरपालिका के अधिकारियों पर ही यह डाल दिया गया है कि वह उसके भाव को तय किया करें, लेकिन जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम की मंशा है वह भी बड़ी अहमियत रखती है। सरकार को यह जानकारी होगी कि नगरपालिका के जरिये से जो मकान बनते हैं, उनके लिये वह नगरपालिका को लोन व ग्रान्ट देती है। तो नगरपालिका के ऊपर यह छोड़ देना कि वह मकानों के भाव तय करे उचित प्रतीत नहीं होता। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि राजनगर कालोनी में बड़े-बड़े लोग रह रहे हैं, तो उनको मकान नो प्राफिट नो लास के बेसिस पर बेचना हमारी नीति के विपरीत है। जो मध्यम एवं निम्न वर्ग के लोग हैं उनको ही सरकार ने नो प्राफिट नो लास की बेसिस पर मकानों को बेचने का सिद्धान्त माना है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय सदस्य को कुछ जानकारी करके बोलना चाहिये। गाजियाबाद के अन्दर जो राजनगर कालोनी बनी हुई है वह शहर से काफी दूर है और पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाई है। शहर में बने मकान तथा वहां पर बने मकानों के मूल्य में फर्क होता है। सरकार लखनऊ से बैठ कर हर जगह के मूल्य निर्धारित नहीं कर सकती। 20 सूत्रीय कार्यक्रम में क्या है और क्या नहीं है, इसकी जानकारी हमें भी रहती है और उसकी चिन्ता हमको भी है। सवाल इस बात का नहीं है कि बड़े धनाढ्य लोग उस कालोनी में बसने जा रहे हैं। मैं नहीं जानती कि वहां पर रिटायर्ड आफिसर्स कुछ प्लाट्स को लेकर बसने जा रहे हैं। लेकिन अगर रिटायर्ड आफिसर्स धनाढ्य की कैटेगरी में आते हैं, तो भारतवर्ष में गरीब आदमी की परिभाषा कुछ दूसरी मानी जायगी और मध्यम श्रेणी के लिये दूसरी परिभाषा बनानी होगी और धनाढ्य के लिये दूसरी परिभाषा बनानी होगी।

श्री रेवती शरण मौर्य—

सन् 68 में जो मकान वहां बनाये गये, उनमें कितनी लागत आई थी और सन् 75 पर किस कीमत पर ये मकान दिये गये ?

श्री अध्यक्ष—

यह ब्योरे का प्रश्न है।

श्री प्यारे लाल (मेरठ)—

जैसा माननीय मंत्री ने कहा कि नो प्राफिट नो लास बेसिस पर उस कालोनी में मकान दिये गये हैं, तो क्या कवि नगर, दयानन्द व नेहरू कालोनीज में भी जिनमें एक हैसियत क आदमी रहते हैं, उनको भी नो प्राफिट नो लास बेसिस पर मकान दिये जायेंगे ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जो भी कालोनी गाजियाबाद में बनती है उसमें मिक्स्ड पापुलेशन रहती है। सब कालोनीज में एक ही तरह के मकान भी नहीं बनते हैं जिससे उनका मूल्य भी अलग अलग होता है। कवि नगर कालोनी को भारत सरकार की तरफ से लोन मिला था। इतना बड़ा गाजियाबाद है, जो डेवलप किया जा रहा है और हर कालोनी की अलग-अलग प्राब्लम आ रही हैं। फिर जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा है, कास्ट बढ़ती जाती है और नये-नये प्राब्लम्स उठ खड़े होते हैं। वैसे माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है उसका ध्यान रखा जायगा।

श्री प्यारे लाल—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मेरा प्रश्न था कि कवि नगर, दयानन्द नगर तथा नेहरू नगर में जहां कम हैसियत के लोग हैं, उनको भी नो प्राफिट नो लास बेसिस पर मकान दिये जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह अलग प्रश्न है। यह इससे नहीं उठता है।

श्री प्यारे लाल—

यह तो सिद्धान्त की बात है यदि एक जगह नो प्रोफिट नो—लास के बेसिस पर देते हैं, तो दूसरी तथा तीसरी कालोनी में भी इसी सिद्धान्त पर दें। क्या वजह है कि राजनगर कालोनी में जहां रिटायर आफिसर रहते हैं वहां यह लागू हो बाकी जगह नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन यह अलग प्रश्न है। इस समय इनको कैसे मालूम है कि यहां यह स्थिति है ? गाजियाबाद बहुत बड़ा शहर है, अब जिला भी हो रहा है।

श्री प्यारे लाल--

क्या यह सिद्धान्त और कालोनियों में भी लागू होगा नो-लास नो-प्रोफिट वाला ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

यह जमीन की कीमत तथा और चीजों को देखते हुए वहां की डेवलप मेंट अथारिटी कीमत तय करती है। कहीं पर भी एक कीमत नहीं होती किसी भी शहर में ऐसा नहीं होता है। लखनऊ में भी एक जगह एक कीमत है, तो दूसरी जगह दूसरी कीमत है। तो वही बात गाजियाबाद में भी लागू होती है। समय-समय पर वहां डेवलपमेंट हुआ है इसलिये सब जगह एक ही कीमत हो, यह संभव नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह नहीं है कि एक ही दाम पर बिके। प्रश्न यह हैकि और जगह भी नो-प्रोफिट नो-लास वाली बात लागू करेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

उसमें भी कुछ हमारी पोलिसी है और वह यह है कि जनहित में कुछ एरियाज में जहां ज्यादा कीमत वाले मकान बनते हैं, उनसे कुछ प्रोफिट लेकर मकान बनाते हैं और उस प्रोफिट से जहां वीकर सेक्शन के मकान बनते हैं, उनसे कम दाम लेकर या जमीन को सब-सिडाइज करके देते हैं, या हजार डेढ़ हजार में जो जमीन पड़ती है, देते हैं। इसलिये नो-प्रोफिट नो-लास का भी सब जगह प्रश्न नहीं है। कहीं पर वह चीज होती है, कहीं पर नहीं होती है।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)--

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि नो-प्रोफिट नो-लास की पोलिसी से और जगह भी बनायेंगे ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बजापेयी--

सब जगह नहीं बनाते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग--

यह अधिकारियों को कोई निर्देश देते हैं कि वह कैसे नीति निर्धारित करें किस तरह मूल्य निर्धारित करते हैं? जो मकान 1968 में बने आज उनका मूल्य क्या होगा क्योंकि तब से बैंक रेट बढ़ गये हैं। तो उसमें सूद भी शामिल रहता है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री प्यारे लाल (मेरठ)--

वह मकान जिस दाम पर खरीदा, उससे ज्यादा दाम पर मुनाफे में दूसरे को बेंच दिया गया। तो ऐडमिनिस्ट्रेटर ने यह जानबूझ कर किया ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न पहले करना चाहिये था। ऐसे ही चुटीले प्रश्न करने चाहिय।

श्री प्यारे लाल--

क्या वह मकान रि-सेल हो गया है प्रोफिट पर ?

श्री अध्यक्ष--

क्या वह मकान जो बिना हानि बिना लाभ पर लिया था, मुनाफे पर बेच दिया गया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

इसकी सूचना हमारे पास नहीं है।

टिम्बर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट गोरखपुर व बरेली में अधिष्ठापन पर व्यय की धनराशि एवं उत्पादन और गोरखपुर में ट्रीटमेंट की गयी बल्लियों में कथित खराबी

*4—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विद्युत् विभाग में टिम्बर ट्रीटमेंट प्लान्ट जो गोरखपुर व बरेली में लगा है यह कब लगा था, इस पर अलग-अलग कुल कितनी लागत लगी है और इसका प्रोडक्शन इस वक्त क्या है और सालाना खर्च कितना पड़ रहा है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

गोरखपुर तथा बरेली में टिम्बर ट्रीटमेन्ट संयंत्र क्रमशः जून, 1965 तथा दिसम्बर; 1965 में प्रतिष्ठापित किये गये।

गोरखपुर में संयंत्र के अधिष्ठापन, भवन तथा शेड आदि बनवाने में कुल व्यय 2.5 लाख रुपये तथा बरेली में 1.5 लाख रुपये हुआ। वर्ष 1975–76 में ट्रीट की गई लकड़ी की बल्लियों के उत्पादन की संख्या तथा किये गये व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :—

	ट्रीट किये गये बल्लियों की संख्या	व्यय (रुपये)
गोरखपुर	2467	1,56,232.77
बरेली	4662	90,835.03

बल्लियों की कमी के कारण संयंत्र को जून, 1975 के बाद बन्द कर दिया गया। औसत वार्षिक उत्पादन तथा बल्लियों के ट्रीटमेन्ट पर किये गये व्यय निम्न प्रकार है :—

	बल्लियों की संख्या	व्यय (रु0)
गोरखपुर	15,430	3,54,708.00
बरेली	11,478	1,82,354.00

*5—श्री अब्दुल रऊफ लारी—

क्या सरकार को पता है कि गोरखपुर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट में जो बल्लियां ट्रीट होती हैं वे बिल्कुल खराब हो रही हैं ? जिसके लगने के बाद राज्य को बड़ी क्षति, जान व माल की होने की सम्भावना है क्योंकि लाइफ इण्डियन स्टैन्टर्ड इन्स्टीट्यूट के अनुसार उन बल्लियों की उम्र बहुत दिन की होनी चाहिये ? क्या सरकार इनकी जांच किसी एक्सपर्ट टेक्नीशियन द्वारा कराएगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

गोरखपुर ट्रीटमेन्ट संयंत्र द्वारा ट्रीट की गई बल्लियों के ठीक न होने और नष्ट होने के सम्बन्ध मे कोई रिपोर्ट नहीं मिली है और यह भी जानकारी नहीं है कि इनके प्रयोग से जीवन एवं संपत्ति को कोई खतरा है। संयंत्र में सम्पूर्तिकर्ता के अनुसार बल्लियों की आयु ठीक प्रकार से ट्रीटमेन्ट होने से दुगुनी हो जाती है। उत्पादक के निर्देशों के अनुसार ये बल्लियां उचित रूप से ट्रीट की जाती हैं तथा इनका परीक्षण भी संयंत्र में ही कर लिया जाता है कि इन्हें भली प्रकार ट्रीट किया गया है अथवा नहीं। राज्य विद्युत परिषद् ने यह निर्णय लिया है कि संयंत्र के परिचालन पर अधिक लागत के बारे में परामर्श किया जाय।

देवरिया के कतिपय स्थानों में लघु उद्योगों को दी गयी आर्थिक सहायता

*6—श्री हरिकेवल (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या लघु उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में वर्ष 1970 से फरवरी, 1976 तक सलेमपुर, देवरिया, पडरौना, बरहज, कसया नगरों में कितने व्यक्तियों ने लघु उद्योग चलाने के लिये आवेदन-पत्र दिये और अनुमति प्राप्त की तथा उन्हें कितनी धनराशि दी गयी है ? धन पाने वालों के नाम व पते क्या हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

लघु उद्योग चलाने के लिये किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है ।

वर्ष 1970 से फरवरी, 1976 तक बरहज तथा कसया नगरों में कोई औद्योगिक ऋण नहीं दिया गया । देवरिया, सलेमपुर, पड़रौना तहसीलों में जिन व्यक्तियों को लघु उद्योग चलाने के लिये वित्तीय सहायता दी गयी उनका विवरण संलग्न** है ।

परिवार नियोजन विभाग में अनुसूचित जाति के प्रसार शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची और उनका प्रत्यावर्तन

*7—श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री वताने की कृपा करेंगे कि इस समय (मार्च, 1976) उत्तर प्रदेश के परिवार नियोजन विभाग में प्रसार शिक्षक के कुल कितने पद हैं तथा उनमें से अनुसूचित जाति के कितने प्रसार शिक्षक हैं ? क्या इन अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की ज्येष्ठता की सूची विभागों में अलग से प्रकाशित की जा चुकी है तथा सूची बनाने के बावजूद इनमें से कुछ कर्मचारियों को स्वास्थ्य सहायक पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री प्रभु नारायण)—

प्रसार शिक्षक के कुल 1099 पद हैं। इनमें अनुसूचित जाति के कितने प्रसार शिक्षक हैं यह सूचना एकत्र की जा रही है। अनुसूचित जाति के प्रसार शिक्षकों की अलग से वरिष्ठता सूची नहीं बनाई गई है। कनिष्ठ होने के कारण ग्यारह प्रसार शिक्षकों को प्रत्यवर्तित किया गया है ।

*8—श्री दयाराम भास्कर (अनुपस्थित)—

क्या सरकार वताने की कृपा करेगी कि अभी हाल ही में परिवार नियोजन विभाग में प्रसार शिक्षकों के पद पर अनुसूचित जाति के कार्यरत कर्मचारियों को प्रत्यावर्तित करने के लिये कोई आदेश जारी किया है और उसके सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र मार्च, 1976 में माननीय चिकित्सा मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री प्रभुनारायण—

अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के प्रत्यावर्तन के लिये अलग से कोई आदेश नहीं हैं। प्रश्नकर्ता का पत्र प्राप्त हुआ है जिस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

विद्युत् अनुरक्षण एवं ग्रामीण विद्युतीकरण मंडल, आजमगढ़ के अधीन एस० एस० ए० से मीटर रीडर का कार्य लिया जाना

*9—श्री जगदीश मिश्र (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या विद्युत् मंत्री वताने की कृपा करेंगे कि सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर, आजमगढ़ (विद्युत् विभाग) के क्षेत्र के अन्तर्गत कुछ एस०एस०ए० से मीटर रीडर का कार्य लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इनको पुनः अपने पदों पर कार्य करने हतु आदेश देगी यदि नहीं, तो क्यों ?

**छापी नहीं गयी ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां, विद्युत् अनुरक्षण एवं ग्रामीण विद्युतीकरण मण्डल, आजमगढ़ के अधीनस्थ विद्युत् अनुरक्षण खंड प्रथम, बलिया में पांच एस0 एस0 ए0 से मीटर रीडर का कार्य लिया जा रहा है।

चूंकि इन पदों का वेतनमान एक ही है तथा परिषद् के आदेशानुसार ये पद एक ही सम्वर्ग (Combined cadre) में है और एक पद से दूसरे पद पर स्थानान्तरित किये जा सकते हैं, अतः प्रशासनिक हित में ऐसा किया गया है। इन आदेशों को बदलने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद व जौनपुर में स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन विभाग के कर्मचारियों का कार्यकाल

*10—श्री मानपाल सिंह (जिला एटा) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन विभाग में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें लगातार 10 वर्ष से अधिक इसी जनपद में कार्य करते हो गए हैं? उनका स्थानान्तरण अब तक न किए जाने का क्या कारण है?

श्री प्रभु नारायण—

जौनपुर जनपद में केवल चार ऐसे कर्मचारी हैं जो 10 वर्ष से अधिक समय से इस जनपद में कार्य कर रहे हैं।

इनके स्थानान्तरण की आवश्यकता नहीं समझी गई।

*11—श्री मानपाल सिंह (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद इलाहाबाद में स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन विभाग में ऐसे अनेकों कर्मचारी हैं जिन्हें लगातार 10 वर्ष से उसी जनपद में बने रहने का अवसर प्राप्त है? यदि हां, तो क्यों और कब तक वे अन्य जिलों को स्थानान्तरित कर दिए जायेंगे?

श्री प्रभु नारायण—

इलाहाबाद जनपद में ऐसे 35 कर्मचारी हैं जो लगातार 10 वर्ष से उसी जनपद में कार्य कर रहे हैं।

प्रशासनिक दृष्टिकोण से इनके स्थानान्तरण की आवश्यकता नहीं समझी गई, आवश्यकता होने पर इनके स्थानान्तरण के बारे में यथासमय विचार कर लिया जायेगा,

बहराइच की नानपारा तहसील में मुंसिफी न्यायालय की स्थापना की मांग

*12—श्री फजलुर्रहमान अन्सारी (जिला बहराइच)—

क्या न्याय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बहराइच, नानपारा तहसील पर मुन्सफी न्यायालय अब तक स्थानान्तरित क्यों नहीं की गयी जबकि डीसेन्ट्रलाइजेशन आफ एडमिनिस्ट्रेशन के तहत तहसील पर मुन्सफी स्थानान्तरित करने का निर्णय शासन ने काफी पहले लिया है? अब कब तक स्थानान्तरित कर दी जाएगी?

श्री प्रभु नारायण—

नानपारा तहसील में मुंसिफ न्यायालय के लिये कोई भवन एवं हवालात की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण न्यायालय स्थापित कराना सम्भव नहीं हो सका है। उपरोक्त सुविधा उपलब्ध होने पर ही न्यायालय के स्थानान्तरण के बारे में कार्यवाही करना सम्भव होगा।

श्री फजलुर्रहमान अन्सारी—

अध्यक्ष जी, मंत्री जी को यह जो सूचना जिले से मिली है, वह सच नहीं है। मैं मंत्री जी को सूचना देना चाहूंगा इस रियासत का बहुत बड़ा भवन है जो करीब 10 लाख रुपये की हैसियत का होगा तथा उसके साथ 20 एकड़ जमीन भी है, तो क्या उस नानपारा भवन में न्यायालय स्थापित करने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रभु नारायण—

इस संबंध में उपलब्ध सूचनानुसार राजा सैय्यद सादात अली की कोटी का जो भाग 3 सौ रुपया माहवार पर उपलब्ध बताया गया था, उसके बारे में अप्रैल, 76 में बताया गया है कि वह पहले ही किराये पर उठ चुका है। अब उसके अलावा यदि कोई और स्थान बतायेंगे, तो सरकार उसे लेना चाहेगी।

श्री फजलुर्रहमान अन्सारी—

वही नहीं, रियासत की और भी बहुत सी बिल्डिंग्स हैं ?

श्री अध्यक्ष—

वह हो चुका है, उन्हें बता दिया जाय।

[बृहस्पतिवार, 4 नवम्बर, 1976 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

फतियापुर, हरदोई में अस्पताल की स्थापना

*1—श्री श्रीशचन्द्र (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम सभा फतियापुर, विकास खंड सुरसा, जिला हरदोई में चिकित्सा विभाग ने एक अस्पताल खोलने हेतु लगभग डेढ़ लाख रुपये मूल्य का 74–75 में भवन निर्माण कराया ? यदि हां, तो इस नव निर्मित भवन में आज तक कोई अस्पताल खोला गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस भवन में कब तक अस्पताल खुल जायेगा ?

श्री प्रभुनारायण—

जी हां। रु0 1, 01, 200 की लागत से वहां परिवार नियोजन मुख्य केन्द्र के भवन का निर्माण हुआ है।

जी नहीं।

भवन पूर्ण होकर विभाग को अभी मिला नहीं है।

भवन विभाग को हस्तान्तरित हो जाने पर।

लखनऊ के सफदरबाग मोहल्ले में मलिन बस्ती सुधार योजनान्तर्गत किया गया कार्य

*2—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को इस बात की जानकारी है कि लखनऊ शहर में स्थित मोहल्ले सफदरबाग का सुधार का जो कार्य मलिन बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत अब तक किया गया है उसमें विभागीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा नियोजित रूपरेखा के अनुसार कार्य न करके सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर इसके लिये दोषी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अविलम्ब दंडित करत हुये यह आदेश देगी कि भविष्य में इस योजना के अन्तर्गत उक्त मोहल्ले में किये जाने वाले समस्त कार्य नियोजित रूपरेखा के अनुसार ही किये जायें जिससे कि सरकारी धन का दुरुपयोग भविष्य में न हो।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

लखनऊ शहर में स्थित मुहल्ला सफदर बाग में सुधार का जो कार्य मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत किया गया है वह यथा सम्भव नियोजित रूप रेखा के अनुसार ही किया गया है। अतएव कोई जांच कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*3—श्री श्रीनारायण (अनुपस्थित)—

प्रथम सत्र 1975 के प्रथम मंगलवार के नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मलिन बस्ती सुधार योजन के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार से अनुदान मिलने के बाद भी मोहल्ला सफदरबाग में अधूरे सुधार कार्य को पूर्ण क्यों नहीं किया गया तथा सरकार वहां के निवासियों को इस योजना क अन्तर्गत दी जाने वाली समस्त सुविधायें अब कब तक उपलब्ध करान क सम्बन्ध में विचार कर रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

भारत सरकार से मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से मुहल्ला सफदरबाग में योजना के अनुसार यथासम्भव पूरे सुधार कार्य करा दिये गये हैं। धन उपलब्ध होने पर योजना के बाकी कार्य कराने पर विचार किया जायगा।

*4—श्री सत्यप्रकाश मालवीय—

[4थे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

इलाहाबाद के कतिपय अस्पतालों में विश्रामालय के निर्माण की मांग

*5—श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इलाहाबाद में स्थित स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय (मेडिकल कालेज), सर तेज बहादुर अस्पताल तथा मोतीलाल नेहरू अस्पताल के प्रांगण में भर्ती मरीजों की देख-रेख करने वालों के लिये विश्रामालय निर्माण करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह कब तक उपलब्ध हो जायेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री प्रभुनारायण—

इन अस्पतालों में से सर तेज बहादुर अस्पताल में तो पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है ही, शेष दो अस्पतालों में भर्ती रोगियों की देख-रेख करने वालों के लिये जो स्थान उपलब्ध हैं वे अपर्याप्त हैं। यहां और विश्रामालय निर्माण कराने का विचार तो है परन्तु वांछित धन उपलब्ध नहीं है।

रवीन्द्र गार्डेन योजना, लखनऊ के प्लाटों का रजिस्ट्रेशन

*6—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला पौड़ी गढ़वाल)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि लखनऊ की रवीन्द्र गार्डेन योजना में जिन-जिन लोगों ने प्लाट खरीद रखे हैं उनकी रजिस्ट्री किन कारणों से रुकी हुई है और कब तक इस योजना के अन्तर्गत प्लाट खरीदने वालों को मकान बनाने की आज्ञा मिल जायेगी ?

श्रीमती इन्द्रमोहनी—

रवीन्द्र गार्डेन योजना एक प्राइवेट कालोनाईजर, मोहन को० प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित की जा रही है। उनमें बेचे गये प्लाट्स उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थाई निर्बन्धन) अधिनियम, 1972 की धारा 3 के अधीन शहरी सम्पत्ति या कृषि भूमि के अन्तरण में निर्बंधन के कारण तथा बाद में अर्बन लन्ड (सीलिंग ऐन्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, 1976 के लागू होने से रजिस्ट्रेशन पर रोक लगी है। सन् 1972 के पहिले जिन्होंने रजिस्ट्री करानी चाही थी उनकी रजिस्ट्री हो गई है।

रवीन्द्र गार्डेन योजना के अन्तर्गत प्लाट खरीदने वालों को भवन बनाने की आज्ञा केवल उस समय ही मिल सकेगी जब काम्पीटेन्ट एथारिटी द्वारा इस कालोनी के ले-आउट प्लान अधिकृत रूप से स्वीकृत कर दिये जायें। अभी तक कालोनाइजर से रिवाइज्ड प्लान प्राप्त नहीं हुए हैं।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो एग्रीमेंट 25–2–70 को कालोनाइजर और नगरमहापालिका के मध्य हुआ था, उसमें यह है कि जो नक्शा दिया गया था वह नगर महापालिका द्वारा दिया गया था, टाउन प्लानर ने उसे बनाया और शासन ने उसे अनुमोदित किया था ? यदि हां, तो उसमें आग कार्यवाही क्यों नहीं हुई ह ?

श्रीमती इन्द्र मोहनी—

इसलिये नहीं हुई कि कालोनाइजर को जो शर्तें पूरी करनी थीं, वे शर्तें उन्होंने पूरी नहीं की हैं।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

मरा प्रश्न यह ह कि जो एग्रीमेंट हुआ है उसकी धारा 2 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो नक्शा दिया जाएगा, वह केवल नगरपालिका देगी और टाउन प्लानर ही उसको बनाएगा जिसको कालोनाइजर ने स्वीकार किया, तो क्या नगर महापालिका की ओर से कोई दूसरा नक्शा दिया गया ? यदि दिया गया तो कब दिया गया ?

श्रीमती इन्द्र मोहनी—

कालोनाइजर स यह तय हुआ था कि वह रुपया जमा करेंगे और सारी शर्तें पूरी करेंगे–शर्तों म था कि सीवर लाइन, पाइप आदि बिछवायेंगे और रोड वगैरह भी तैयार कर लेंगे, तो उसके बाद ही नक्शा पास किया जाएगा। जैसा पहले कहा कि उन्होंने पहले की शर्तें पूरी नहीं की हैं इसलिये यह मामला अभी तक पड़ा हुआ है।

श्री शिवानन्द नौटियाल–

मैं माननीय मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि यदि यह बात सही है तो 31 जुलाई, 1973 को शासन की और से तत्कालीन सचिव एम0 यू0 अहमद ने क्यों नगर-पालिका प्रशासक के लिये यह पत्र लिखा और उस पत्र के संदर्भ में 25–1–74 को दूसरा पत्र लिखा गया ? यदि इस ऐग्रीमेंट के अनुसार कार्यवाही नहीं की गयी, तो नगरपालिका को सारा व्यय वहन करना पड़ेगा। यदि ऐसी स्थिति थी, तो यह पत्र क्यों भेजे गये ?

श्री अध्यक्ष—

उस पत्र में और जो बात मंत्री जी ने कही, उसमें क्या अन्तर है ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

उत्तर में अन्तर ह।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्पष्ट कर दूं। माननीय सदस्य का कहना यह सही है कि नगरमहापालिका और उनके बीच में कुछ शर्तें तय हुई। उसके बाद जमीन का वेरिफिकेशन आरम्भ हुआ। कालोनाइजर्स जितनी जमीन क्लेम करते थे, उसका वेरिफिकेशन शुरू हुआ और उनमें विवाद शुरू हो गया क्योंकि ऐक्चुअल जमीन को लेकर जो ले-आउट प्लान होना चाहिए, इन सब बातों को लेकर ऐग्रीमेंट हुआ था। जब वास्तव में वेरिफिकेशन किया, तो कालोनाइजर्स और नगरमहापालिका के बीच में विवाद आरम्भ होता है। तब ये लोग कोर्ट में चले गये। अभी तक ले-आउट का फाइनल शेप नहीं आ पाया हमारा विकास प्राधि-करण जो फाइनल अथारिटी होती है जो ले-आउट को मंजूर करती है, उसको फाइनल शेप नहीं दे सका क्योंकि झगड़ा उत्पन्न हो गया। अब भी कोर्ट में मामला है।

श्री अध्यक्ष—

कोर्ट में मामला है, उसमें आप क्या मदद करना चाहते हैं ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

कोर्ट में नहीं है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

स्ट है कोर्ट में। स्टे करवा लिया है। कालोनाइजर गये थे।

श्री अध्यक्ष--

अब जो हो वहां तय होगा।

अध्यक्ष, नगर पालिका, खैराबाद, सीतापुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच

*7--श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, खैराबाद, जिला सीतापुर के चेयरमैन के खिलाफ नगर की जनता तथा नगरपालिका के सदस्यों द्वारा भ्रष्टाचार गबन, अनियमित रूप से कार्य करने तथा बोर्ड के पैसे का दुरुपयोग करने की शिकायतें शासन को प्राप्त हुई जिसकी जांच कराने के बाद कमिश्नर लखनऊ डिवीजन ने शिकायतों के सत्यपान के आधार पर शासन को यह संस्तुति भेजी है कि चेयरमैन को निलम्बित कर दिया जाय? यदि हां, तो इस पर शासन ने क्या कार्यवाही की?

श्रीमती इन्द्र मोहनी--

अध्यक्ष, नगरपालिका, खैराबाद (सीतापुर) के विरुद्ध कतिपय शिकायतें शासन को प्राप्त हुई हैं। कमिश्नर, लखनऊ डिवीजन ने अध्यक्ष को निलम्बित करने की संस्तुति तो नहीं की है। अपितु शासन को जांच आख्यायें केवल आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित की हैं। जांच रिपोर्टस् के आधार पर अध्यक्ष, श्री इशरत अली से कारण दिखाओ नोटिस जारी करके उनका स्पष्टीकरण मांगा गया है।

श्री भीखालाल--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अध्यक्ष, नगरपालिका, खैराबाद के खिलाफ गबन और भ्रष्टाचार और नगरपालिका के धन का दुरुपयोग करने की मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं?

श्रीमती इन्द्र मोहनी--

उनके खिलाफ जो शिकायतें आयी हैं उनमें से एक यह है कि उन्होंने एक पुरानी गाड़ी छः हजार रुपये की लेकर नयी गाड़ी के दाम 24 हजार रुपये दिखाये। दूसरी बात उनके खिलाफ यह थी कि उन्होंने बोर्ड की 5 महीने तक मीटिंग नहीं बुलाई। उन्होंने कहा कि वहां पर कालरा का एपीडेमिक चल रहा है और साढ़े पांच हजार रुपया सेंक्शन करा लिया, जब कि वहां पर कालरा का ऐपीडेमिक नहीं था तथा बोर्ड में अपने रिश्तेदारों को नौकरियां दीं।

श्री भीखालाल--

इसी बिना पर चेयरमैन के खिलाफ 420 का मुकदम कायम किया गया और शासन ने उसको वापस ल लिया। 409 का मुकदमा 11 आदमियों पर चालू हुआ, जिसमें वह चयरमैन भी थ। परन्तु चेयरमैन के खिलाफ जो मुकदमा था, वह वापस ले लिया गया और बाकी 10 अन्य आदमियों पर अभी मुकदमा चल रहा है। तो मैं जानना चहता हूं कि केवल चेयरमैन के खिलाफ ही मुकदमा क्यों वापस लिया गया?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मुकदमा किन परिस्थितियों में वापस लिया गया, मुझे मालूम नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

कमिश्नर जो नहीं करता है, के खिलाफ क्यों नहीं आप कार्यवाही करती हैं?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

पुनः कारण बताओ नोटिस दिया गया है और माननीय सदस्य ने जो मुकदमें के वापस करने की बात कही है, वह सही है।

श्री अध्यक्ष--

आप सख्ती करें, आप तो सख्त हैं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

वह मुकदमा हमने वापस नहीं किया था।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, शासन में एक निरन्तरता होती है। शासन की जिम्मेदारी अपनी जगह पर है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मैं सदन की बड़ी इज्जत करती हूं लेकिन यह पहले हो चुका है। जब से हमारी नोटिस में फिर से आया है तो हमने कारण बताओ नोटिस दिया है और जो कार्यवाही होगी वह की जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग--

आप दुबारा मुकदमा कायम करेंगी ?

श्री अध्यक्ष--

समझ में नहीं आया, क्या बोलें माननीय गर्ग ?

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग--

अगर वापस लिया गया है तो 420 और 409 को संगीन समझते हैं, तो क्या दिक्कत है दुबारा चलाने में ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बजापेयी--

यही सब देखा जायेगा। हमने कारण बताओ नोटिस दिया है, जब सारी चीजें आ जायेंगी तो शासन अपनी नीति निर्धारित करेगा।

श्री भीखा लाल--

यह बोर्ड 15 सदस्यों का था, उसमें दो का देहान्त हो गया और 6 सदस्यों ने प्रोटेस्ट में इस्तीफा दे दिया है और वह बोर्ड इस समय माइनारिटी में है तो उसको सुपरसीड क्यों नहीं किया गया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

वह तो कानून से हो जावेगा।

श्री अध्यक्ष--

क्यों नहीं अपने कर्त्तव्य का पालन करता है कमिश्नर ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

उन्होंने फारवर्ड किया है।

श्री ऊदल--

उसने फर्जी वाउचर बनाया और गाड़ी की पूरी रकम ले ली। बोर्ड में अपने रिश्तेदारों को रख दिया और इस प्रकार से उसने नियमों का उल्लंघन किया, कोई चेयरमैन बोर्ड में अपने रिश्तेदारों को नौकरी में नहीं रख सकता है। जब यह सब जांच से साबित हो गया, तो माननीय मंत्री जी को उसके विरुद्ध कार्यवाही करने में क्या दिक्कत है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मैं चेयरमैन को डिफेन्ड करने के लिये नहीं खड़ी हुई हूं। यह बहुत ही निन्दनीय बात है कि मुकदमा वापस लिया गया। मुकदमा किस कारण से वापस लिया गया, यह मेरी जानकारी में नहीं है। अब हमारे सामने जो तथ्य आये हैं, उन परिस्थितियों में जो कार्यवाही मुझे करनी चाहिये, वह मैं कर रही हूं और इसके साथ जो दूसरी कार्यवाही हो सकती है, वह भी होगी।

श्री अध्यक्ष—

कारण बताओ नोटिस तो देना ही होता है ।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, यह मामला सन् 1972 का है । तो अब तक उनको कारण बताओ नोटिस क्यों नहीं दिया गया और उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा गया ?

श्री अध्यक्ष—

इन्होंने जवाब तो दे दिया है कि जो पिछला मामला था, उसकी इन्हें जानकारी नहीं है तो ये जवाब क्या देंगी। वे सख्ती तो कर रही हैं और इन्हें करनी भी चाहिये।

लखनऊ, अमीनाबाद स्थित शुक्ला वैष्णव होटल के विरुद्ध जारी की गयी नोटिस

*8—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (अनुपस्थित)—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1976 के 4 थे गुरुवार के ता0 प्र0 16 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मेहरा सिनेमा अमीनाबाद, लखनऊ के सामने स्थित शुक्ला वैष्णव होटल के मालिकान के विरुद्ध नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 393 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के आदेश शासन ने कब दिये थे एवं नगर महापालिका ने उनको नोटिस कब जारी की ? नोटिस का परिणाम क्या निकला और नगर महापालिका ने अन्तिम निर्णय क्या लिया ? यदि नहीं लिया, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 393 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के आदेश शासन द्वारा 12 अगस्त, 1974 को दिये गये थे तथा नगर महापालिका द्वारा होटल के मालिकों को नोटिस 2 अप्रैल, 1976 को दिया गया था।

उक्त नोटिस का उत्तर महापालिका को प्राप्त हो गया है तथा अब आपत्तियों की सुनवाई प्रशासक द्वारा की जानी है। सुनवाई के पश्चात् ही निर्णय लेना सम्भव होगा।

जिला अस्पताल, बहराइच के लिये चादरों की खरीद

*9—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी ह कि जिला अस्पताल, बहराइच में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा मरीजों के बिछाने के लिए घटिया किस्म की चादर कई हजार रुपये की अनधिकृत फर्म द्वारा वर्ष 1975–76 के लिए खरीदी है और ऊंची कीमत का भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो किस व्यक्ति (ठेकेदार) द्वारा किस फर्म से उक्त सामान किस-किस कीमत में लिया गया है ?

श्री प्रभुनारायण—

जिला अस्पताल, बहराइच के लिए वर्ष 1975–76 में जो रु0 6,133.35 पैसों की चादरें खरीदी गई हैं, वे एलगिन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर की ई0सी0 2056 नम्बर की हैं और कानपुर के मिल रेट पर ही खरीदी गई हैं। यह चादरें श्रीमंत याकूब एंड ब्रदर्स, बहराइच के माध्यम से मंगाई गयीं क्योंकि उन्होंने केवल एक प्रतिशत कमीशन तथा कानपुर से बहराइच तक का आधा भाड़ा ही मांगा था।

लखीमपुर-खीरी में गैमेक्सीन पाउडर युक्त अनाज के सेवन से व्यक्तियों की मृत्यु

*10—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मई, 76 में लखीमपुर-खीरी जनपद में दूषित खाद्यान्नों के कारण एक दर्जन व्यक्ति मौत के शिकार हो गये हैं तथा हजारों व्यक्ति विचित्र मृगी रोग के शिकार हो गये हैं ? यदि हां, तो घटना का विवरण क्या है ?

श्री प्रभुनारायण—

लखीमपुर खीरी से प्राप्त सूचना के अनुसार 31 मई, 1976 तक जनपद के तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के 34 ग्राम एवं विशेष प्रकार के रोग से प्रभावित हुए। इस अवधि में 233 व्यक्ति कथित रोग से ग्रसित हुए किन्तु केवल दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई। जांचोपरान्त यह निष्कर्ष निकला कि ग्रामवासियों द्वारा गैमेक्सीन पाउडर युक्त अनाज खाने से उक्त रोग हुआ। स्थिति पर शीघ्र ही नियंत्रण पा लिया गया और समस्त रोगियों का उपचार किया गया। रोग ग्रसित ग्रामों से गैमेक्सीन युक्त अनाज तथा गैमेक्सीन पाउडर जब्त कर लिया गया और ऐसे अनाज का सेवन न करने का प्रचार किया गया।

बाराबंकी की जय ट्रान्समिशन पोल फैक्ट्री के मजदूरों का स्थायीकरण एवं मजदूरी

*11—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)—

क्या श्रम मंत्री को ज्ञात है कि बाराबंकी जनपद में सोमैया नगर में स्थित जय ट्रान्समिशन पोल फैक्ट्री में 2 वर्षों से कार्यरत लगभग 45 मजदूर अब 4 रु0 प्रतिदन के हिसाब से दैनिक मजदूर के रूप में कार्य कर रहे हैं और उन्हें स्थायी नहीं किया गया है? यदि हां, तो स्थायी न किये जाने का क्या कारण है? इस कारखाने के कुल कर्मचारियों की तादाद क्या है और उसमें कितने स्थायी हैं?

श्रम राज्य मंत्री (श्री रमेन्द्र वर्मा)—

जनपद बाराबंकी के सौमैया नगर स्थित जय ट्रान्समिशन पोल फैक्ट्री में इस समय लगभग 59 श्रमिक दैनिक वेतन पर नियोजित हैं जो सभी अस्थायी हैं। इन श्रमिकों को रु0 4.00 से रु0 9.00 तक प्रतिदिन वेतन मिलता है।

यह कारखाना 16 दिसम्बर, 1975 से ही चालू है। श्रमिकों को स्थायी न किये जाने का मुख्य कारण यह है कि इस कारखाने को चालू हुए अभी 1 वर्ष से कम समय ही व्यतीत हुआ है।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

अलग-अलग जो मजदूरों की कैटेगरी है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किस काम के लिये कुछ को 4 रुपये और कुछ को 9 रुपये प्रतिदिन दिया जा रहा है?

श्री रमेन्द्र वर्मा—

संख्या बताना तो सम्भव नहीं है, लेकिन यह स्किल्ड और अनस्किल्ड मजदूर हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

क्या आप इनकी सर्विसेज को परमानेन्ट करने के बारे में कुछ सोचते हैं?

श्री रमेन्द्र वर्मा—

इन श्रमिकों को 240 दिन निरन्तर सेवा करनी है, तब वे स्थाई हो पाते हैं। इस फैक्ट्री में 16-12-75 से उत्पादन आरम्भ हुआ है, इसलिये अभी यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री भीखालाल—

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि सरकार ने उत्तर प्रदेश के खेतिहर मजदूरों की मजदूरी 4 1/2 रुपये से 6 रुपये के बीच में निश्चित की है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मंत्री जी इन औद्योगिक मजदूरों को उससे कम मजदूरी न दिलाने की कृपा करेंगे?

श्री रमेन्द्र वर्मा—

सिद्धान्त रूप से मैं सहमत हूं लेकिन जो स्थिति है वह मैंने बता दी है। इस सम्बन्ध में जो भी कार्यवाही संभव होगी, वह की जायगी।

श्री प्यारे लाल (मेरठ)--

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि मिल या फैक्ट्री वाले हर 2-3 माह के बाद बैठकी कर देते हैं यदि हां, तो कैसे इनके 240 दिन पूर हो पायेंगे ?

श्री रमेन्द्र वर्मा--

इन श्रमिकों के सम्बन्ध में इस प्रकार का आरोप नहीं है कि बीच में बैठकी करके इनको काम नहीं करने देते। अभी तो इस फैक्ट्री को चले 240 दिन भी नहीं हुए हैं।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि स्किल्ड कर्मचारी कितने हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो ब्योरे का प्रश्न है।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

यह बहुत आवश्यक है और इसका जवाब वे दे चुके हैं कि कितने स्किल्ड ....

श्री अध्यक्ष--

यह कह चुके हैं कि संख्या नहीं मालूम है। अभी एक साल इसको खुले हुआ है। आप अलग से अतारांकित प्रश्न पूछ लीजिए, उसकी सूचना दे दी जाएगी।

फार्मेसिस्ट के पंजीकरण के नवीनीकरण शुल्क संबंधी संस्तुति

*12--श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला ददायूं) (अनुपस्थित)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, उत्तर प्रदेश ने फार्मेसिस्ट के पंजीकृत नवीनीकरण शुल्क 30 रु० लेने के लिये संस्तुति मार्च, 1973 को की थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रभु नारायण----

इस प्रकार की कोई संस्तुति मार्च, 1973 में स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, उत्तर प्रदेश से प्राप्त नहीं हुई थी।

विचाराधीन आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निगम

*13--श्री मुहम्मद असरार अहमद (अनुपस्थित)--

क्या यह सही है कि प्रदेश में आयुर्वेदिक कारपोरेशन खोलने का निर्णय शासन ने इस वर्ष लिया ह ? यदि हां तो इस कारपोरेशन की पूरी रूप-रेखा क्या है ?

श्री प्रभु नारायण--

आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निगम की स्थापना का प्रश्न अभी शासन के विचाराधीन है।

आजमगढ़ के ग्राम पिपरी में विद्युत कनेक्शन काटने के संबंध में ग्रामवासियों की डी० आई० आर० में गिरफ्तारी

*14--श्री राम सुन्दर पान्डेय (जिला आजमगढ़)--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् उपगृह में महाराजगंज, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम पिपरी में दिनांक 4/5-3-1976 की रात को कुछ व्यक्तियों के बिजली सम्बन्धी कर की अदायगी के पूरी होने के बावजूद भी विच्छद कर दिया गया और कुछ व्यक्तियों की डी0 आई0 आर0 में गिरफ्तारियां भी हुई हैं। यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है ?

श्रीमती इन्द्र मोहनी--

जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम पिपरी में 4 मार्च, 1976 की शाम को उपखंडाधिकारी, विद्युत् अनुरक्षण उपखंड, जीयनपुर अपने अवर अभियन्ता, स्टाफ तथा पुलिस के दो जवानों को साथ लेकर उन उपभोक्ताओं की लाइन काटने गये जिन पर विद्युत् बिल की धनराशि बकाया थी, और विद्युत् सम्बन्ध कटे होने पर भी लाइन जोड़ कर चला रहे थे। दिनांक 6 दिसम्बर, 1975 को उसी ग्राम में 5 व्यक्तियों के नलकूपों की लाइन काटी गयी थी। लाइन काटने के बाद किसी उपभोक्ता ने न तो कनेक्शन को जोड़ने के लिए लिखा और न लाइन काटने और जोड़ने के चार्जेज रुपये 30.00 दिनांक 4 मार्च, 1976 तक जमा किया, इसलिये कटी हुई लाइन को जोड़ने के लिए कोई आदेश सम्बन्धित उप-खंडाधिकारी को नहीं दिया गया। दिनांक 4 मार्च, 1976 को जब उपखंडाधिकारी गांव में गए तो उन्होंने लाइनों को जुड़ा पाया तब उन्होंने एक लाइन का तार उतरवा लिया, जिसमे 3 नलकूपों का विद्युत् सम्बन्ध था। तार उतार लेने के कारण पिपरी ग्राम के कुछ लोग लाठी, बन्दूक तथा अन्य हथियार लेकर आए और उन्होंने उपखंडाधिकारी, स्टाफ व पुलिस कर्मचारियों को घेर लिया और मारने पीटने की धमकी देते हुए गालियां देने लगे तथा कुछ सरकार विरोधी नारे भी लगाये। इसके बाद सभी कर्मचारियों को खीचते हुए गांव में लाया गया, वहां उपखंडाधिकारी से जबरदस्ती कुछ लिखवाया गया। इसी बीच ट्रक ड्राइवर जो कि उपरोक्त सभी दृश्य देख रहा था, मौका पाकर वहां से निकल आया और महराजगंज थाने में इसकी पूरी सूचना दी, साथ ही साथ जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को भी वायरलेस द्वारा सूचना दी गयी। इसके बाद उन्होंने तुरन्त परगना अधिकारी सगड़ी, पी0 ए0 सी0 व पुलिस को भेजा और दिनांक 4/5 मार्च की रात को करीब 3 बजे घटना स्थल पर उपरोक्त पुलिस अधिकारी पी0 ए0 सी0 के पहुंचने पर उपखंडाधिकारी व अन्य स्टाफ को छुड़ाया गया। दिनांक 5 मार्च, 1976 को उपखंडाधिकारी ने महाराजगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी और लोगों को डी0 आई0 आर0 में गिरफ्तार किया गया। डी0 आई0 आर0 में गिरफ्तारियां बकाया धनराशि के न जमा करने के फलस्वरूप नहीं, बल्कि सरकारी कार्य में अवरोध पैदा करने तथा सरकार के विरुद्ध अपमानजनक वक्तव्य देने के कारण की गईं।

आजमगढ़ के अधिशासी अभियन्ता व सहायक अभियन्ता, विद्युत् अनुरक्षण खंड द्वितीय द्वारा उपयोग की गयी बिजली

*15--श्री राम सुन्दर पांडेय --

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् अनुरक्षण खंड द्वितीय एवं सहायक अभियन्ता, अनुरक्षण खंड द्वितीय आजमगढ़, एक ही व्यक्ति के मकान में वर्षों से रहते हैं और जुलाई, 1975 से जनवरी, 1976 तक केवल 159 ही यूनिट बिजली का उपयोग किए हैं तथा मकान मालिक के नाम 200 रुपए बकाया रहते हुए भी बिजली सम्बन्ध विच्छेद न होने का कारण क्या है ?

श्रीमती इन्द्र मोहनी--

यह सत्य है कि अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खंड द्वितीय एवं सहायक अभियन्ता (द्वितीय) आजमगढ़ में एक ही मकान में जुलाई, 1975 से निवास कर रहे हैं तथा जुलाई, 1975 से जनवरी, 1976 तक 159 यूनिट नहीं बल्कि 158 यूनिट बिजली उपयोग की है। मकान मालिक पर बकाया धनराशि की अदायगी हेतु सेक्शन 3 के अन्तर्गत दिनांक 21 जनवरी, 1976 को नोटिस जारी की गई थी जिसके फलस्वरूप उपभोक्ता ने 200 रु0 नहीं वरन् 211.42 रु0 का भुगतान कर दिया, इसलिए लाइन काटने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, 15वें सवाल का मैं केवल एक सप्लीमेन्टरी चाहता हूं। सरकार ने स्वीकार किया है कि जिस मकान में सहायक अभियन्ता और अधिशासी अभियन्ता रहते थे उसका बिजली का कनेक्शन कटा हुआ था तथा उसके जिम्मे 211 रुपए बकाया थे। यह कनक्शन पैसा न देने के कारण कटा था। तो फिर बिना पैसे दिये सहायक अभियन्ता और अधिशासी अभियन्ता ने कैसे कनेक्शन ले लिया ?

श्रीमती इन्द्र मोहनी—

कनेक्शन तो था मगर वह मीटर सही नहीं चल रहा था, इसलिये फ्लैट रेट पर लगा कर उनका जो असेसमेंट किया गया वह 1170 यूनिट्स पर किया गया था। लगभग 130 यूनिट्स प्रतिमाह के हिसाब से, मगर कनेक्शन तो वहां था।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

उत्तर साफ नहीं आया, गरीब किसान का अगर 10 रुपया बाकी रह जाता है तो बिना पूरा अदा किये उसको कनेक्शन नहीं दिया जाता है फिर इन्जीनियर लोगों ने बिना पैसा अदा किए ही कैसे कनेक्शन ले लिया ?

श्रीमती इन्द्र मोहनी—

पैसा तो उन्होंने अदा किया है।

प्रदेश में विद्युत् ट्रान्सफार्मरों की चोरी

*16—श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या विद्यत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 अप्रैल, 1975 से 31 मार्च, 1976 तक प्रदेश में विद्युत् ट्रान्सफारमर की चोरी की कितनी घटनायें हुईं और इनकी कुल कीमत कितनी हुई ? इनमें से कितनी घटनाओं में पुलिस ट्रान्सफारमर चोरों को पकड़ने में सफल हुई ?

श्रीमती इन्द्र मोहनी—

1 अप्रैल, 1975 से 31 मार्च, 1976 तक प्रदेश में लगभग 3311 ट्रान्सफारमरों की चोरी हुई। इन चोरी गए ट्रान्सफारमरों का मूल्य लगभग 1.99 करोड़ रुपए हैं। चोरी की घटनाओं में से अनेक अभियोग विवेचनाधीन होने के कारण इस समय निश्चित रूप से यह कहना सम्भव नहीं है कि इन घटनाओं में कितने ट्रान्सफारमर चोर पकड़े गये।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

ट्रान्सफार्मर चोरी की समस्या प्रदेश में भयंकर रूप अख्तियार कर चुकी है। स्वयं शासन के दिए हुए आंकड़ों के हिसाब से लगभग 2 करोड़ रुपए का नुकसान ट्रान्सफार्मर चोरी से इस वर्ष हुआ और एक भी चोरी नहीं पकड़ी गयी। तो शासन कौन सी व्यवस्था पर विचार कर रहा है जिसके अन्तर्गत यह चोरी कम हो सकेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

ट्रान्सफार्मरों की चोरी रोकने के लिए विद्युत् परिषद् द्वारा काफी कदम उठाए गए हैं। चोरी के जो आंकड़े दिए गए हैं, उसी से स्पष्ट है कि जो कदम उठाए गए हैं उसी के कारण यह डिडक्ट हुए हैं। करीब 600 लोगों को बन्दी बनाया गया, लेकिन अभी यह ज्ञात नहीं है कि उनमें ट्रान्सफार्मरों की चोरी के कितने हैं, क्योंकि कुछ तार आदि भी काटने के लिए गिरफ्तार हुए हैं। हमने अब शूट-एट-साइट के भी आदेश दिए हैं। जहां तक मेरी जानकारी है। 2–3 आदमी मारे भी गए हैं। इससे चोरी में कमी आयी ह। इमरजेन्सी से पहले तो इनकी चोरी बहुत ज्यादा होती थी, जो कदम हमने उठाए हैं, उसके कारण यह संख्या काफी कम हुई है। अब यह भी कदम उठाया गया है कि इनको गांव के करीब और सील बन्द करके लगाया जाये जिससे चोरी न हो सके।

श्री काशीनाथ मिश्र—

2 करोड़ की चोरी कोई मामूली रकम नहीं है, विभाग के लोग ही ट्रान्सफार्मरों की चोरी करते हैं। तो क्या इसके लिए विद्युत् परिषद् के जो सबसे आला अफसर हैं चेयरमैन उन्हीं को कठिन से कठिन सजा दी जाय ?

श्री अध्यक्ष—

आपने यह क्यों नहीं कहा कि आई० जी० पुलिस को ही गोली से मार दिया जाय क्योंकि उनके बावजूद यह चोरी हो रही है .... (व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह चोरियां विद्युत् विभाग के लोग ही कराते हैं .....

श्री अध्यक्ष—

आप यह कह सकते हैं कि आपकी जानकारी में यह है, यह तो अलग बात है, मगर इस तरह से विद्युत् परिषद् के अध्यक्ष को ही आपने कह दिया, यह ठीक नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र —

वह सबसे बड़ी तनख्वाह पाता है, वह जिम्मेदार है।

श्री अध्यक्ष—

तब माननीय सदस्य को कहना चाहिए था कि मन्त्री जी को चले जाना चाहिए। जिसको यहां जवाब देने का मौका नहीं है, जो यहां सदन में ही नहीं, उसके ऊपर ऐसे तीव्र अनावश्यक बात नहीं कहनी चाहिए। अगर कहना था तो मन्त्री जी के लिए कहना चाहिए था। (व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र—

परिषद् का अध्यक्ष हमारा नौकर है ....

श्री अध्यक्ष—

नौकर तो आपके सभी हैं। (हंसी)

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय काशीनाथ जी से विनम्र तरीक से कहना चाहती हूं कि वे इतनी तेजी में बोलने के पहले कुछ तथ्य की जानकारी कर लेते। सदन की गरिमा उन्हीं को बनाए रखना है। मैं तो समझती थी कि यह सदन इस बात को एप्रीशिएट करेगा कि जब से विद्युत् परिषद् के इस अध्यक्ष ने कार्यभार सम्भाला है, तब से ट्रान्सफार्मरों की चोरियां बहुत कम हुई हैं। पहले जहां 3--4 हजार चोरी होती थीं, वह घट कर 11-12 सौ ही रह गयी हैं। कर्मचारियों के प्रति भी हमने सख्ती बरती है। कुछ कर्मचारियों को भी पकड़ा है उनको निलम्बित भी किया है, उनकी सर्विसेज को टर्मिनेट भी किया है। तो विभाग इस पर काफी सतर्क है और माननीय सदस्य को मैं बताना चाहती हूं कि वर्तमान समय में, विद्युत् परिषद् के जो अध्यक्ष हैं, उनसे ज्यादा आनेस्ट आफिसर इस उत्तर प्रदेश में बहुत कम होगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष जी, मुझको निश्चित जानकारी है कि एक धनी आदमी पर 3,600 का बकाया है। विद्युत् परिषद् के जो अध्यक्ष हैं, वह बहुत बड़े बेईमान हैं।

श्री अध्यक्ष—

एक का जवाब वह दे रही हैं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय काशीनाथ जी उसके विषय में भी प्रश्न कर लें, उसका जवाब मैं दे दूंगी। यह जो उनका कहना है कि अध्यक्ष बेईमान हैं, उसका मैं प्रोटेस्ट करती हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

माननीय मन्त्री जी .....

श्री अध्यक्ष—

आप किसकी इजाजत से खड़े हो गए ? किसी को नाम से बेईमान कहना उचित नहीं । बेईमानी होती है। आप किसी के ऊपर प्रत्यक्ष आरोप लगायें कि यह बेईमान है, यह नहीं कहना चाहिए। आप यह कह सकते हैं कि मेरी जानकारी ह कि विभाग में कुछ लोग चोरी करते हैं। माननीय मन्त्री जी ने बताया कि विभाग के लोग जो ऐसा किए हैं, उनको बख्शा नहीं गया ह। इसलिए कुछ गम्भीरता रहनी चाहिए।

नगर क्षेत्र समिति, राजापुर, बांदा के सफाई एवं अन्य कर्मचारियों के अवशेष वेतन का भुगतान

*17—श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा (जिला बांदा)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद की टाउन एरिया राजापुर के सफाई मजदूरों तथा अन्य कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन का एरियर (बकाया धनराशि) अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती इन्द्र मोहनी—

नगर क्षेत्र समिति, राजापुर को अगस्त, 1972 से फरवरी, 1974 तक समस्त कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान करना था। समिति द्वारा अब तक मार्च, 1973 तक के बकाया वेतन का भुगतान किया जा चुका है तथा अप्रैल, 1973 से फरवरी, 1974 तक के बकाया वेतन का भुगतान करना बाकी है। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण इस अवधि के बकाया वतन का भुगतान नहीं किया जा सका है।

श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि बकाया वेतन भुगतान करने के लिए जो सरकारी अनुदान का अंश मिला था, तो क्या टाउन एरिया, राजापुर द्वारा वह पूरा पैसा भुगतान कर दिया गया है ?

श्रीमती इन्द्र मोहनी—

सरकार द्वारा 19,916 रुपया बतौर कर्जा दिया गया था और इसमें से ही जो कर्मचारियों का बकाया था उसका भुगतान करके ही वह जो आया है, उसी से यह भुगतान हुआ है, जिसका कि पेमेन्ट के बाद अभी भी बकाया है।

श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, उन्होंने कहा कि राजापुर, टाउन एरिया की स्थिति ठीक नहीं है। 1972 से 1976 तक मान्यवर, वहां पर कितनी नई नियुक्तियां की गयी हैं ?

श्रीमती इन्द्र मोहनी—

इसके लिए तो सूचना की आवश्यकता है कि कितनी नियुक्तियां हुई हैं ?

श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा—

मैं माननीय मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि वहां पर कम से कम 5-6 नियुक्तियां कर ली गयी हैं। मान्यवर, जो 376 और 302 के मुलजिम हैं उनकी भी उसमें नियुक्ति कर ली गयी है ?

(श्रीमती इन्द्र मोहनी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं हैं। यह तो आपको सूचना दे रहे हैं।

श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा—

क्या माननीय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अगर टाउन एरिया, राजापुर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उसे सुपरसीड करने की कृपा करेंगी ?

(उत्तर के लिए मन्त्री को नहीं पुकारा गया।)

भारत-नैपाल सीमा पर श्री पी० आर० सिंह, अधिशासी अभियन्ता, हाईडिल विभाग की कार में अवैध सामान की बरामदगी

*18—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 28 फरवरी, 1975 को पत्र संख्या सी० नं० कां-ग-18/109/4/2185 (गोपनीय) द्वारा कलेक्टर, कस्टम्स (प्रीवेन्टिव) भारत-नैपाल सीमा, पटना द्वारा मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्, लखनऊ को यह शिकायत की गई कि श्री पी० आर० सिंह, अधिशासी अभियन्ता, लखीमपुर की कार से नैपाल से वापस आते समय अवैध रूप से लाए गए विदेशी माल की बरामदगी की गई ? यदि हां, तो इस कार में विद्युत् परिषद् के कौन-कौन अधिकारी यात्रा कर रहे थे और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती इन्द्र मोहनी—

कलेक्टर कस्टम (प्रीवेन्टिव) भारत-नैपाल सीमा पटना द्वारा उनके पत्र दिनांक 28 फरवरी, 1975 में मुख्य अभियन्ता, राज्य विद्युत् परिषद को यह सूचित किया गया था कि श्री पी० आर० सिंह, अधिशासी अभियन्ता, हाइडिल विभाग की कार से लखीमपुर-खीरी में सम्भवत: नैपाल से वापसी में, कुछ अवैध विदेशी माल की बरामदगी की गई।

परिषद् द्वारा जो जांच कराई गई उससे यह विदित हुआ कि श्री सिंह नैपाल सीमा के नजदीक पलिया नामक स्थान पर गए थे। उनके साथ श्रीमती सिंह तथा एक अन्य अधिकारी की पत्नी श्रीमती कुरेशी भी थीं। वहां से लौटते समय उनकी गाड़ी का निरीक्षण कस्टम अधिकरियों द्वारा लखीमपुर निरीक्षण गृह में किया गया जिसके फलस्वरूप श्रीमती सिंह तथा श्रीमती कुरेशी के सूटकेसों में कुछ अवैध सामान बरामद हुआ जिसके लिए कस्टम ऐक्ट के अन्तर्गत उचित कार्यवाही करके कस्टम अधिकारियों द्वारा उक्त महिलाओं पर जुर्माना किया गया।

मामले की जांच विजिलेन्स द्वारा की गई जिसकी रिपोर्ट राज्य विद्युत् परिषद् को अग्रिम कार्यवाही के लिए भेज दी गई है।

जहां तक दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का प्रश्न है, परिषद् द्वारा इस मामले में अभी आगे छानबीन की जा रही है तथा यह निर्णय हो जाने पर कि मामले में कोई अधिकारी दोषी है अथवा नहीं, उसके विरुद्ध यथानुसार यथोचित कार्यवाही की जायगी।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि इस उत्तर में ही, प्रारम्भ में यह स्वीकार किया गया है कि हाइडिल विभाग के अधिशासी अभियन्ता, लखीमपुर खीरी की कार से नैपाल से वापस आते समय सीमा पर अवैधानिक विदेशी माल बरामद किए गए। यह बड़ा भयंकर मामला है कि विद्युत परिषद् की कार नं० यू० टी० डी० 5211 बावजूद शासन के आदेश के नैपाल में चली गयी, दो अधिकारियों के साथ। तो जहां तक सतर्कता विभाग की बात है, एक पत्र श्री एस० बी० सरन, विजिलेन्स

कम कम्पलेन्ट आफिसर, इन्डो-नेपाल बार्डर पटना का है, जिसमें दिया हुआ है—

"Complaint against engineers of U. P. State Electricity Board

Vehicle no. UTD 5211 had been used by S/Sri P. R. Singh, Executive Engineer, Hydel and M. Y. Qureshi, Superintending Engineer, Hydel for the purpose."

1. Nylex Delux Shaton printed.
2. Nylon Kragine.
3. Nylex crape no. 644.
4. Camera Diana.
5. Fountainpen.
6. Gillette Safety Razor.
7. Gillette blades.
8. Tape-recorder Cassettee
9. Toilet spray.
10. Ear beeds.
11. Key ring.

श्री अध्यक्ष—

क्या ये सब विदेशी सामान हैं जो बरामद किए गए ?

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

जी हां। और 807 रुपये कस्टम के तौर पर रियलाइज किये गए औरतों से और अधिकारी से। तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि सारी इन्क्वायरी विजिलेन्स करती रहे, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है कि इन अधिकारियों को निलम्बित नहीं किया गया, इतने गम्भीर आरोप होते हुए भी ?

(अनेक सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए और कुछ माननीय सदस्यों ने साथ-साथ बोलना प्रारम्भ कर दिया।)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग एक-एक करके कहें।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को मीसा में बन्द करना चाहिए तो इनके निलम्बन में क्या दिक्कत है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष जी, महिलाओं के सम्बन्ध में उसी वक्त कार्यवाही हो गयी है। विजिलेन्स की अब रिपोर्ट आयी है और निर्णय लिया गया है कि इन अधिकारियों के खिलाफ, जो विजिलेन्स की रिपोर्ट है, उसके आधार पर, तुरन्त शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जाय। वह निलम्बन से ज्यादा कुछ हो सकती है।

(शोर—अनेक सदस्य एक साथ बोलने लगे।)

श्री अध्यक्ष—

एक-एक करके पूछिए।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, मेरे ही जिले में यह मिस्टर सिंह तैनात हैं और कुरेशी साहब भी आजमगढ़ में तैनात हैं। दोनों की औरतों का दोष है।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको व्यक्तिगत जानकारी देने की इजाजत नहीं देता। आप जुर्म की स्थिति जो सम्भव है वह बतायें ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, मैं सवाल पूछ रहा हूं। मैंने डिवीजनल कान्फ्रेन्स में जहां पर तमाम अधिकारी इकट्ठे थे, वहां पर मैंने चर्चा की थी कि यह सिंह साहब और अधिकारी चोरी में सहायक हैं और मैंने कहा था कि इनके खिलाफ ऐक्शन लेना चाहिए। इस बात के लिए सरकार ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की है और उसी ने मेरे खिलाफ सरकार को नोटिस दिया है कि श्री काशीनाथ ने एसा कहा। तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी बराबर शिकायत करने के बावजूद मौजूद हैं ?

श्री अध्यक्ष—

अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ। मन्त्री जी ने यह कहा कि निलम्बन से अधिक कोई गम्भीर बात उनके खिलाफ की जाने वाली है।

(अनेक सदस्य साथ-साथ बोलने लगे)

इससे आप सन्तुष्ट नहीं हैं तो इस पर आप चर्चा क्यों नहीं मांगते हैं ?

*19—श्री गोविन्द सिंह नेगी —

[1ले सोमवार (1-11-76) में तारांकित प्रश्न संख्या 38 के अन्तर्गत उत्तरित।]

बस्ती जिले के डाक्टरों का कार्यकाल एवं उनके स्थानान्तरण की मांग

*20—श्री गोपी नाथ कामेश्वरपुरी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जिला बस्ती के अस्पताल में इस समय कितने डाक्टर ऐसे हैं जो नियमानुसार निर्धारित अवधि से भी अधिक समय से नियुक्त हैं ? यदि हां, तो क्यों और क्या इनको शीघ्र स्थानान्तरित कर दिया जाएगा ?

श्री प्रभुनारायण—

जी हां, केवल 6 डाक्टर ऐसे हैं जो 5 वर्ष से अधिक समय से नियुक्त हैं। प्रशासनिक आधार पर फिलहाल इन्हें स्थानान्तरित नहीं किया जा रहा है।

इलाहाबाद के ग्राम सराय हरीराम क्षेत्र में अस्पताल की स्थापना की मांग

*21—श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिला इलाहाबाद, ब्लाक प्रतापपुर के अन्तर्गत ग्राम सराय हरीराम तथा आसपास के गांव में कोई एलोपैथिक, यूनानी एवं आयुर्वेदिक अस्पताल नहीं है जिससे वहां की जनता को घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो सरकार इसकी तुरन्त व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री प्रभुनारायण—

जी नहीं। लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रतापपुर चिकित्सा सम्बन्धी कार्य कर रहा है।

गं.सगंज, कानपुर के विद्युत् गृह के लिये अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे का भुगतान

*22—श्री केशरी लाल (जिला कानपुर)—

क्या विद्युत् मन्त्री को जानकारी है कि जनपद कानपुर के अन्तर्गत सब स्टेशन मूसानगर कब बनाया गया था तथा भूमि किस काश्तकार से ली गई थी ? उस काश्तकार को भूमि का पैसा कितना तथा कब दिया गया है ? सब स्टेशन की लागत कितनी है ?

नोट :— तारांकित प्रश्न संख्या 18 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

गौसगंज (मूसानगर) में 33/11 के0 वी0 विद्युत् उप गृह मार्च, 1975 में बन कर तैयार हुआ था। इस विद्युत् उपगृह के लिए श्री जनक नरेश सिंह, ग्राम रसूलपुर, परगना भोगनीपुर, जिला कानपुर की 3.30 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई है। इस भूमि का प्रतिकर (मुआवजा) अभी तक नहीं दिया जा सका है क्योंकि कागजात भूमि अध्याप्ति अधिकारी, कानपुर के यहां लम्बित है। विद्युत् उपगृह के निर्माण की कुल लागत रु0 2 45,500.00 है।

कानपुर, घाटमपुर-गजनेर विद्युत् लाइन के निर्माण पर व्यय की गई धनराशि

*23—श्री केशरी लाल—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि कानपुर जनपद के अन्तर्गत घाटमपुर से गजनेर में बिजली लाइन कब बिछाई गई थी और उपरोक्त लाइन को बिछाने में कितना रुपया खर्चा हुआ था। उपरोक्त लाइन में कितने कनेक्शन दिए जा चुके हैं और लाइन कब से चल रही है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जिला कानपुर में घाटमपुर–गजनेर 11 के0 वी0 लाइन का निर्माण वर्ष 1972–73 में कुल लागत रुपए 1,23,600.00 में हुआ। उस क्षेत्र में किसी भी इच्छुक उपभोक्ता के न आने के कारण अप्रैल, 1976 तक कोई कनेक्शन नहीं दिया गया है। जुलाई, 1975 में इस लाइन से कन्डक्टर की चोरी हो जाने के कारण यह लाइन बन्द पड़ी है।

फर्रुखाबाद के कस्बा सौरिख को टाउन एरिया घोषित किये जाने की मांग

*24—डाक्टर धर्मपाल सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जिला फर्रुखाबाद, तहसील छिबरामऊ के कस्बा सौरिख को टाउन एरिया क्षेत्र घोषित करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो इसका निर्णय कब तक होने की सम्भावना है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जिला फर्रुखाबाद, तहसील छिबरामऊ के कस्बा सौरिख को टाउन एरिया क्षेत्र घोषित करने का कोई प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है। अतः उसके निर्णय का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बड़ागांव वाराणसी का भवन एवं परिवार नियोजन केन्द्र बड़ागांव बसनी का विद्युतीकरण

*25—श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी हेल्थ सेन्टर, बड़ागांव, वाराणसी की इमारत अभी तक पूरी नहीं बन पाई है और परिवार नियोजन केन्द्र बड़ागांव बसनी की इमारतों का विद्युतीकरण नहीं हो पाया है जब कि 1975 में ही 9 हजार रुपए विद्युत् परिषद्, वाराणसी को दिया जा चुका है? यदि हां, तो क्यों?

श्री प्रभु नारायण—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बड़ागांव, जिला वाराणसी का भवन बन कर तैयार हो गया है तथा परिवार नियोजन केन्द्र, बड़ागांव, बसनी के सभी भवनों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो चुका है।

जल निगम, उत्तर प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार संबंधी पत्र

*26—श्री ऊदल—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जल निगम, उत्तर प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं सामान की खरीदारी में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई पत्र प्रश्नकर्ता एवं श्री राम चन्द बक्श सिंह, विधायक ने दिनांक 26 मार्च, 1976 तथा दूसरा पत्र 12 मई, 1976 को दिया है? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? क्या श्री राज कुमार शर्मा, पी0 ए0 अधिशासी अभियन्ता, चीफ इन्जीनियर, जल निगम के सम्बन्ध में कोई जांच सतर्कता विभाग द्वारा भी हो रही है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय विधायकों का केवल एक ही पत्र दिनांक 26 मार्च, 1976 को शासन में प्राप्त हुआ था। जिस पर अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, जल निगम से जांच कराई गई। उनकी रिपोर्ट दिनांक 29 अक्तूबर, 1976 को प्राप्त हुई है जिसका परिणाम परीक्षण किया जा रहा है।

जी हां।

प्रदेश में स्वास्थ्य अधिकारियों को खाद्य नमूना संग्रह करने का अधिकार

*27—श्री अठई राम—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश के समस्त जिला व नगर के स्वास्थ्य अधिकारियों को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, के अन्तर्गत जांच करने के लिए खाद्य नमूना संग्रह करने का अधिकार है? यदि हां, तो उनके द्वारा कितने खाद्य नमूने वर्ष 1975-76, मई तक संग्रह किये गए? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रभु नारायण—

जी हां। प्रश्नगत अवधि में उक्त अधिकारियों द्वारा 506 नमूने संग्रह किए गए। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

सी० एम० ओ०, गोंडा का स्थानान्तरण

*28—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोन्डा)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सी0 एम0 ओ0, गोन्डा का स्थानान्तरण जनता की शिकायतों के कारण अभी हाल ही में किया गया ह? यदि हां, तो प्रमुख-प्रमुख शिकायतें क्या-क्या हैं? शिकायतों की जांच किससे कराई गई? क्या कोई शिकायत स्थानीय महिला अस्पताल के किसी डाक्टर से नाजायज सम्बन्धों के विषय में भी प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या रिपोर्ट है?

श्री प्रभुनारायण—

जी नहीं। स्थानान्तरण का कारण जनता की शिकायत नहीं है।
प्रश्न नहीं उठता।
प्रश्न नहीं उठता।
जी नहीं।
प्रश्न नहीं उठता।

*29—श्री त्रिवेणी सहाय—

[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया।]

बहराइच में चेचक से कथित मृत्यु

*30—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनवरी, 1976 से दिनांक 15 अप्रैल, 1976 तक बहराइच जिले में कितनी महिला, पुरुष एवं बच्चे चेचक बीमारी से मरे ? क्या उन्हें चेचक का टीका लगा था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रभु नारायण—

प्रश्नगत अवधि में बहराइच जिले में चेचक बीमारी से कोई ग्रस्त नहीं हुआ। शेष प्रश्न नहीं उठता।

बल्ली प्लाट, बरेली के लिये बल्लियों की आपूर्ति

*31—श्री अब्दुल रऊफ लारी—

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 1973-74 तथा 1974-75 में गोरखपुर, गोन्डा तथा बहराइच के जंगलों से कितनी बल्लियां, बल्ली प्लांट, (टी0 टी0 प्लान्ट) बरेली द्वारा खरीदकर मंगाई गई और उनम से कितनी बल्लियां, बल्ली प्लान्ट, गोरखपुर को उक्त अवधि में उसके द्वारा भेजी गईं ? बरेली से गोरखपुर बल्ली भेजने पर कितनी धनराशि लोडिंग तथा अनलोडिंग पर तथा ढुलाई पर खर्च हुई तथा उनको गोरखपुर भेजने का आधार क्या था ? जब कि ये बल्लियां गोरखपुर के आस-पास के जंगलों से खरीदी गई थीं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

वर्ष 1973-74 तथा 1974-75 में गोरखपुर, गोन्डा तथा बहराइच के जंगलों से बल्ली प्लान्ट, बरेली के लिए कोई बल्ली खरीदकर नहीं मंगाई गयी। अतः बल्लियों की लोडिंग व ढुलाई पर किसी प्रकार के खर्च का प्रश्न ही नहीं उठता।

तहसील घोसी, आजमगढ़ के अन्तर्गत हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण

*32—श्री जफर आजमी (जिला आजमगढ़)—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगी कि जनपद आजमगढ़, तहसील घोसी के ग्राम नदवा सराय, ग्राम हरिजन बस्ती मीरा, ग्राम सराय गंगा पनकी में जनवरी, 74 में उक्त ग्रामों को विद्युत् देने के लिए खम्भे गाड़े गए हैं और अब तक वाइरिंग नहीं की गई है न बिजली दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां। ग्राम नदवा सराय तथा सराय गंगा पनकी की हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिये जो खम्भे गाड़े गए थे वे अब भी बगैर तार के मौजूद हैं। इन तीन हरिजन बस्तियों के हफ्ते भर में तार लगा कर विद्युतीकरण के लिए आदेश परिषद् द्वारा जारी कर दिए गए हैं। विलम्ब के कारणों की जांच की जा रही है।

आजमगढ़ के ग्राम गोन्ठा की करबला भूमि पर बिजली सब-स्टेशन का निर्माण

*33—श्री जफर आजमी—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोन्ठा ग्राम, जनपद आजमगढ़, तहसील घोसी के ताजियादारों का रास्ता बिजली का सब-स्टेशन बनाकर रोक दिया गया है ? क्या यह सही है कि ग्राम सभा की जमीन पर बिना इजाजत चहार दिवाल बनाई गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

ग्राम सभा इब्राहिमाबाद तथा सरकौली द्वारा प्रस्ताव पास करके इस सब स्टेशन के निर्माण के लिए सहमति देने के पश्चात् ही भूमि प्राप्त की गई थी। करबला की भूमि की वापसी के प्रश्न को आपसी समझौते द्वारा तय कराने के लिए जिलाधिकारी, आजमगढ़ से कह दिया गया है।

चण्डीगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में उद्योग विभाग द्वारा लगायी गई प्रदर्शनी पर व्यय तथा उससे आय

*34—श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)—

क्या लघु उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि माह दिसम्बर, 1975 व जनवरी, 1976 में विभाग की कोई प्रदर्शनी चन्डीगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में लगायी गई? क्या यह भी सही है कि उक्त प्रदर्शनी में सामान ले जाने व लाने तथा पन्डाल लगाने में लगभग दस लाख रुपया व्यय हुआ है? यदि हां, तो उक्त प्रदर्शनी में कितने रुपए के सामान ले जाए गए? इस प्रदर्शनी से विभाग को क्या आर्थिक लाभ हुआ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

1—जी हां।

2—जी हां।

3—प्रदर्शनी में जो भी सामान ले जाया गया था वह प्रदर्शन एवं प्रचार हेतु था और राज्य की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा निःशुल्क दिया गया था जो कि प्रदर्शनी समाप्त होने के पश्चात् सम्बन्धित इकाइयों को वापस कर दिया गया। अतः उसका मूल्य आंकने की आवश्यकता नहीं रहती।

4—ऐसी प्रदर्शनी से विभाग को तो प्रत्यक्ष रूप में आर्थिक लाभ नहीं होता किन्तु वस्तुओं के प्रदर्शन द्वारा राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका प्रचार होता है और विक्रय हेतु उनकी मांग बढ़ जाती है जिससे उत्पादकों को आर्थिक लाभ होने के साथ-साथ अधिक उत्पादन के लिए इकाइयों को प्रोत्साहन प्राप्त होता है और राज्य की औद्योगिक क्षमता में वृद्धि होती है।

जिला अस्पताल, बलिया के कम्पाउन्डरों एवं क्लर्कों के विरुद्ध शिकायतें

*35—श्री अब्दुल रऊफ लारी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के सदर अस्पताल में स्टोर तथा एमरजेन्सी वार्ड में कौन-कौन क्लर्क या कम्पाउन्डर गत कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं? उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है? क्या जनपद के कुछ लोगों की उनके प्रति शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं और सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

श्री प्रभु नारायण—

जिला अस्पताल, बलिया के विभिन्न औषधि भन्डारों तथा एमरजेन्सी वार्ड में कार्यरत कम्पाउन्डरों एवं क्लर्कों से सम्बन्धित वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी जा रही है। इनमें से सर्वश्री बलराम प्रसाद तथा शिव शंकर प्रसाद के विरुद्ध मरीजों को बिना पैसा लिए दवा न देने, उसे बाजार में बेचने तथा ड्यूटी के समय शराब के नशे में होने (केवल श्री बलराम प्रसाद के विषय में) की शिकायतें शासन को प्राप्त हुई थीं। शिकायतों की जांच कराने के पश्चात् उसे निराधार पाया गया।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 601 पर।)

*36—श्री भीखा लाल—

[उरे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

स्वायत्त शासन विभाग के कर्मचारियों को दिये जाने वाले महंगाई भत्ते का प्रतिशत

*37—श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सही है कि प्रदेश के स्वायत्त शासन कर्मचारियों को केवल 20 प्रतिशत ही महंगाई भत्ता दिया जाता है जब कि शासन द्वारा स्वीकृत 36 प्रतिशत है ? यदि हां तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां।

स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दिए जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

गाजीपुर के लासिमाबाद, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निरीक्षिका, कुमारी डी० विलासिनी द्वारा आत्मदाह

*38—श्री रघुबीर (जिला गाजीपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर के लासिमाबाद, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वास्थ्य निरीक्षिका कुमारी डी0 विलासिनी ने दिनांक 10 जून, 1976 को लगभग 8 बजे रात्रि में अपने क्वार्टर में आत्मदाह कर लिया है ? यदि हां, तो क्यो ?

श्री प्रभु नारायण—

जी हां।

आत्मदाह व्यक्तिगत कारणों से किया गया था।

बलिया में उद्योग विभाग द्वारा उद्योग चलाने हेतु दिया गया ऋण

*39—श्री रघुनाथ (जिला बलिया)—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के अन्तर्गत उद्योग विभाग द्वारा वर्ष 1973 से 1976 तक कितने व्यक्तियों को उद्योग चलाने हेतु कर्ज दिया गया और जिस कार्य हेतु कर्ज लिया गया उस कार्य में लगाया गया ? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

बलिया जनपद में उद्योग विभाग द्वारा वर्ष 1973 से 1976 तक 33 व्यक्तियों को उद्योग चलाने हेतु ऋण दिया गया है। उनमें 30 व्यक्तियों ने ऋण राशि को उसी उद्योग में लगाया है जिसके लिए उन्होंने ऋण लिया।

शेष 3 व्यक्तियों ने, जिन्होंने ऋण राशि उस कार्य में नहीं लगाई, जिसके लिए ऋण लिया था, उनसे पूर्ण ऋण राशि की वसूली की कार्यवाही की गई है। जिसके फलस्वरूप इनमें से एक ने सम्पूर्ण अदायगी कर दी है व बाकी के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही चल रही है।

उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड द्वारा समितियों तथा संस्थाओं को दिया गया ऋण

*40—श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 29 अक्तूबर, 1975 या उसके आस-पास उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से फर्जी ढंग के लाखों रुपए का ऋण और अनुदान प्राप्त करने वाली 959 कथित संस्थाओं के गायब होने का पता सरकार को चला है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा धन वसूली के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड द्वारा जिन समितियों तथा संस्थाओं को ऋण एवं अनुदान दिया जाता है उनसे निर्धारित वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करा ली जाती है तभी ऋण अथवा अनुदान वितरित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

*41—श्री बाबू लाल वर्मा—

[तृतीय सत्र 1975 के 4थे गुरुवार (6-5-76) में तारांकित प्रश्न संख्या 52 के अन्तर्गत उत्तरित।]

*42—श्री दीनानाथ सेवक—

[2रे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 47 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*43—श्री गोविन्द सिंह नेगी —

[3रे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 22 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

वाराणसी को चितईपुर की सड़क को पक्का किये जाने की मांग

*44—श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी नगर महापालिका के प्रशासक को कोई पत्र दिनांक 27 मई, 1976 व 10 जून, 1976 के विधान सभा क्षेत्र वाराणसी में स्थित चितईपुर की सड़क जो नगर महापालिका की सीमा के अन्दर है, को बनवाने के लिए मांग की गई थी, प्राप्त हुआ था? यदि हां, उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई? और सड़क कब तक पक्की बन जायगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां, दोनों पत्र प्रशासक नगर महापालिका, वाराणसी को प्राप्त हुए थे।

सड़क की पूरी लम्बाई में ईंट की सीलिंग पहले ही लगाई जा चुकी थी परन्तु धनाभाव के कारण पक्की नहीं कराई जा सकी। महापालिका के पुनरीक्षित बजट में इसके लिए प्राविधान किया जा रहा है तथा प्राविधान होने के बाद यथासम्भव शीघ्र सड़क पक्की कराने की कार्यवाही की जाएगी।

नसबन्दी को अनिवार्य किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

*45—श्री शतरुद्ध प्रकाश—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या निकट भविष्य में नसबन्दी को अनिवार्य करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है? अगर हां, तो उसका आधार क्या होगा? यदि नहीं तो क्यों?

श्री प्रभु नारायण—

सम्प्रति ऐसा विचार नहीं है क्योंकि जनता स्वतः परिवार नियोजन कार्यक्रम अपना रही है।

मातृ शिशु कल्याण केन्द्र मोहम्मदपुर, आजमगढ़ के भवन का कथित किराये का भुगतान

*46—श्री दया राम भास्कर—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, मोहम्मदपुर ब्लाक मोहम्मदपुर तहसील सदर, जिला आजमगढ़ के किराए के सम्बन्ध में कोई पत्र दिनांक 29 सितम्बर, 1975 को जिलाधीश, आजमगढ़ दिनांक 26 अक्तूबर, 1975

को स्वास्थ्य निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ व डिप्टी सी० एम० ओ० आजमगढ़, दिनांक 21 अक्तूबर, 1975 व चिकित्साधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोहम्मदपुर, आजमगढ़ दिनांक 27 सितम्बर, 1975 को दिया है ? यदि हां, तो शासन द्वारा उक्त मातृ शिशु कल्याण केन्द्र मोहम्मदपुर आजमगढ़ के भवन के किराए का भुगतान क्यों नहीं किया गया ?

श्री प्रभु नारायण—

जनपद अधिकारियों तथा स्वास्थ्य निदेशक को इस सम्बन्ध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। चूंकि विभाग द्वारा उक्त भवन किराए पर नहीं लिया गया है अतः किराए के भुगतान का प्रश्न नहीं उठता है।

*47—श्री राम सजीवन—

[2रे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 25 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*48—श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

[3रे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 23 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*49—श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला—

[3रे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 24 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

गोरखपुर मंडल में छोटी चेचक का प्रकोप एवं रोकथाम

*50—श्री हरिकेवल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर मन्डल में माह फरवरी, 1976 से जून, 1976 तक छोटी चेचक से पांच हजार से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और हजारों व्यक्ति चारपाई पर मरणासन्न की हालत में पड़े हैं ? यदि हां, तो बचाव हेतु अब तक कौनसी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री प्रभु नारायण—

गोरखपुर मन्डल में प्रश्नगत अवधि में छोटी चेचक से केवल दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई। प्रश्नगत अवधि में रोग के प्रकोप का विवरण निम्न प्रकार है :—

जिला		ग्रस्त	मृत्यु
(1) आजमगढ़	..	3291	0
(2) बस्ती	..	2192	1
(3) देवरिया	..	3528	0
(4) गोरखपुर	..	3354	1
योग	..	12365	2

रोग की सूचना मिलते ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्साधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी जांच के लिए जाते हैं और रोगी के उचित उपचार का प्रबन्ध करते हैं।

कानपुर मेडिकल कालेज के डाक्टर आर० के० थापर का निलम्बन

*51—श्री सन्त सिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर मेडिकल कालेज के वरिष्ठ चिकित्सक (डा० थापर) को जून, सन् 1975 में निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त मामले में अब तक अन्तिम निर्णय न लिए जाने का क्या कारण है ?

श्री प्रभु नारायण—

डा0 आर0 के0 थापर, रीडर इन पीडियाट्रिक कार्डियोलाजी, मेडिकल कालेज, कानपुर को शासनादेश दिनांक 28 जून, 1975 द्वारा निलम्बित किया गया था। उन्हें व्याबसायिक अक्षमता, व्यावहारिक दुराचरण तथा चिकित्सकों की आचार संहिता के विरुद्ध असावधानी एवं अनुत्तरदायी ढंग से कार्य करने के कारण निलम्बित किया गया है। इनके विरुद्ध की जा रही विभागीय जांच की कार्यवाही अभी पूरी नहीं हो पायी है। इसलिए इनके मामले में अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा माइनारिटी कम्युनिटी के स्कूलों में परिवर्धन की स्वीकृति

*52—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अरबन सीलिंग (लैन्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, 1976 की धारा 29, माइनारिटी कम्युनिटी के स्कूलों पर भी लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लागू किया जा रहा है और उनके स्कूलों मे परिवर्धन आदि की स्वीकृति नहीं दी जा रही है जिससे पढ़ाई में नुकसान हो रहा है? यदि हां, तो क्यों?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेई—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बांदा के कर्वी कस्बे के अस्पताल का भवन और एक्सरे मशीन हेतु जनता द्वारा दिया गया चन्दा

*53—श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बांदा के कर्बी कस्बे में सरकारी अस्पताल के भवन, निर्माण का शिलान्यास राज्य के भूतपूर्व स्वास्थ्य मन्त्री, ने 1973 में किया था? यदि हां, तो निर्माण कार्य अब तक न आरम्भ करने के क्या कारण हैं? क्या अस्पताल के निर्माण की स्वीकृति देकर कार्य शीघ्र शुरू कराया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रभु नारायण—

जी हां, तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री द्वारा प्रश्नगत भवन का शिलान्यास किया गया था। वर्ष 1973-74 में शासन द्वारा अस्पतालों के भवनों को नान फंक्शनल घोषित कर दिया गया जिस कारणवश प्रश्नगत अस्पताल के भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। अब यह प्रतिबन्ध हटा लिया गया है, किन्तु चालू वित्तीय वर्ष में धनाभाव के कारण निर्माण कार्य हेतु धन आवंटित नहीं किया जा सका है। आर्थिक संकट के कारण यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि उक्त भवन का निर्माण कब तक करवाना सम्भव हो सकेगा।

*54—श्री रामसजीवन—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह भी कृपया बतायेंगे कि कर्वी के सरकारी अस्पताल के लिए एक एक्सरे मशीन खरीदने हेतु जनता की ओर से चन्दा करके सी0 एम0 ओ0, बांदा के पास तैंतालीस हजार रुपए लगभग 4 वर्ष पूर्व जमा किया है? यदि हां, तो एक्सरे मशीन खरीद कर अभी तक क्यों नहीं लगाई गई? क्या उसे शीघ्र ही लगा दिया जाएगा?

श्री प्रभुनारायण—

कर्वी अस्पताल जिला बांदा में एक्सरे मशीन हेतु जनता ने 41,000 रुपए दान में दिया था न कि 45,000 रुपए। एक 50 एम0 एक्सरे प्लान्ट के लिए इतनी धनराशि पर्याप्त नहीं है।

नसबन्दी कराने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के किराये को माफ किये जाने की मांग

*55—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी) तथा श्री शिवकुमार पान्डेय (जिला सुल्तानपुर)—
क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि परिवार नियोजन द्वारा जो सुविधायें प्रदान की गई हैं इनके अलावा जिन राज्य चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने नसबन्दी करवा ली है। (या जो कर्मचारी नसबन्दी करवा ले) तथा जिनके नाम सरकारी क्वार्टर एलाट है का किराया माफ करने के प्रश्न पर विचार करेगी? यदि हां, तो यह सुविधा कब तक प्रदान कर दी जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रभुनारायण—
जी नहीं।

यदि नसबन्दी कराने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को यह सुविधा दी जाती है तो नसबन्दी कराने वाले अन्य कर्मचारी भी जो सरकारी क्वार्टरों में रहते हैं इसी प्रकार की मांग कर सकते हैं जिसे वित्तीय कारणों से मानना सम्भव न होगा।

नगरपालिका बरेली को सरकार द्वारा आवंटित धनराशि

*56—श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—
क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगी कि प्रदेश सरकार ने 1974-75, 1975-76 तथा 1976-77 में बरेली नगरपालिका को कुल कितना रुपया दिया?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—
नगरपालिका बरेली को वर्ष 1974-75, 1975-76 तथा 1976-77 (6 अक्तूबर, 1976 तक) में प्रदेश सरकार द्वारा क्रमश: रुपया 41,34,507 रुपए 27,41,633 एवं रुपए 3,69,681 दिए गए।

शाहजहांपुर में मदनापुर एवं खेड़ा बझेड़ा विद्युत् लाइन में खराबी से मृत्यु की घटना और कतिपय ग्रामों में लिये गये अनियमित विद्युत् कनेक्शन

*57—श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—
क्या विद्युत् मन्त्री को पता है कि शाहजहांपुर में मदनापुर फीडर ब्रांच खेड़ा बझेड़ा लाइन बहुत दिनों से खराब चल रही थी और इस खराबी को दूर करने के लिए लाइन मैन ने आवश्यक सामग्री जूनियर इन्जीनियर सब-हाईडिल स्टेशन, मीरानपुर कटरा से दिनांक 15 फरवरी, 1976 तथा 21 जून, 1975 में मांगी किन्तु जूनियर इन्जीनियर ने कोई कार्यवाही नहीं की फलस्वरूप ग्राम खेड़ारठ जैतीपुर में एक लड़की व एक जवान आदमी बिजली से मर गया? यदि हां, तो जूनियर इन्जीनियर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और अब क्या लाइन ठीक करवा दी गई? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—
यह सच है कि 11 के0 वी0 मदनापुर फीडर तथा 11 के0 वी0 टी0 आफ खेड़ा बझेड़ा में कुछ खराबियां थी जिसका उल्लेख लाइन मैन ने अपनी पैट्रोलिंग रिपोर्ट दिनांक 15 फरवरी, 1976 तथा 11 अप्रैल, 1976 में किया था। इन खराबियों को जूनियर इन्जीनियर द्वारा तत्परता से दूर नहीं किया जा सका जिसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

छोटी लड़की तथा एक नवयुवक की घातक दुर्घटना लो टेन्शन लाइन पर हुई तथा स्टे वायर में बिजली आ जाने तथा इन व्यक्तियों के स्टे वायर के सम्पर्क में आने के कारण घटित हुई। ये स्टे वायर सर्वश्री नरेन्द्र पालसिंह एवं सालिग राम शर्मा के औद्योगिक कनेक्शनों की सीमा में थे।

लाइन की खराबियों को दूर कर दिया गया है।

*58—श्री मोहम्मद रफी खां—

क्या विद्युत् मन्त्री को जानकारी है कि शाहजहांपुर जिले में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् परिषद, शाहजहांपुर की आज्ञा से मदनापुर फीडर खेड़ा बझेड़ा पर ग्राम रजपुरा पिटर आई, रमपुरिया तथा नंगला में नलकूपों के कनेक्शन से चक्की धान मशीन आदि डाइरेक्ट कनेक्शन चल रहे हैं ? यदि हां तो इनकी जांच कराकर अधिशासी अभियन्ता तथा जूनियर इन्जीनियर, मीरनपुर कटरा सब-स्टेशन के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां।

इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं । मामले की जांच कराकर दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिये निर्धारित नसबन्दी आपरेशन का लक्ष्य

*59—श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (जिला गोन्डा) तथा श्री मन्ना लाल (जिला लखीमपुर-खीरी)—

क्या यह सही है कि चिकित्सा तथा स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन विभाग के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को प्रतिमाह नसबन्दी आपरेशन के कुछ केसेज देना अनिवार्य है अन्यथा उनको वेतन न दिए जाने के आदेश वर्ष 1976 में प्रसारित किए गए हैं और बिना यह कोटा पूरा किए उनको वेतन भी नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां तो किस-किस कैडर के कर्मचारियों को कितने-कितने नसबन्दी आपरेशन के केसेज प्रति माह या तिमाही देना निवार्य किया गया है ? क्या कर्मचारियों की कठिनाइयों को देखते हुए केसेज के कोटों की संख्या घटाने के सम्बन्ध में शासन पुनः विचार करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री प्रभु नारायण—

जी हां, विभाग के तृतीय श्रेणी के क्षेत्रीय कर्मचारियों के लिए इस प्रकार के आदेश प्रसारित किए गए थे परन्तु बिना कोटा पूरा किए वेतन न दिए जाने के आदेश को 6 सितम्बर, 1976 में वापस ले लिया गया है। जिन कर्मचारियों के लिए नसबन्दी आपरेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है उनकी सूची संलग्न है। सम्प्रति कोटे की संख्या को घटाने का कोई विचार नहीं है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 602 पर।)

सादाबाद टाउन एरिया, मथुरा के अवक्रमण का प्रस्ताव

*60—श्री राम प्रकाश यादव (जिला मथुरा)—

क्या यह सही है कि परगनाधिकारी सादाबाद, मथुरा ने दिनांक 25 फरवरी, 1975 को टाउन एरिया कमेटी, सादाबाद, का निरीक्षण किया था और उन्होंने घोर अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के अनेकों केस पकड़े ? यदि हां तो सरकारी शासनादेश संख्या 1624/91-43-71-72, दिनांक 22 जनवरी, 1974 के अन्तर्गत इसको अवक्रमित किया जायगा ? यदि नहीं, तो किन आधारों पर ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां।

अवक्रमण का प्रस्ताव जिले से दिनांक 27 अक्तूबर, 1976 को प्राप्त हुआ है जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

दारुलसफा चिकित्सालय को दवाइयों की आपूर्ति करने वाली फर्मों के नाम

*61—श्री सत्य पाल मलिक (जिला मेरठ)—

क्या वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दारुलशफा में स्थित एलोपैथिक चिकित्सालय को 1975-76 में कौन-कौन सी फर्म ने दवाई इत्यादि सप्लाई की और इस साल के प्रारम्भ में तीन महीनों में किस-किस फर्म ने कितनी-कितनी धनराशि की दवाइयां सप्लाई की हैं ?

श्री प्रभु नारायण—

यह सूचना संलग्न तालिका 'क' में दी हुई है।

यह सूचना संलग्न तालिका 'ख' में दी हुई है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 603–604 पर।)

टाउन एरिया कमेटी सादाबाद, मथुरा की आडिट आपत्तियां

*62—श्री राम प्रकाश यादव—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जनपद मथुरा की सादाबाद टाउन एरिया की आडिट रिपोर्ट वर्ष 1973-74 जो कि जनवरी-फरवरी 1975 में घोषित की गई है उसमें क्या-क्या अनियमिततायें पाई गई हैं। और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

टाउन एरिया कमेटी सादाबाद, जिला मथुरा की वर्ष 1973-74 की आडिट रिपोर्ट जिलाधिकारी को मई, 1976 में प्राप्त हुई। आडिट आपत्तियों का सारांश संलग्न है। जिलाधिकारी ने उक्त समिति को निदेश दिया कि आडिट आपत्तियों का अनुपालन किया जाय किन्तु समिति ने अभी तक आडिट आपत्तियों का अनुपालन नहीं किया है। जिलाधिकारी ने संस्तुति की है कि इस टाउन एरिया कमेटी को अवक्रमित कर दिया जाय जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 605 पर।)

कार्यालय, सहायक श्रमायुक्त, बरेली के लिपिक श्री ब्रह्म दत्त शर्मा का निलम्बन

*63—श्री सत्य प्रकाश—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली श्रमायुक्त कार्यालय में दिनांक 15 जुलाई, 1975 को आर० सी० ओ० के पेशकार व कुछ अन्य कर्मचारी रिश्वत के मामले में पकड़े गए थे ? यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

दिनांक 15 जुलाई, 1975 को क्षेत्रीय सहायक श्रमायुक्त, बरेली के कार्यालय के लिपिक श्री ब्रह्मादत्त शर्मा को सतर्कता विभाग के उपाधीक्षक द्वारा एक सौ रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था।

श्री शर्मा को उसी दिन (दिनांक 15 जुलाई, 1975 को) निलम्बित कर दिया गया तथा उनका मामला सतर्कता अधिष्ठान के विचाराधीन है।

विद्युत् सब-स्टेशन, आनन्दनगर, गोरखपुर के लाइन इन्सपेक्टरों के विरुद्ध शिकायतें की जांच

*64—श्री लक्ष्मी नारायन पांडे (जिला गोरखपुर)—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगी कि विद्युत् सब-स्टेशन आनन्द नगर, जिला गोरखपुर के लाइन इन्सपेक्टर के खिलाफ दिनांक 26 मई, 1972, 26 अक्तूबर, 1974, 4 नवम्बर, 1974, 26 दिसम्बर, 1974, 2 जनवरी, 1975, 16 जून,

1975 तथा 28 जुलाई, 1975 को विभागीय सम्पत्ति का दुरुपयोग करने, अनियमित ढंग से लाइन देने तथा अन्य प्रकार के कई आरोपों के सम्बन्ध में शिकायती दरख्वास्तें शासन को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां।

दो लाइन इन्सपेक्टरों (जूनियर इन्जीनियर) सर्वश्री बी0 के0 श्रीवास्तव तथा एल0 बी0 त्रिपाठी आनन्दनगर सब-स्टेशन, जिला गोरखपुर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच परिषद् की सतर्कता इकाई द्वारा कराई गई। श्री बी0 के0 श्रीवास्तव के विरुद्ध जांच सितम्बर, 1976 में पूरी हुई। यद्यपि इनके खिलाफ कोई भी आरोप साबित नही हुए फिर भी इनका स्थानान्तरण गोरखपुर से वाराणसी कर दिया गया है और इन्होंने वाराणसी में दिनांक 11 अक्तूबर, 1976 को अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लिया है। श्री एल0 बी0 त्रिपाठी के विरुद्ध परिषद् की सतर्कता इकाई ने अपनी जांच सितम्बर, 1975 में पूर्ण कर ली और इनका स्थानान्तरण जुलाई 1975 में ही गोरखपुर से अकबरपुर जिला फैजाबाद को कर दिया गया है। श्री त्रिपाठी ने अकबरपुर में दिनांक 28 अक्तूबर, 1975 को अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लिया है। श्री एल0 बी0 त्रिपाठी के विरुद्ध आरोपों में से कुछ आरोप प्रमाणित हुए हैं। और इस सम्बन्ध में मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, वाराणसी को जनवरी 1976 में इनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही करने के निदेश दिए गए। विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। फिर भी कार्यवाही पूरी होने तक मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) द्वारा श्री त्रिपाठी को दिनांक 30 अक्तूबर, 1976 को निलम्बित कर दिया गया है।

वाराणसी, टाउन एरिया गोपीगंज के कार्यवाहक अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*65—श्री रामरति बिन्द (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद वाराणसी की टाउन एरिया गोपीगंज के कार्यवाहक चेयरमैन (उपाध्यक्ष) के खिलाफ दिनांक 19 अगस्त, 1975, दिनांक 1 जनवरी, 1976 व दिनांक 12 अप्रैल, 1976 तथा 22 जुलाई, 1976 व दिनांक 18 अगस्त, 1975 से 31 जुलाई, 1976 तक गबन तथा भ्रष्टाचार करने के शिकायती-पत्र जिलाधीश, वाराणसी को मिला है ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां।

टाउन एरिया गोपीगंज के कार्यवाहक अध्यक्ष के विरुद्ध तीन प्रकार की शिकायतें थीं :—

(1) उपाध्यक्ष के चुनाव के सम्बन्धित,

(2) निर्माण कार्यों से सम्बन्धित,

(3) अन्य।

उपाध्यक्ष के चुनाव से सम्बन्धित प्रश्न पर उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 30 अगस्त; 1976 को चुनाव के पक्ष में हुआ है। अतः इस सम्बन्ध में अब किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित शिकायतों की जांच प्राविधिक अधिकारियों द्वारा कराई जा रही है। अन्य शिकायतें निराधार पाई गई हैं।

बहराइच, कस्बा नानपारा में अस्पताल की स्थापना की मांग

*66—श्री फजलुर्रहमान अन्सारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बहराइच के कस्बा नानपारा में, जिसकी आबादी लगभग 25,000 है, राजकीय अस्पताल खोले जाने का कोई प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रभुनारायण—

जी नहीं।

जल निगम, लखनऊ के श्री राजकुमार शर्मा प्रथम, अधिशासी अभियन्ता के स्थानान्तरण की मांग

*67—श्री फजलुर्रहमान अन्सारी—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम में अधिशासी अभियन्ता श्री राजकुमार शर्मा (प्रथम भूतपूर्व वैयक्तिक सहायक, मुख्य अभियन्ता) एक तारतम्य में लगातार विगत कितने वर्षों से लखनऊ में ही किन-किन कार्यों तथा पदों पर कार्यरत हैं, एवं कब से कब तक अलग-अलग कार्यों तथा पदों पर किस-किस उच्च अधिकारी से सीधे सम्बद्ध रहे हैं। इस समय यह किस कार्यालय में तथा कहां कार्यरत हैं ? क्या सरकार इनको लखनऊ से अन्यत्र स्थानान्तरित करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

श्री राज कुमार शर्मा (प्रथम) अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम, लगातार विगत 5 वर्ष 4 माह से लखनऊ में ही कार्यरत हैं। इस अवधि में वह जिन-जिन कार्यों तथा पदों पर कार्यरत रहे एवं जिन-जिन उच्च अधिकारियों से सीधे सम्बद्ध रहे उसका विवरण संलग्न सूची में दिया है। इस समय श्री शर्मा, द्वितीय सर्वेक्षण एवं अनुसन्धान शाखा, लखनऊ में अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्यरत हैं। श्री शर्मा का स्थानान्तरण लखनऊ से मिर्जापुर जल निगम द्वारा कर दिया गया था परन्तु उनके बच्चों की शिक्षा व पारिवारिक परिस्थितियों के कारण जल निगम द्वारा उन्हें पुनः लखनऊ में मुख्यालय से हटा कर जल निगम के द्वितीय सर्वेक्षण एवं अनुसन्धान शाखा, में तैनात कर दिया गया है वर्तमान शिक्षा सत्र के समाप्त होने के पश्चात् लखनऊ से अन्यत्र इन्हें स्थानान्तरित करने पर जल निगम द्वारा विचार किया जाएगा।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 606–607 पर।)

श्री बलिराम हरिजन, निवासी महुआपार, बलिया की नसबन्दी एवं उनकी मृत्यु

*68—श्री रघुनाथ—

क्या स्वास्थ्य एवं न्याय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री बलिराम हरिजन, ग्राम महुआपार ग्राम सभा कामसीपुर, तहसील रसड़ा, जनपद बलिया की नसबन्दी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरायभरती में की गई थी जिसकी मृत्यु दिनांक 26 जून, 1976 को हो गई ? क्या उक्त हरिजन को नसबन्दी के बाद ए0 टी0 एस0 का इन्जेक्शन लगाया गया था ? मृत्य का कारण क्या था ?

श्री प्रभु नारायण—

जी हां।

इनकी मृत्यु दिनाक 26 जुलाई, 1976 को हुई। इन्हें ए0 टी0 एस0 का इन्जेक्शन लगाया गया था। मृत्यु टिटनेस के कारण हुई।

वाराणसी की तहसील ज्ञानपुर के लिये जल सम्पूर्ति योजना

*69—श्री गिरिजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के अन्तर्गत तहसील ज्ञानपुर में विगत कई वर्षों से पेयजल का संकट बना हुआ है? यदि हां, तो सरकार ने अब तक किन-कन गांवों में पेयजल की व्यवस्था की? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी—

जी हां।

जनपद वाराणसी की तहसील ज्ञानपुर में अभी तक स्थायी रूप से केवल पिपरिस पेयजल योजना, जिसमें एक गांव शामिल है, पूरी करके चालू की जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त जनपद वाराणसी की ज्ञानपुर तहसील के 260 ग्रामों की पेयजल समस्या के समाधान हेतु 18 जल सम्पूर्ति योजनाओं के प्राक्कलन बनाए गए जिसकी अनुमानित लागत 137.394 लाख रुपया है। आवश्यक धन प्राप्त होने पर उनके कार्यान्वियन की स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी।

होटल एवं रेस्तरां कर्मचारियों का विचाराधीन न्यूनतम वेतन

*70—श्री कैलाश सिंह (जिला बलिया)—

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि होटल एवं रेस्तरां कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन का मामला सरकार के विचाराधीन है। यदि हां, तो कब से और अब कब तक उस पर निर्णय लिया जाएगा?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां, प्रश्नगत कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन का मामला जून, 1975 से विचाराधीन है तथा शासन शीघ्र ही उस पर अन्तिम निर्णय लेने के लिए प्रयत्नशील है।

बस्ती के स्वास्थ्य केन्द्रों पर एफ० डब्लू० डब्लू० की नियुक्तियां

*71—श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि मास अप्रैल 1975 में बस्ती जनपद के अधिकांश स्वास्थ्य केन्द्रों पर एफ0 डब्ल्यू0 डब्ल्यू0 (जिन्होंने अभी हाल ही में ए0 एन0 एम0 का प्रशिक्षण पूरा किया) के पद पर नियुक्ति जिले के निकट केन्द्रों पर न करके दूर-दूर के केन्द्रों पर की गई है? जिसके कारण कर्मचारियों में भारी असन्तोष व्याप्त है और अधिकांश लोगों ने अपने नियुक्ति स्थान पर कार्यभार नहीं सम्भाला? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार 1 से 15 अप्रैल, 1975 के मध्य नियुक्त एफ0 डब्ल्यू0 डब्ल्यू0 की सूची तथा बस्ती जनपद में दिनांक 16 अप्रैल, 1975 को एफ0 डब्ल्यू0 डब्ल्यू0 के रिक्त पदों की सूची सदन के पटल पर रखेगी?

श्री प्रभुनारायण—

नियुक्तियां दूर व पास वाले दोनों केन्द्रों पर की गई हैं। दिनांक 1 अप्रैल, 1975 से 15 अप्रैल, 1975 के मध्य जिला प्रशिक्षण प्राप्त एफ0 डब्ल्यू0 डब्ल्यू0 की नियुक्ति की गई उन सभी ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उक्त अवधि के मध्य नियुक्त एफ0 डब्ल्यू0 डब्ल्यू0 की सूची तथा इस जनपद में दिनांक 1 अप्रैल, 1975 को एफ0 डब्ल्यू0 के रिक्त पदों की सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 608–609 पर।)

भूमि आवंटन करने के संबंध में लक्ष्मी महिला विद्यापीठ, गौतम बुद्ध मार्ग, लखनऊ का प्रार्थना-पत्र

*72—श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त लक्ष्मी महिला विद्यापीठ, गौतमबुद्ध मार्ग, लखनऊ ने भवन निर्माण भूमि आबंटन हेतु प्रार्थना-पत्र सरकार को इस वर्ष दिए हैं ? यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां।

लक्ष्मी महिला विद्यापीठ, गौतमबुद्ध मार्ग, ने आर० टी० ओ० आफिस के पीछे स्थित नजूल भूमि का आवंटित करने का अनुरोध किया था। यह भूमि उक्त संस्था को आबंटित करना सम्भव नहीं है, क्योंकि प्रश्नगत भूमि श्रीराम आर्फनेज को बहुत पहले ही पट्टे पर दी जा चुकी है ? अतः किसी अन्य संस्था को उपलब्ध करने का प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर मण्डल के डाक्टरों का स्थानान्तरण

*73—श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 1976 से 31 अगस्त, 1976 के मध्य किन-किन डाक्टरों का स्थानान्तरण गोरखपुर मन्डल से अन्य जनपदों में किया गया तथा किन-किन डाक्टरों का अन्य जनपदों से गोरखपुर मन्डल में किया गया ? क्या यह सही है कि गोरखपुर जनपद में अन्य जनपदों से उन्हीं डाक्टरों का स्थानान्तरण किया गया जिनका होम डिस्ट्रिक्ट भी वही है ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में उनका स्थानान्तरण होम डिस्ट्रिक्ट में किया गया है ?

श्री प्रभुनारायण —

मार्च, 1976 से 31 अगस्त, 1976 तक के मध्य गोरखपुर मन्डल से बाहर 40 तथा गोरखपुर मन्डल में अन्य जनपदों से 41 डाक्टरों का स्थानान्तरण किया गया। गोरखपुर जनपद में ऐसे किसी डाक्टर का स्थानान्तरण नहीं किया गया जिसका होम डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर हो।

कानपुर में हिन्दुस्तान कामर्शियल बैंक की विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का विवरण

*74—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या विद्युत मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिला (देहात) की डेरापुर तहसील में विकास खंड झींझक और रसूलाबाद में हिन्दुस्तान कामर्शियल बैंक की विद्युतीकरण की योजना पर कार्य हो रहा है ? यदि हां, तो यह सम्पूर्ण योजना क्या है इसके लिए कितनी धनराशि का प्राविधान है इस पर कार्य कब से प्रारम्भ हुआ था और कब तक इसे पूर्ण होने का लक्ष्य है तथा बैंक से विभाग को अब तक कितनी धनराशि प्राप्त हो चुकी है उसमें कितनी व्यय की जा चुकी है और कौन-कौन लाइनें बन गई तथा कितने ग्रामों और हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण कर दिया गया है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां।

हिन्दुस्तान कामर्शियल बैंक योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य होना था :—

(अ)—

(1) विद्युतीकरण के लिए प्रस्तावित ग्रामों की संख्या .. 123

(2) कृषि सेवा कनेक्शनों की संख्या .. 658
(3) औद्योगिक विभागों की संख्या .. 241
(4) घरेलू उद्योग सम्बन्धी कनेक्शनों की संख्या .. 1,977
(5) मार्ग प्रकाश बस्तियों की संख्या .. 1,100

(ब)—

(1) योजना की लागत रुपया .. 65.11 लाख
(2) वित्तीय सहायक संस्था हिन्दुस्तान कामर्शियल बैंक —
प्रथम वर्ष रुपया .. 21.77 लाख
द्वितीय वर्ष रुपया .. 43.34 लाख

(स) 11 के0 वी0 लाइनें —
(1) ॥ के0 वी0 लाइनों की लम्बाई
(अ) मैन . 81.00 किमी0
(ब) स्पर .. 124.54 किमी0
(2) एल0 टी0 लाइनों की लम्बाई—
(अ) 3 फेस वितरण लाइन .. 60.25 किमी0
(ब) 2 फेस वितरण लाइन .. 20.65 किमी0
(स) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 3 फेस लाइनों की लम्बाई 197.4 किमी0

11/0.4 के0 वी0 ट्रान्सफार्मर एवं उपस्थान —
(अ) 25 के0 वी0 ए0 .. 40 नं0
(ब) 25 के0 वी0 ए0 (ग्रामों के लिए) .. 54 नं0
(स) 63 के0 वी0 ए0 .. 43 नं0
(द) 100 के0 वी0 ए0 . 31 नं0

(द) इस योजना के अन्तर्गत आने वाले ब्लाक
1—रसूलाबाद
2—झींझक।

इस योजना के लिए 65.11 लाख रुपये का प्राविधान है। उक्त योजना पर वर्ष 1975 के माह अगस्त से कार्य प्रारम्भ हुआ। इस योजना के पूर्ण होने का लक्ष्य दो वर्ष है।

इस योजना के अन्तर्गत विभाग को बैंक से 21.77 लाख रुपया प्राप्त हुआ जिसमें से 9.4 लाख रुपया उक्त योजना पर व्यय हो चुका है। इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित लाइनों का निर्माण हो चुका है :—

1—झींझक, कुन्डोली, मुन्डौली .. 12 किमी0
2—मंडरा, रानेपुर, रसूलाबाद .. 7.8 किमी0
3—किशोरा ताजपुर . 8.6 किमी0
4—असालतगंज, रानीपारा महराजपुर .. 18.2 किमी0
5—असालतगंज पूरनपुर .. 15.9 किमी0

इस योजना में अब तक 10 ग्रामों एवं 4 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण कर दिया गया है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के सहायक एवं अवर अभियन्ताओं के निलम्बन आदेश का निरस्तीकरण

*75—श्री सरस्वती प्रताप सिंह (जिला खीरी)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने केन्द्रीयकृत सेवा के कुछ सहायक एवं अवर अभियन्ताओं को वर्ष 1975 में बिना किसी

प्राधिकार के निलम्बित कर दिया था जो राज्य सरकार द्वारा अगस्त, 1976 में निरस्त कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या इन सहायक एवं अवर अभियन्ताओं को निलम्बन काल का वेतन दिया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा एक सहायक अभियन्ता को दिनांक 5-12-75 तथा तीन अवर अभियन्ताओं को क्रमश: 8-9-75, 22-10-75 तथा 5-12-75 को निलम्बित किया गया था।

सहायक अभियन्ता ने निलम्बन आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया तदनुसार उस पर निलम्बन आदेश प्रभावित नहीं हुआ। अत: सहायक अभियन्ता को निलम्बन काल का वेतन भुगतान करने का प्रश्न ही नहीं उठता। बाद में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सहायक अभियन्ता का निलम्बन आदेश दिनांक 10-8-76 को निरस्त कर दिया।

एक अवर अभियन्ता के विरुद्ध जांच कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उनको 31-5-76 को बहाल कर दिया और निलम्बन काल की अवधि के वेतन का पूर्ण भुगतान भी कर दिया। शेष दो अवर अभियन्ताओं को भी उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण ने दिनांक 10-8-76 से बहाल कर दिया। उपाध्यक्ष ने यह भी सूचित किया है कि इन दोनों अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध जांच पूरी न हो सकने के कारण उनको निलम्बन काल अवधि के वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका।

*76—श्री खचेडू सिंह मोहरिया—

[पुनर्विचार पर निरस्त।]

देवरिया, नगरपालिका, पडरौना के बोर्ड एवं अध्यक्ष को जारी की गयी नोटिस

*77—श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिलाधिकारी, देवरिया को नगर-पालिका पडरौना के बोर्ड एवं अध्यक्ष के विरुद्ध की गई शिकायत की जांच सितम्बर, 1975 से अप्रैल, 1976 तक हुई और उक्त जांच की रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है ? यदि हां, तो उक्त जांच रिपोर्ट क्या है और उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां, जांच रिपोर्ट में उल्लिखित आरोपों में से अधिकांश आरोप नगरपालिका पडरौना के बोर्ड एवं अध्यक्ष के विरुद्ध सिद्ध पाये गये जिनके आधार पर नगरपालिका बोर्ड पडरौना तथा उक्त बोर्ड के अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस के साथ आरोप पत्र जारी करके उनका स्पष्टीकरण मांगा गया है।

देवरिया में हैजे का प्रकोप एवं रोक-थाम के लिये की गयी कार्यवाही

*78—श्री हरिकेवल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में हैजा रोग से अगस्त, 1976 से अब तक 500 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और हजारों व्यक्ति रोग ग्रस्त हैं इसका प्रसार तेजी के साथ हो रहा है जिसमें सर्वाधिक प्रसार, रामपुर कारखाना, रुद्रपुर, सलेमपुर, लार भाटपाररानी, भलुझानी, भटनी तथा भागलपुर विकास खंडों में है ? यदि हां, तो रोक-थाम के लिये कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री प्रभु नारायण—

जी नहीं। फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से देवरिया जनपद में 77042 हैजा निरोधक टीके लगाये जा चुके हैं तथा 5138 कुओं का विसंक्रमण कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त देवरिया जनपद तथा उसके समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपचार हेतु पर्याप्त मात्रा में अवश्यक औषधियां उपलब्ध हैं।

टाउन एरिया; भोगांव, मैनपुरी के वाटर वर्क्स के पानी से ग्राम नरसिंहपुर की फसल को कथित हानि और नाला बनाने हेतु टाउन एरिया द्वारा पारित प्रस्ताव

*79—श्री रघुवीर सिंह (जिला मैनपुरी) तथा श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में टाउन एरिया, भोगांव और ग्राम नरसिंहपुर के बीच की करीब पांच सौ बीघा जमीन पर उगी फसल हर साल टाउन एरिया, भोगांव के वाटर वर्क्स के पानी तथा बारिश के पानी से डूब जाती है जिससे लगभग एक लाख रुपये का हर साल काश्तकारों का नुकसान होता है ? यदि हां, तो इससे राहत देने हेतु तुरन्त सरकार कदम उठायेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

टाउन एरिया भोगांव और ग्राम नरसिंहपुर के बीच करीब 500 बीघा नशेवी भूमि (Low lying) है जिस पर बर्षा का पानी भर जाता है। टाउन एरिया कमेटी द्वारा संचालित वाटर वर्क्स का पानी इसमें नहीं आता है। इससे काश्तकारों को कोई हानि नहीं होती है बल्कि धान की फसल नशेवी भूमि होने के कारण बहुत अच्छी होती है। फसल रबी में लेट वैरायटी हमेशा बोई जाती है जिसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है। इन परिस्थितियों में काश्तकारों को राहत देने का प्रश्न नहीं उठता है।

*80—श्री रघुवीर सिंह तथा श्री धर्म सिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त काश्तकारों की टाउन एरिया भोगांव के वाटर वर्क्स के पानी व बारिश के पानी से बचाव के लिए दिनांक 7 जुलाई, 1975 को एक नाला बनाने को सर्वसम्मति से टाउन एरिया कमेटी, भोगांव ने प्रस्ताव पारित कर शासन को भेजा था ? यदि हां, तो उपरोक्त नाला कब तक बन जाएगा ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

टाउन एरिया कमेटी भोगांव द्वारा दिनांक 7-7-75 को एक प्रस्ताव अपनी सीमा में नाला बनवाने हेतु पास किया था परन्तु यह प्रस्ताव शासन को नहीं भेजा गया है क्योंकि टाउन एरिया इस कार्य को कराने में सक्षम है। टाउन एरिया ने अपने इस प्रस्ताव पर अभी कोई कार्यवाही नहीं की है।

अतारांकित प्रश्न

विश्व स्वास्थ्य सेवा संगठन का कुष्ठ रोग निवारण हेतु कथित कार्यक्रम

1—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि विश्व स्वास्थ्य सेवा संगठन द्वारा वर्ष 1976 कुष्ठ रोग निवारण के कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के लिये छांटा गया है ? यदि हां, तो इस वर्ष में प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग इस दिशा में क्या-क्या कदम उठाने जा रहा है ?

श्री प्रभुनारायण—

जी नहीं।

अतः कोई कदम उठाने का प्रश्न नहीं उटता है।

2—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

[6-5-76 को तारांकित प्रश्न संख्या 52 के अन्तर्गत उत्तरित ।]

3—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

[पुनर्विचार पर निरस्त ।]

लखनऊ मास्टर प्लान की योजना

4—श्री मोहम्मद शकील अहमद—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मास्टर प्लान, लखनऊ नगर महापालिका द्वारा पास हुआ था और क्या मास्टर प्लान बनाने से पूर्व टाउन प्लानर, उत्तर प्रदेश ने इन स्थानों का निरीक्षण भी किया था ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

लखनऊ माटर प्लान उत्तर, प्रदेश नगर महापालिका इम्प्रूवमेन्ट स्कीम एण्ड मास्टर प्लान रुल्स 1965 के अन्तर्गत वर्ष 1970 में शासन द्वारा अनुमोदित किया गया था।

लखनऊ विनियमित क्षेत्र की महायोजना बनाने से पूर्व मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के नेतृत्व में नियोजन दल द्वारा सम्पूर्ण विनियमित क्षेत्र के भू-उपयोग सर्वेक्षण करने हेतु निरीक्षण किया गया ।

राजकीय चिकन उत्पादन केन्द्र, लखनऊ पर व्यय की गयी धनराशि और उत्पादित माल

5—श्री मोहम्मद शकील अहमद—

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ चिकन उद्योग बोर्ड की स्थापना के बाद से 29 फरवरी, 1976 तक चिकन के माल की तैयारी पर कितना रुपया सरकार ने लगाया और कितने रुपए का माल तैयार हुआ ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

लखनऊ चिकन उद्योग बोर्ड नामक कोई संस्था नहीं है। फरवरी, 1974 में लखनऊ में एक राजकीय चिकन उत्पादन केन्द्र की स्थापना हुई थी। तब से 29 फरवरी, 1976 तक चिकन, के माल की तैयारी पर 5,74,000 रु0 लगाया गया तथा 3,06,000 रु0 मूल्य का माल तैयार हुआ ।

लखनऊ नगर महापालिका की कतिपय कालोनियों का बकाया किराया और अनधिकृत कब्जेदारों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही

6—श्री मोहम्मद शकील अहमद—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि लखनऊ नगर महापालिका की ओर से बनायी गयी चौपटिया नैपियर रोड नम्बर 1, नैपियर रोड नम्बर 2, निराला नगर, बाल्दा रोड, महानगर तथा रीवर बैंक कालोनी में जिन लोगों को मकान एलाट किए गए थे उन पर कुल कितना किराया बाकी है और उसको वसूलने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

नगर महापालिका द्वारा निर्मित प्रश्नगत कालोनियों में दिनांक 31 मार्च, 1976 तक कुल भवन किराया अवशेष रु0 1,83,475 था उक्त अवशेष किराये की धनराशि की वसूलयाबी के लिये बकायेदारों के विरुद्ध धारा 129-ए के अधीन विहित प्राधिकारी के न्यायालय में वाद दायर किये गये हैं जिनमें से कुछ मामलों में न्यायालय के निर्णय के उपरर न वसूली में प्रगति हुई है। शेष मामले अभी न्यायालय के विचाराधीन हैं।

7—श्री मोहम्मद शकील अहमद—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ नगर महापालिका की ओर से बनायी गई चौपटियां, रीवरबैंक कालोनी, निशात टाकीज कालोनी, निरालानगर, महानगर तथा निशातगंज वाल्दा रोड में फ्लेटों पर कितने लोग नाजायज कब्जा किये हुए हैं और उनके विरुद्ध नगर महापालिका की ओर से क्या-क्या कार्यवाही हुई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

नगर महापालिका द्वारा बनाई गई चौपटिया कालोनी में एक, रिवर बैंक में एक, निराला नगर में दो, महानगर में दो, निशात टाकीज कालोनी में एक, वाल्दा रोड में एक अनधिकृत कब्जेदार हैं। उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 129-ए के अन्तर्गत वाद दायर किये गये हैं।

लखनऊ नगर महापालिका की नैपियर रोड कालोनी नं० 2 के हरिजन आवंटियों क. निकाले जाने की नोटिस

8—श्री मोहम्मद शकील अहमद—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि लखनऊ नगर महापालिका की ओर से बनायी गई नैपियर रोड कालोनी नम्बर 2 में हाल ही में जिन गरीब हरिजनों की भूमि लेकर उनको इस कालोनी में क्वार्टर दिये गए थे अब उनको नगर महापालिका द्वारा उससे निकाले जाने के नोटिस दी गई हैं तथा उन पर मुकदमें भी चला दिये गये हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

केवल 29 हरिजनों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। इनमें से 22 के विरुद्ध अवशेष किराये की वसूली हेतु तथा 8 के विरुद्ध अवशेष किराये की वसूली एवं अनधिकृत कब्जा होने के कारण वाद दायर किये गये हैं ।

कानपुर शुगर वर्क्स ब्रांच पडरौना, जिला देवरिया के निलम्बित कर्मचारी और स्वर्गीय श्री जगरनाथ सिंह फिटर हेल्पर के बकाये का भुगतान

9—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर शुगर वर्क्स ब्रांच, पडरौना, जिला देवरिया में वर्ष 1974-75 में कितने कर्मचारी निलम्बित, बर्खास्त तथा बलात सेवा निवृत्त किये गए? जिन कर्मचारियों के विरुद्ध उक्त कार्यवाहियां की गईं उनका कारण क्या था ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

कानपुर शुगर वर्क्स ब्रान्च, पडरौना, जिला देवरिया में वर्ष 1974-75 में कोई भी श्रमिक बर्खास्त तथा बलात सेवा निवृत्त नहीं किया गया। 19 कर्मचारी निलम्बित किये गये थे जो बाद में कार्य पर ले लिये गये। निलम्बन का कारण अधिक तौल, ड्यूटी में लापरवाही, ड्यूटी छोड़ना, लम्बी गैरहाजिरी, गबन, गाली-गलौज आदि थे।

10—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर शुगर वर्क्स, पडरौना (देवरिया) के फिटर हेल्पर, जगरनाथ सिंह का निधन 30 नवम्बर, 1974 को हो गया किन्तु आज तक उसकी अनाथ विधवा को मृतक की बकाया तनख्वाह, ग्रेच्युटी तथा भविष्य निधि, बोनस, ओवर टाइम आदि नहीं मिला है ? यदि हां, तो सरकार कब तक दिलाने की कृपा करेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी–

जी हां। मृतक के बकाये के तीन अलग-अलग दावेदार सेवायोजकों के समक्ष आये। ऐसी स्थिति में सेवायोजकों ने उन लोगों से जिला जज से जारी किये गये सक्सेशन सर्टीफिकेट की मांग की जिसे अभी तक दावेदारों में से किसी ने भी प्रस्तुत नहीं किया है। ज्योंही सक्सेशन सर्टीफिकेट प्रस्तुत किया जायेगा, सेवायोजक वास्तविक दावेदार को भुगतान कर देंगे।

बहराइच जिले के कतिपय ग्रामों के विद्युतीकरण की मांग

11—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि बहराइच जिले के विकास खंड हरिहरपुर रानी में पांडेपुरवा से चितईपुर होते हुए सेमरी चक पिहानी तक ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन बिजली पहुंचा दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

पांडेपुरवा से चितईपुर होते हुए सेमरी चक पिहानी तक की कोई लाइन स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में नहीं है बल्कि भिनगा से चकवा, अकबरपुर होते हुये अमवा तक की लाइन ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत है जिससे चितईपुर व चकपिहानी तथा अन्य गांवों को ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत बिजली दी जायेगी। इस लाइन पर कार्य शुरू हो चुका है। पोल साइट पर पहुंचाये जा रहे हैं।

12—श्री ऊदल—

[10वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

अध्यक्ष, नगरपालिका, खैराबाद के विरुद्ध कायम मुकदमे की वापसी

13—श्री मीखा लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना खैराबाद, जिला सीतापुर में मुकदमा नम्बर 201 धारा 409 भारतीय दण्ड विधान दिनांक 16 सितम्बर, 1972 को अध्यक्ष, नगरपालिका, खैराबाद के विरुद्ध कायम किया गया? यदि हां, तो इसकी विवेचना की गई अथवा नहीं और विवेचना का क्या परिणाम निकला?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां। इस मामले की विवेचना के पश्चात् श्री इशरत अली के विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया जो बाद में शासन द्वारा वापिस ले लिया गया।

अमीनाबाद, लखनऊ के शुक्ला वैष्णव होटल के विरुद्ध कायम मुकदमा

14—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1976 के 3रे गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या 30 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया बताएगी कि सम्बन्धित होटल का मुकदमा किस अदालत में कब से चल रहा है और सम्बन्धित अदालत ने उक्त होटल के मालिकान को बिना लाइसेन्स के होटल चलाने से सम्बन्धित स्टे आर्डर कब दिया?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

शुक्ला वैष्णव होटल के मुकदमें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में विभिन्न चालानों के अन्तर्गत क्रमशः 24 मार्च, 1975, 15 मई, 1975, 25 सितम्बर, 1975 एवं 22 मार्च, 1976 से चल रहे हैं।

अदालत द्वारा किसी स्टे आर्डर देने की सचना नहीं है।

आजमगढ़ के कतिपय ग्रामों में टाउन एरिया के बनाने की मांग

15—श्री राम सुन्दर पांण्डेय—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के ग्राम दुबारी लखनौर, घोसी, जीमनपुर, अजमतगढ़, बिलरियागंज महाराजगंज, लालगंज, देवगांव मेहनगर, बलीदपुर, मधुवन की जन संख्या अलग-अलग कितनी-कितनी है तथा उक्त ग्रामों को टाउन एरिया बनवाने में क्या दिक्कत है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

प्रश्नगत ग्रामों की जनसंख्या वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित है :—

ग्राम	जनसंख्या
1—दुबारी	8849
2—लखनौर	2288
3—घोसी	2647
4—जीयनपुर	2955
5—अजमतगढ़	3988
6—बिलरियागंज	4190
7—महराजगंज	2626
8—लालगंज	5854
9—देवगांव	1470
10—मेहनगर	4743
11—बलीदपुर	9273
12—मधुवन	6621

उक्त ग्रामों में से ग्राम धोसी में टाउन एरिया का सृजन शासन की विज्ञप्ति संख्या 9796 टी/9–1–46टी (3)/76, दिनांक 23 सितम्बर, 1976 द्वारा की जा चुकी है। लालगंज तथा अजमतगढ़ में टाउन एरिया का सृजन शासन के विचाराधीन है ग्राम जीमनपुर, बिलरियागंज, महाराजगंज, मेहनगर तथा बलीदपुर में टाउन एरिया सृजन के सम्बन्ध में जिला-स्तर पर प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है। ग्राम दुबारी, लखनौर, देवगांव तथा मधुवन में टाउन एरिया सृजन का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बांदा के राजापुर चिकित्सालय का जीर्ण भवन

16—श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा—

क्या चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के अन्तर्गत राजकीय चिकित्सालय राजापुर की इमारत जीर्ण अवस्था में है ? यदि हां, तो क्या सरकार नया चिकित्सालय भवन बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री प्रभुनारायण —

प्रश्नगत चिकित्सालय का भवन जीर्ण अवस्था में है किन्तु धनाभाव के कारण यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इस चिकित्सालय का नया भवन कब तक बनवाना सम्भव हो सकेगा।

17—श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा—

[6वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

ग्रामसभा, मऊ, बांदा को टाउन एरिया घोषित किये जाने की मांग

18—श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद की ग्रामसभा, मऊ को टाउन एरिया घोषित करने का विचार शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक घोषणा कर दी जाएगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

बांदा जनपद की ग्रामसभा, मऊ को टाउन एरिया घोषित करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

अतः इस सम्बन्ध में घोषणा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

टी० बी० अस्पताल, वाराणसी की एक्सरे मशीन और अस्पताल के व्यय का विवरण

19—श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टी0 बी0 अस्पताल, रामनगर, वाराणसी में एक्सरे मशीन 8 वर्ष से खराब पड़ी हुई है यदि हां, तो अब तक न बनाने का क्या कारण है ? कृपया यह भी बताएं कि उपरोक्त टी0 बी0 अस्पताल में 1972 से लेकर अब तक प्रति वर्ष कितने मरीज भर्ती हुए और प्रत्येक वर्षों में कितने-कितने रुपए की दवाइयां तथा और सामान खरीदे गए और मरीजों के खाने पर कितना रुपया व्यय किया गया ?

श्री प्रभुनारायण—

जी नहीं ।

उक्त अस्पताल की एक्सरे मशीन फरवरी, 1973 में खराब हुयी थी । उक्त मशीन मरम्मत एवं कार्य योग्य न होने के कारण कण्डम घोषित कर दी गयी तथा नयी एक्सरे मशीन की व्यवस्था मार्च, 1976 से कर दी गयी है ।

अन्य विवरण संलग्न है ।

[देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ. 610 पर ।]

20—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

(कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त ।)

वैसली इन्टर कालेज, आजमगढ़ में आयोजित प्रदर्शन में अग्निकाण्ड एवं क्षतिपूर्ति

21—श्री जफर आजमी —

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि आजमगढ़ शहर के वैसली इन्टर कालेज में हैण्डलूम प्रदर्शनी 19 जनवरी, 1976 को लगाई गई थी जिसमें बिजली के करेन्ट द्वारा आग लग जाने के कारण 50 हजार रुपये का हैण्डलूम का कपड़ा कई बुनकर दुकानदारों का जलकर राख हो गया ? उनकी मदद के लिये अब तक सरकार ने क्या राहत दी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

वैसली इन्टर कालेज, आजमगढ़ के प्रांगण में आयोजित प्रदर्शनी में 20/21 जनवरी, 1976 की रात्रि को आग लगने से चार दुकानों को लगभग बत्तीस हजार रुपये की हानि हुई ।

सम्बन्धित समितियों को उनसे प्रदर्शनी खर्च हेतु प्राप्त रु0 2275.77 वापस कर दिया गया और एक समिति को रु0 9000 हिस्सा पूंजी ऋण भी स्वीकृत किया गया । नियमानुसार और कोई सहायता देना सम्भव नहीं पाया गया ।

श्री संत सिंह यूसुफ द्वारा प्रश्न का उत्तर दिलाने की मांग

श्री संत सिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं कभी सवाल नहीं पूछता। मेरा एक सवाल है 51 नम्बर पर। अगर आप इसका जवाब दिलवा दें तो मेहरबानी होगी। नहीं तो अगले हफ्ते इसका जवाब दिलवा दीजिये, बहुत मेहरबानी होगी।

श्री अध्यक्ष—

कौन सा सवाल है ?

श्री संत सिंह यूसूफ—

नम्बर 51 पर।

श्री अध्यक्ष—

नं0 51 सवाल तक पहुंचे नहीं। 51 नम्बर सवाल को आप अल्पसूचित करके दे दें कि इसके संदर्भ में प्रश्न किया गया, मुझे अवसर नहीं मिला। अल्पसूचित कर लें, मैं स्वीकार कर लूंगा। दिनांक 8–9–10 तक आ जायगा। उत्तर के संदर्भ में प्रश्न दे दीजिये। यदि अतिरिक्त जानकारी चाहिये, तो ऐसा करके दे दीजिये।

उत्तर प्रदेश अल्प संख्यक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट †

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से अल्प संख्यक आयोग, उत्तर प्रदेश की (1 जुलाई, 1974 से 31 मार्च, 1975 तक की) वार्षिक रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखता हूं।

यू० पी० स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड की 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले प्रथम वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट †

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से दि यू0 पी0 स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ की 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले प्रथम वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट को, लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन सहित, कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619–ए के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

यू० पी० स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड की सातवीं वार्षिक रिपोर्ट 1973–74 तथा आठवीं वार्षिक रिपोर्ट 1974–75 †

कृषि राज्य मंत्री (श्री चेत राम गंगवार)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यू0 पी0 स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरशन लिमिटेड, लखनऊ, की सातवीं वार्षिक रिपोर्ट 1973–74 तथा आठवीं वार्षिक रिपोर्ट 1974–75 को, लेखा सम्प्रेक्षक की रिपोर्ट सहित, कम्पनीज ऐक्ट, 1956 को धारा 619–ए के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं विनियोजन लेखे 1974 75 को भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की 1974–75 की (सिविल) (वाणिज्यिक) एवं राजस्व प्राप्तियों पर रिपोर्ट †

राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं विनियोजन लेखे 1974–75 को, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की वर्ष 1974–75 की (सिविल) (वाणिज्यिक), एवं राजस्व प्राप्तियों पर रिपोर्ट, सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गई।

उत्तर प्रदेश बेसिक स्कूल कर्मचारी (परिवार नियोजन से सम्बन्धित सेवा की विशेष शर्तें) नियमावली, 1976 *

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा के शिक्षा अनुभाग 5 की अधिसूचना संख्या 5344/15 (5)-344-76, दिनांक 13 अगस्त, 1976 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश बेसिक स्कूल कर्मचारी (परिवार नियोजन से संबंधित सेवा की विशेष शर्तें) नियमावली, 1976 को, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा 19 की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा भविष्य निधि नियमावली, 1975 *

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से शिक्षा अनुभाग-5 की विज्ञप्ति संख्या 3525/15 (5) -334-73, दिनांक 19 जुलाई, 1975, द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा भविष्य निधि नियमावली, 1975 को, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा 19 की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1976*

गृह राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 7010-टी/तीस-4-184-टी-74, दिनांक 4 सितम्बर, 1976 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1976 को, मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संविदाओं और हस्तान्तरण पत्रों का निष्पादन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975 तथा विज्ञप्ति के सम्बन्ध में जारी किये गये शुद्धि पत्र †

विद्युत्, श्रम राज्य मंत्री (श्री रमेन्द्र वर्मा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निवास विभाग-अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0 4078/37-2-16(9)-(14) -66, दिनांक 5 दिसम्बर, 1975 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संविदाओं और हस्तान्तरण पत्रों का निष्पादन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975 तथा विज्ञप्ति सं0 539-एच/37-16(9)-14-66, दिनांक 18 मार्च, 1967 के संबंध में जारी किये गये शुद्धि-पत्र सं0 5610/37-2-16(9)--14-66, दिनांक 21 फरवरी, 1976 को, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 94 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड का 16वां वार्षिक प्रतिवेदन, 1973-74 †

श्रम राज्य मंत्री (श्री रमेन्द्र वर्मा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड का 16 वां वार्षिक प्रतिवेदन (1973-74) को लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन सहित, कम्पनीज ऐक्ट 1956 की धारा 619-ए के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष—

सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

---

*छापी नहीं गयी।

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1976–77) का नवां प्रतिवेदन**

*श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैं, सभापति, प्राक्कलन समिति की हैसियत से उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1976–77) का नवां प्रतिवेदन, जो 1972–73 की प्राक्कलन समिति के सहकारिता विभाग के अन्तर्गत सहकारी ऋण व्यवस्था से संबंधित, चौदहवें प्रतिदवेन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वियन के विषय में है, प्रस्तुत करता हूं।

मूल प्रतिवेदन, जिसमें 22 संस्तुतियां थीं, दिनांक 23 अप्रैल, 1973 को सदन में प्रस्तुत किया गया था तथा दिनांक 4 जुलाई, 1973 को उसकी प्रतियां सहकारिता विभाग को उसमें निहित संस्तुतियों के कार्यान्वियन के संबंध में भेजी गयी थीं। कार्यान्वियन संबंधी सूचनायें दिसम्बर, 1973 में प्राप्त हुई, जो कि पूर्ण नहीं थी। उन पर विचारोपरान्त समिति ने विभाग से कुछ अग्रेतर सूचनायें प्राप्त करने हेतु अपेक्षा की और तदनुसार एक अनुपूरक प्रश्नावली विभाग को भेजी गयी तथा संस्तुति संख्या 6 एवं 8 के कार्यान्वियनों के संबंध में भी सूचना मांगी गयी। विभाग ने 10 नवम्बर 1975 को उक्त सूचनायें उपलब्ध कराईं जिन पर समिति द्वारा 15 नवम्बर, 1975 को विचार किया गया और विभाग से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर प्रतिवेदन का आलेख्य तैयार किया गया। इसे समिति ने अपनी दिनांक 4 जून, 1976 की बैठक में सर्वसम्मति से स्वीकार किया।

मूल प्रतिवेदन में उल्लिखित संस्तुति संख्या 1 तथा 4 को शासन ने मान लिया है जिसका उल्लेख प्रतिवेदन के भाग 2 में है। संस्तुति संख्या 3 तथा 5–22 के सम्बन्ध में शासन के उत्तरों को समिति ने स्वीकार किया है। संस्तुति संख्या 2 के विषय में जिसमें साधनहीन कृषकों को ऋण देकर किसी न किसी सहकारी संघ का सदस्य बनाने की संस्तुति की गई थी, विभाग ने बताया कि सन् 1973–74 में 1972–73 की अपेक्षा कम सदस्य बनाए गए और 1973–74 में इस मद में 1972–73 की अपेक्षा स्वीकृत परिव्यय भी कम था। समिति ने देखा कि 1973–74 में स्वीकृत परिव्यय का पूर्ण उपयोग भी नहीं हुआ। अतः समिति ने इस प्रतिवेदन के भाग 4 में अपनी मूल संस्तुति पर बल देते हुए यह कहा है कि विभाग इस कार्य की प्रगति की ओर भविष्य में विशेष ध्यान दे।

समिति ने इस बात पर खेद प्रकट किया कि विभाग द्वारा वांछित सूचनायें देर से उपलब्ध कराने के फलस्वरूप कार्यान्वियन प्रतिवेदन का कार्य पूरा करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ जबकि मूल प्रतिवेदन की प्रथम संस्तुति में यह कहा गया है कि भविष्य में सभी सरकारी विभाग समिति द्वारा मांगी गई सूचनाओं को निर्धारित समय (3 सप्ताह के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दे। मुझे आशा है कि शासन विभागों की इस उदासीनता की प्रवृत्ति को शीघ्र दूर करेगा।

अन्त में मैं विधान सभा के सचिव तथा समिति से सम्बद्ध अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं जिनके परिश्रम और सहयोग से यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

श्री अध्यक्ष—

अगला।

उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1976–77) का दसवां प्रतिवेदन**

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, प्राक्कलन समिति की हैसियत से उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1976–77) का 10वां प्रतिवेदन प्रस्तुत

**छापा नहीं गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशीनाथ मिश्र]

करता हूं। इसका सम्बन्ध विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1974–75) के खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित तृतीय प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में शासन द्वारा की गयी कार्यवाही से है।

मूल प्रतिवेदन में 14 संस्तुतियां थीं जिन में से विभाग ने 13 संस्तुतियां मान ली हैं। संस्तुति संख्या 13 पर विभाग द्वारा दिये गये उत्तर को समिति ने स्वीकार कर लिया है। समिति की संस्तुतियों के सम्बन्ध में विभाग द्वारा दिये गये उत्तरों पर समिति ने दिनांक 27 फरवरी, 1976 की बैठक में विचार किया तथा उसके आधार पर प्रतिवेदन का प्रारूप तैयार किया जिसे समिति ने दिनांक 5 जून, 1976 को अपनी बैठक में सर्वसम्मति से स्वीकार किया।

मैं समिति की ओरसे खाद्य तथा रसद विभाग के तत्कालीन सचिव, श्री टंडन की प्रशंसा करता हूं जिन्होंने समिति की संस्तुतियों के कार्यान्वयन में बहुत ही तत्परता से कार्य करके एक आदर्श प्रस्तुत किया है।

अन्त में, मैं विधान सभा के सचिव तथा समिति से सम्बद्ध समिति अधिकारी एवं कर्मचारियों का आभार प्रकट करता हूं जिनके परिश्रम एवं सहयोग से प्रतिवदन तैयार किया गया है।

कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष––

कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी 4 नवम्बर, 1976 की बैठक में यह सिफारिश की है कि सदन के 4 नवम्बर, 1976 से 10 नवम्बर, 1976 तक के उपवेशनों में निम्नलिखित कार्यक्रम रखा जाये :––

4–11–76

निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण:––

1––उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1976
2––उत्तर प्रदेश नगर विकास विधि (संशोधन) विधेयक, 1976
3––उत्तर प्रदेश पशु क्रय–कर विधेयक, 1976
4––उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (उपान्तर सहित पुनः अधिनियमन) विधेयक, 1976
5––असरकारी संकल्प

दिनांक 5, 6 और 7 नवम्बर, को बैठक नहीं होगी।

8–11–76

(क) उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के सप्तम प्रतिवेदन पर विचार।

(ख) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण:––

(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1976, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।
(2) उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 1976, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।
(3) उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन) विधेयक, 1976, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।
(4) उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) विधेयक, 1976, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।

(5) प्रान्तीय दिवाला (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।

(6) उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1976 जैसा वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ ।

श्री अध्यक्ष—

9–11–1976

वित्तीय वर्ष 1970–71 तथा 1971–72 के लिये अतिरिक्त अनुदानों तथा वित्तीय वर्ष 1976–77 के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयकों का पुर:स्थापन एवं उनका पारण ।

10–11–1976

परिवार नियोजन पर चर्चा ।

आज 2 से 5 बजे तक असरकारी दिवस रहेगा ।

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा दी गयी सिफारिश से जिसकी सूचना अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

आज केवल एक सूचना श्री श्रीनारायण के नाम की है किन्तु वह नहीं हैं अत: यह समाप्त हुई ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1976*

न्याय मंत्री (श्री प्रभु नारायण)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय ।

यह विधेयक जो सदन के सामने प्रस्तुत है। इस उद्देश्य से लाया गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण नियम 1976 के अधीन लोक सेवा आयोगों की सेवा संबंधी मामलों के निपटार के लिये सेवा अधिकरणों का गठन किया गया था इस समय लखनऊ में भी 2 अधिकरण दिनांक 24 नवम्बर, 1975 से कार्य कर रहे हैं और इनकी कार्य प्रणाली के संबंध में कुछ कठिनाइयां सामने आयी थीं जिनके निवारण के लिये इस संशोधन विधेयक को प्रस्तुत किया जा रहा है ।

इस विधेयक में दो मुख्य बातें हैं । पहली बात तो यह है कि अधिकरणों द्वारा सेवाच्युति, निलम्बन, अनिवार्य सेवा निवृत्त आदि के संबंध में बहुत अधिक स्थगनादेश जारी किये जाते रहते हैं। यह अधिनियम की मंशा के विपरीत है क्योंकि ऐसे मामलों में यदि सरकार अथवा नियुक्ति प्राधिकारी का आदेश अन्ततोगत्वा अवैध पाया जाता है तो लोक सेवक आयोग को अपना पूरा-पूरा वेतन स्वयं ही मिल जाता है क्योंकि वह बराबर अपनी पुरानी

*2 नवम्बर, 1976 की कार्यवाही में छपा है ।

[श्री प्रभुनारायण]

सेवा में माना जाता है। अधिनियम की धारा 5 में यह संशोधन किया जाना है कि उपस्थित निलम्बन, सेवा समाप्ति, अनिवार्य सेवा निवृत्ति तथा रिवर्शन आदि के बारे में कोई स्थगनादेश न दिया जाय और यदि कोई स्थगनादेश इस समय प्रवृत्त हो तो उसे समाप्त समझा जाय ।

मान्यवर, जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वह सेवा संबंधी मामलों में जिसमें कि अंतरित इंजंक्शन दिये जा चुके हैं उनमें भी तभी तक के अंतरित इंजंक्शन माने जायं जबकि विरोधी पक्ष को 14 दिन का नोटिस दिय गया हो। मान्यवर, यदि यह देना बहुत जरूरी हो तो अंतरित इंजक्शन देने के बाद भी 14 दिन के अन्दर उसका डिस्पोजल कर दिया जाय इस संबंध में भी इस विधेयक में व्यवस्था की गयी है। इस विधेयक में एक बात यह भी कही गयी है कि जो उच्च न्यायालय स्टाफ और जो जुडीशियल आफिसर्स और विधान मंडल तथा लोक सेवा आयोगों के अधिकारी अधिकरणों के कार्य क्षेत्र में नहीं रखे गये हैं इसी अधिनियम के आधार पर जो नीचे के कर्मचारी हैं उनको भी ट्रिब्यूनल के कार्य क्षेत्र से अलग कर देने की बात हुई है। इसी के साथ-साथ मान्यवर, अभी तक इसमें जो प्रेजेंटिंग आफिसर सरकार की तरफ से ट्रिब्यूनल में रहते हैं वह एक ही प्रेजेंटिंग आफिसर रहता था उसमें एक असिस्टेंट प्रेजेंटिंग आफिसर और रखने की व्यवस्था की गयी है।

इसी संदर्भ में लोक सेवक की परिभाषा में संशोधन करते हुए कैनटूनमेंट बोर्ड के कर्मचारियों को इस अधिनियम की परिधि से हटा दिया गया है क्योंकि कैनटूनमेंट बोर्ड के जो नियम हैं उनको बनाने का अधिकार केन्द्र को है। इस संशोधन विधेयक के जरिये इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं अथवा अधिकारी हैं उनकी कार्य क्षमता बनी रहे, उनकी एफिशियेंसी बनी रहे। लेकिन अगर वे नियम व कायदे के अनुसार अथवा जनता की आकांक्षा के अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो इस सम्बन्ध में जो उनके खिलाफ कार्यवाही हो तो सरकार के सामने ऐसी स्थिति न आये अगर किसी का निलम्बन होता है तो तुरन्त ही उसी सम। उसको निलम्बन स्थगन का आदेश कोर्ट से मिल जाय। अतः कोर्ट की परिधि से इसको हटा लिया गया है। अन्त में मुझे यही निवेदन करना है कि कार्यक्षमता को कायम रखने की दृष्टि से, एफिशियेंसी को बनाये रखने की दृष्टि से और ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स की नैतिकता बनाये रखने की दृष्टि से यह संशोधन विधेयक लाया गया है।

श्री अध्यक्ष –

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2, 3, 4, 5 तथा खंड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1976

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जाएगा।

2—उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 1 में, उपधारा (4) में, खन्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, 1976 की धारा 1 का संशोधन

"(ख) उच्च न्यायालय के या उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय के अधिकारी या सेवक ;"

3—मूल अधिनियम की धारा 2 में,— धारा 2 का संशोधन

(एक) खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखि खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् —

"(कक) "प्रस्तुतकर्ता अधिकारी" में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सहायक प्रस्तुत-कर्ता अधिकारी भी सम्मिलित है ; "

(दो) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा अर्थात् —

"(ख)" 'लोक-सेवक' का तात्पर्य प्रत्येक ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित की सेवा में या उसका वेतन भोगी हो —

(एक) राज्य सरकार ; या

(दो) स्थानीय प्राधिकारी जो छावनी बोर्ड न हो ; या

(तीन) राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंन्त्रण में कोई अन्य निगम (जिसके अन्तर्गत कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में यथा परिभाषित कोई ऐसी कम्पनी भी है जिसमें राज्य-सरकार समादत्त अंशपूंजी का पचास प्रतिशत से अन्यून धारण करती है किन्तु कोई अन्य कम्पनी अपवर्जित होगी)"

4—मूल अधिनियम की धारा 5 में— धारा 5 का संशोधन

(i) उपधारा (1) में खण्ड (क) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् —

"परन्तु जहां किसी निर्देश की विषय वस्तु के सम्बन्ध में, सक्षम न्यायालय ने पहले ही डिक्री या आदेश पारित कर दिया है या समादेश (रिट) जारी कर दिया है या निदेश दे दिया है और ऐसी डिक्री, आदेश, समादेश या निदेश अन्तिम हो गया है, वहां पूर्व न्याय का सिद्धान्त लागू होगा" ;

(ii) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप धारायें बढ़ा दी जायेंगी अर्थात् —

"(5-क) अधिकरण किसी निर्देश से सम्बन्धित किसी कार्यवाही पर या कार्यवाही में कोई अन्तरिम आदेश (व्यादेश या स्थगन के रूप में या किसी अन्य रीति से) तब तक नहीं देगा, जब तक कि—

(क) ऐसे निर्देश की और अन्तरिम आदेश के लिए आवेदन की प्रतिलिपियां ऐसे अन्तरिम आदेश के लिए दलील के समर्थन में सभी दस्तावेजों के साथ, उस पक्षकार को न दे दी जायं, जिसके विरुद्ध ऐसी याचिका प्रस्तुत की जाती है ; और

(ख) ऐसे पक्षकार को उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कम-से-कम चौदह दिन का समय न दे दिया जाय और उस विषय में सुनवाई का अवसर न दे दिया जाय :

परन्तु अधिकरण खण्ड (क) और (ख) की अपेक्षाओं को अभिमुक्त कर सकता है और यदि उसका समाधान हो जाता है

कि प्रार्थी की किसी हानि, का, जिसकी क्षतिपूर्ति धन द्वारा पर्याप्त रूप से नहीं की जा सकती है, निवारण करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो कारण का अभिलेख करते हुए अपवाद स्वरूप अन्तरिम आदेश दे सकता है, किन्तु कोई ऐसा अन्तरिम आदेश, यदि उसे पहले अभिशून्य न कर दिया जाय, उस दिनांक से, जब वह दिया जाय, चौदह दिन की अवधि की समाप्ति पर प्रभावी न रह जायगा, जब तक कि उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व उक्त अपेक्षाओं का अनुपालन न किया गया हो और अधिकरण ने उस आदेश के प्रवर्तन को जारी न रखा हो।

(5-ख) पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण को किसी लोक-सेवक के निलम्बन, पदच्युति, हटाने, पदावनति, सेवा-समाप्ति, अनिवार्य सेवा-निवृत्तियां प्रत्यावर्तन के लिए सेवायोजक द्वारा दिए गए या दिए जाने के लिए तात्पर्यित आदेश के सम्बन्ध में अन्तरिम आदेश (व्यादेश या स्थगन के रूप में या किसी अन्य रीति से) देने की शक्ति नहीं होगी और ऐसे विषयों के सम्बन्ध में प्रत्येक अन्तरिम आदेश (व्यादेश या स्थगन के रूप में या किसी अन्य रीति से) जिसे अधिकरण ने इस उपधारा के प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व दिया था और जो उस दिनांक को प्रवृत्त था, अभिशून्य हो जायगा।"

अपवाद और संक्रमणकालीन उपबन्ध

5—(1) जहां इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय के किसी सेवक के द्वारा या विरुद्ध मूल अधिनियम के अधीन कोई निर्देश अधिकरण के समक्ष विचाराधीन हो, वहां इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अधिकरण उसकी सुनवाई करेगा और उस पर विनिश्चय देगा।

(2) जहां इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व अधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही के किसी पक्षकार ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 139 के खन्ड (ख) या खन्ड (ग) के अधीन नियुक्त अधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ-पत्र दाखिल किया है, वहां ऐसे शपथ-पत्र को विधिमान्यता शपथग्रहीत समझा जायगा और उस पर अधिकरण द्वारा उस रूप में कार्यवाही की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, 4, 5 तथा खंड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रभुनारायण—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1976 पारित किया जाय?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश नगर विकास विधि (संशोधन), 1976*

स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री (श्री श्रीकृष्ण गोयल)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर विकास विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, इसमें बहुत थोड़े संशोधन हैं। एक तो यह है एल0 एस0 जी0 डी0 की जगह जल निगम बन गया है। इसलिए धारा 3 की उपधारा (5) में खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा, अर्थात् :—

"(च) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ उसका पदेन सदस्य मान लिया जायगा। और (ख) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

(चच) निदेशक, सेन्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, रुड़की उसका पदेन सदस्य होगा।

इसके अतिरिक्त मूल अधिनियम की धारा 8 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"(1) ऐसे नियन्त्रण और निर्बन्धन के अधीन रहते हुए, जिन्हें राज्य सरकार या सामान्य आदेश द्वारा समय-समय पर आरोपित करे, परिषद् अपने कृत्यों का दक्षता-पूर्वक सम्पादन करने के लिए ऐसे अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकती है जिन्हें वह आवश्यक समझे।"

इस समय तक 500 रुपए वेतन से ऊपर पाने वाले लोग पब्लिक सर्विस कमीशन में जाते थे और उसमें काफी देर लग जाती थी इसलिए यह कर दिया गया है कि राज्य सरकार समय-समय पर निर्देश देगी और उसके अनुसार हाउसिंग बोर्ड सक्षम होगा। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए।

इसके अतिरिक्त श्रीमन्, धारा 35 में भी छोटा सा संशोधन है। पहले जो प्राविधान था वह 'शब्द मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना' था जिसमें मलिन बस्ती में ही इनक्रोचमेंट हटाने का अधिकार हाउसिंग बोर्ड को था अब उसमें 'मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना' के स्थान पर शब्द 'योजना' रख दिया गया है। जहां पर भी हाउसिंग बोर्ड की योजना होगी, वहां यह लागू होगा।

धारा 63 में भी श्रीमन्, कुछ चेंज किया गया है। उसमें मूल अधिनियम की धारा 63 में उपधारा (1) के स्थान पर कुछ और उपधारा रख दी जाएगी।

इसके अलावा श्रीमन्, जो परिषद् का बजट होता है उसको बेहतर बनाने के लिये कुछ और उपधारायें जोड़ दी गई हैं। इस प्रकार धारा 63 में संशोधन किया गया है।

इसी प्रकार इसमें यह भी किया गया है 'उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुन : अधिनियमित) अधिनियम, 1974 द्वारा पुन : अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 59 में थोड़ा संशोधन किया गया है। इसमें ऐसा था श्रीमन्, कि जहां कहीं डेवलपमेंट अथारिटी बन जाती थी वहां हाउसिंग बोर्ड अपनी योजना लागू नहीं कर सकता था अब इस एमेन्डमेंट के अनुसार जहां डेवलपमेंट अथारिटी बन जाएगी वहां पर भी अगर आवास-विकास परिषद्, अधिनियम, 1965 की धारा 32 के अधीन विज्ञापित की गई हो, या जिन्हें उक्त घोषणा के पूर्व उक्त अधिनियम की धारा 28 के अधीन नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और काम भले ही शुरू न हुआ है तब भी अगर शासन स्वीकृति दे दे तो वहां पर भी हाउसिंग बोर्ड अपना कार्य कर सकता है। यह कुछ छोटे से संशोधन इसमें किए गए हैं। इन शब्दों के साथ मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि इस उत्तर प्रदेश नगर विकास विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

---

*3 नवम्बर, 1976 की कार्यवाही में छपा है।

*श्री देवकुमार यादव (जिला बांदा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर विकास विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक मास में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिए जायेंगे।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान उत्तर प्रदेश के नगरों मे आवास और उनके विकास की समस्याओं की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। शिक्षा और औद्योगिक विकास के साथ-साथ नगरों में आबादी बढ़ती जा रही है जिससे नगरों में रहने की समस्या बड़ी भयंकर हो गई है। मान्यवर, आवास विकास परिषद् का जो लक्ष्य था कि शहरों का सुनियोजित तरीके से विकास किया जाय और आवास की समस्या हल की जाएगी वह लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया ह। वे तमाम लोग जो आज भी फुट पाथ पर सोते हैं उनकी समस्या वैसी ही है। आज भी उत्तर प्रदेश के कानपुर जैसे औद्योगिक नगरों में लोग बड़ी संख्या में फुट पाथ पर सोते ह और साथ ही गर्मी और सर्दी में उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आवास और विकास परिषद् को पर्याप्त ध्यान ऐसे लोगों की रहने की समस्या की ओर देना चाहिए और नगरों में रहने वालों को समुचित मकान उपलब्ध कराने चाहिए।

मान्यवर, शहरों के अन्दर सफाई की भयंकर समस्या है, मैं और शहरों की बात न कह कर लखनऊ नगर के बारे में जिसके सुन्दरीकरण के लिए लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, के बारे में कहना चाहता हूं। यहां कुछ ऐसे मुहल्ले हैं जहां आज भी मनुष्य के लिए नर्क में रहने के समान है। पुराने महानगर में घोसियाना मोहल्ला है जिसमें गरीब लोग रहते हैं और अपने जानवर पालते हैं, खोन्चे लगा कर अपनी जीविका चलाते हैं। इतनी गन्दगी है, इतना गोबर नालियों में भरा है कि आज के सभ्य जीवन में हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि आवास एवं विकास परिषद् के तहद इन शहरों की गन्दगी, पानी की समस्या सीवर की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार को समुचित कदम उठाने चाहिए। यदि इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो रिक्शा वाले, मजदूरी करने वाले, जो आज फुटपाथों पर सोते हैं, कुछ दिन बाद आपके गजटेड अफसर भी वहां पर सोयेंगे। हमने देखा है कि आपके स्टेट लेवेल के अफसर के पास तक समुचित और स्वास्थ्यप्रद मकान नहीं है और वे बहुत ही खराब जगह रहते हैं। इससे उनकी कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है। इसलिए आवश्यक है कि न केवल बड़े-बड़े शहरों में,कबाल टाउन्स में, बल्कि प्रदेश के हर शहर में इस योजना का प्रयास किया जाए और सरकार युद्ध स्तर पर मजदूरों की बस्तियों और छोटे-छोटे कर्मचारियों की बस्तियों को आबाद करने के लिए योजना बनाए। साथ ही सरकार यह कार्य उनके लिए भी करे, जो न सरकार से कर्ज ले सकते हैं, और न सरकार कर्ज उनको दे सकती है अर्थात् जो चन्द दिनों के लिए शहर में आते ह। रिक्शा चलाने, मजदूरी करने आदि। कानपुर में ऐसे लोगों के लिए रैन-बसेरा बनाने की योजना है, लखनऊ ऐसे अन्य शहरों में भी ऐसे निवास बनाने की परम आवश्यकता है, जहां पर निराश्रित लोग रहकर अपनी रात काट सकें, जाड़ों में छाया में सो सकें।

शहरों में, खासकर छोटे-छोटे शहरों में पानी की व्यवस्था नहीं है। आपने जल निगम की व्यवस्था कर दी है, लेकिन उसके बावजूद शहरों में पानी की स्थिति बहुत खराब है। मैं बांदा शहर की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जहां गर्मियों में दो रुपया बाल्टी पानी मिलता है और जाड़े तथा बरसात के दिनों में भी मुश्किल से शाम को दो-एक घंटे पानी मिलता है और वह भी इतना कम आता है कि दिनभर के लिए पूरा नहीं पड़ता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साथ ही साथ सीवर सिस्टम भी होना चाहिए। इसकी कोई प्लानिंग नहीं है लखनऊ नगर में ही बहुत सी जगह यह नहीं है। मन्त्री जी एक अभी अधिनियम लाए हैं कि सफाई मजदूरों को गन्दगी सिर पर न ढोना पड़े लेकिन जब तक शहरों में सीवर सिस्टम प्रभावी नहीं होगा, आप चाहे जितनी व्यवस्था कानून में करें, इन सामाजिक बुराइयों को दूर नहीं कर सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिक तरीके से नगरों का विकास होना बहुत जरूरी है इसलिए मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सीवर सिस्टम को अविलम्ब लागू किया जाये आवास एवं विकास परिषद् की हर जगह स्थापना की जाय।

मान्यवर, जब हम समाजवाद का नारा देते हैं, तो यह भी बहुत जरूरी है कि सरकार द्वारा बनाई गई बस्तियों में हायर परचेज सिस्टम पर नागरिकों को गरीबों, मजदूरों को मकान उपलब्ध कराये जायं। बेचारे किराएदार लोग जीवन भर मकान के मूल्य से कहीं अधिक किराया दे देते हैं लेकिन वे उसके मालिक नहीं हो पाते हैं। अतः हायर परचेज सिस्टम के सरकार हर जगह मकान बनाए, तो सरकार की कीमत भी निकल आएगी और यहां के नागरिक अपने मकानों के हकदार भी हो जायेंगे और उनकी पीढ़ियां और उनका भविष्य सुरक्षित होगा।

इसके साथ ही हर शहर में सफाई स्ववायड बनाने की भी जरूरत है। हर शहर में सफाई कर्मचारी होते हैं उनकी इतनी कमी होती है, कि गन्दगी से लड़ नहीं सकते इसलिए आवश्यक है कि यदि आप इस प्रदेश को सुन्दर रखना चाहते हैं, नागरिकों का जीवन अच्छा बनाना चाहते हैं, आप इन्सान को दीर्घायु करना चाहते हैं, मच्छरों और गन्दगी से बचाने के लिए, नगर और विकास परिषद् एक योजना तैयार कर सकती है। समुचित धन उपलब्ध करा कर इस योजना को पूरा किया जा सकता है। मैं पुनः आग्रह करता हूं कि इस संशोधन विधेयक को काम्प्रीहैंसिव होने की जरूरत है। आप इतनी जल्दी में पारित न करें। प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय। उनके सुझावों के साथ इस विधेयक को पास किया जाय।

(श्री ऊदल के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

कल की छुट्टी चाहते हैं आज ही जाना भी चाहते हैं। आज तो जल्दी करने को तैयार हूं। ऊदल साहब को समझाइये।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन जो माननीय देवकुमार जी ने उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। अभी माननीय मन्त्री जी ने हाउसिंग बोर्ड का जिक्र किया। कुछ और अधिकार दे रहे हैं। 500 तक की नियुक्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन में न जा कर सरकार जो आदेश देगी उसके मुताबिक कर लेंगे। जो अब तक हाउसिंग बोर्ड का काम रहा है वह संतोषजनक नहीं था इस मसले पर बहुत ही विवाद है। जमीन बढ़ने वाली नहीं है। मकान की आवश्यकता है। कहा यह जाता है कि दो मंजिल से ऊपर मकान बन नहीं सकते हैं। तो फिर इस सम्बन्ध में मैंने भी निवेदन किया, लिख कर भी दिया सरकार अब राजी हुई है। एक डेढ़ साल से कि अब तिमंजिले मकान बनायेंगे। इसमें भी कुछ लोगों को आपत्ति है। शहरों का जिस तरह विस्तार हो रहा है अनप्लान्ड तरीके से हाउसिंग बोर्ड का काम प्रथम यह होता है कि शहरों का विकास प्लान्ड तरीके से किया जाय। कानपुर में मैंने देखा मजदूर बस्तियों को, बहुत से मकान एक मंजिले बनाए गए। किराया इतना ज्यादा रखा गया कि मजदूरों के नाम पर बहुत सारे लोगों ने कब्जा कर लिया जब डेसिजन लेने का सवाल आया तो सरकार तंग आ गयी। पता नहीं कितने कब्जे में आए, कितने नहीं आए। बहुत बड़ी समस्या है। हाउसिंग बोर्ड का काम प्लान्ड तरीके से नगरों का विकास करना है। लेकिन इसका काम आज तक संतोषजनक नहीं रहा।

[श्री ऊदल]

दूसरी बात यह कि जो मकान बने क्योंकि जमीनें बढ़ने वाली नहीं है, शहरों के किनारे जमीन कितनी कीमती होती हैं, जहां सब्जी और आवश्यक वस्तुओं की शहरों में सप्लाई होती है, अगर एक मंजिला मकान बनें ज्यादा उनके सामने लान छोड़ कर बनें, तो अच्छी से अच्छी जमीन उसमें चली जायगी, अनप्लान्ड तरीके से।

अभी एक सवाल लखनऊ शहर का आया था। व्यक्तिगत कालोनाइजरों के ऊपर भी प्रतिबन्ध लगना चाहिए। यही नहीं कि सरकार या विकास परिषद् ने तय कर दिया है इस तरह से सड़क बनेगी, इतना पार्क बनेगा बल्कि मकान बनाने के बारे में तय करना पड़ेगा कि कितने मंजिले मकान बनाने का उसको अख्तियार रखना चाहिए। जो बिजनेस किए हुए हैं और ठीक से उस एरिया का विकास नहीं करते हैं और हमारे जो अधिकारी हैं जो इस काम में लगे हुए हैं उनको भी गुमराह करते हैं। जहां तक शहरों का मामला है नगर विकास को हाउसिंग बोर्ड को सुपुर्द करना चाहिए। प्राइवेट कालोनाइजर्स को बन्द करना चाहिए। श्रीमन् मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कुछ जिलों में मास्टर प्लान लागू किया गया है। जो लोग उसको बनाने लिए गए थे यह बात मैंने माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री और माननीय मुख्य मन्त्री से भी कही थी तो उन्होंने यह कहा कि यह तो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट न लागू किया ह उन्होंन क्या किया उन्होंने 5 किलोमीटर दूरी तक मास्टर प्लान बना दिया। उसमें यह नियम था कि जो जमीन जिस हैसियत में है उसको उसी हैसियत में रखा जाए अगर वह खेती वाली जमीन है तो खेती की दिखायी जाए बगीचे की जमीन है तो उसे बगीचा दिखाया जाए। मास्टर प्लान बनाने वालों ने 5 किलोमीटर दूरी तक ठन्डी कोठरी में बैठकर ऐसा मास्टर प्लान बना दिया कि खेती की जमीन को नक्शे में नहीं दिखाया गया। नतीजा यह हुआ कि 5 किलोमीटर तक के किसानों के ऊपर अरबन सीलिंग ऐक्ट लागू हो गया और जिन लोगों ने रिटर्न नहीं भेजे उनसे कहा कि 1000 रुपए 500 रुपए जर्माना दो। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो अदूरदर्शिता का काम हुआ है उसको आप देखें। माननीय प्रभु नारायण सिंह बनारस गए थे तो बहुत से किसान उनके यहां गए थे। इन्हीं रिटर्न के कारण।

अरबन सीलिंग में क्या है--12 बिस्वा जमीन को छोड़कर सारी जमीन ले ली जाएगी। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इन बातों पर सोचे और अपनी नीति में तबदीली कर। मकान जो आप बनवा रहे हैं वह 5-6 मंजिले तक बनवावें और जहां तक चढ़ने की बात है तो आप लिफ्ट लगवा सकते हैं। इससे जमीन की बचत होगी और रहने की समस्या भी हल होगी। जितने में एक परिवार रहता है उतने में 6 परिवार रह सकेंगे। आज कल बड़े-बड़े शहरों में लोग मकानों के लिए परेशान रहते हैं। सरकार इस पर विचार करे। वह स्कीम 5 कवाल टाउन्स और 5 अन्य दूसरे शहरों पर लागू किया है। सरकार उस पर विचार करे। किसान बहुत परेशान है। 5 किलोमीटर की दूरी मे किसानों को बड़ी दिक्कत हो गयी है। मैं यह नहीं कहता कि मास्टर प्लान न बने, मास्टर प्लान बनना चाहिए मैं इसका विरोधी नहीं हूं लेकिन वहां की पोजीशन को देखते हुए बनाना चाहिए। और जिन लोगों ने ऐसा किया है, उन्होंने किसानों के साथ अन्याय किया है। इसके साथ-साथ सीवर सिस्टम और सफाई का भी सरकार को ध्यान रखना होगा कि क्योंकि इस विधेयक का करोड़ों-करोड़ों लोगों से सम्बन्ध है। माननीय मन्त्री जी ने तो कह दिया कि बहुत छोटा सा विधयक ह ठीक है, छोटा सा है और स्वागत योग्य भी है लेकिन इसकी परिधि बड़ी व्यापक है। यह करोड़ों लोगों को प्रभावित करता है।

मान्यवर, जहां तक सीवर सिस्टम का सम्बन्ध है मैं कहता हूं कि हमारे बनारस शहर में 80-85 वर्ष पूर्व जो सीवर सिस्टम अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था उसका किसी को ज्ञान ही नहीं है कि वह कैसे बना था। वह एक आधुनिक तरीके का सीवर सिस्टम है जो पूरे देश में नहीं बना है। मेरी प्रार्थना है कि उस पर कोई अन्वेषण हो सकता है तो किया

जाय क्योंकि अगर इस प्रकार का सीवर सिस्टम हर जगह हो जाय तो जो गन्दे नाले बहते हैं शहरों में उनसे बचा जा सकता है और साथ-साथ जमीन भी बचाई जा सकती है लखनऊ नगर ही में हजारों एकड़ जमीन गन्दे नालों में चली गई है और अगर सीवर सिस्टम ठीक हो जाय तो हजारों एकड़ जमीन को बचाया जा सकता है।

इस विधेयक में यह भी दिया गया है कि परिषद के अधिकारियों और सेवकों की जब आवश्यकता पड़ती है तो उसकी नियुक्ति सरकार कर ले, लेकिन सरकार जब और जैसे लोगों को भरती करना चाहती है, कर लेगी। जो लोग लोक सेवा आयोग को फेस नहीं कर सकते हैं, उनकी भी नियुक्ति हो जाया करेगी। लिहाजा मेरी प्रार्थना है कि इस प्रश्न पर सरकार गम्भीरता पूर्वक विचार कर और जिन पोस्ट्स को लोक सेवा आयोग के सामने जाना जरूरी है, उनका साक्षात्कार लेना जरूरी है, उनके लिए कोई सिद्धान्त, कोई क्राइटेरिया बनाना चाहिए। अगर ऐसा न किया गया और निकम्मे लोगों का यहां पर चयन हो गया तो जब वे लोक सेवा आयोग के सामने जायेंगे तो सरकार की बड़ी बदनामी होगी। लिहाजा सरकार के लिए कोई न कोई माप दन्ड बनाना ब 'ा ही आवश्यक है। ताकि लोक सेवा आयोग के सामने सरकार की इमज न गिरने पाए और जो व्यक्ति भेजे जायं वे उसे फेस भी कर सकें।

मैं जानता हूं कि जो विधेयक माननीय मन्त्री जी ने भी किया है पास तो हो ही जायगा लेकिन वे इन बातों के बारे में गम्भीरता पूर्वक विचार कर लें कि हम किस प्रकार से आधुनिक तरीके से, प्लान्ड तरीके से नगरों का विकास करें और जो कठिनाई शहर की जनता को और आस-पास के लोगों को उठानी पड़ती है, उसको दूर कर सकें। साथ ही माननीय मन्त्री जी को यह भी विचार करना चाहिए कि जो हमारे प्रदेश में आवास की समस्या बढ़ती जा रही किस प्रकार से उसका समाधान हो सके और जो शहरों के आस-पास में कीमती जमीनें हैं, कैसे उनको बचाया जा सके और कम से कम जमीन में ज्यादा से ज्यादा आवास के लिए मकानों का निर्माण किया जा सके। यही समझदारी सरकार की नगरों के विकास में होनी चाहिए लेकिन अब तक भी उसकी ओर ध्यान नहीं गया है। मेरी प्रार्थना है कि जैसा मेरे साथियों ने कहा अगर इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय तो इस पर गम्भीरता से विचार हो जायगा और फिर इसे सरकार सदन म लाए। मैं समझता हूं कि वही अधिक उचित होगा।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

मान्यवर, जो प्रस्ताव रखा गया है कि इसे प्रवर समिति में जाना चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूं। कुछ परेशानियां हैं। म्युनिसिपैलिटीज के जितने भी अधिकार थे वह सारे के सारे छीन लिए गए। ड्रिंकिंग वाटर को ले लिया, जल निगम बन गया। शिक्षा बेसिक शिक्षा परिषद को दे दी। हाउसिंग था वह चला गया। सिवर था वह यह सिवर बोर्ड को चला गया। तो काहे को म्युनिसिपैलिटीज रखी हुई है? केवल झाड़ लगाने के लिए। और सारे अधिकार आपने समाप्त कर दिए हैं। महात्मा गांधी की दुहाई देते हैं, शक्ति के विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा केन्द्रीकरण कर रहे हैं। लोकल बाडीज को आपने पंगु और निःशक्त बना दिया है।

मास्टर प्लान के बारे में ऊदल जी ने बनारस की बात कही। प्रभु नारायण सिंह देहरादून जिले के इन्चार्ज हैं। वहां तो नोटीफिकेशन भी नहीं हुआ, लेकिन मास्टर प्लान 5 किलोमीटर के एरिया में लागू कर दिया गया। छोटे-छोटे किसान 2-2, 3-3- बीघे वाले सब को अरबन सीलिंग में नोटिस थमा दी गयी। कलेक्टर को घेर लिया गया, लगातार रिप्रेजेन्टेशन किए गए कि पहले कुछ तो बता दिया गया होता। तो इसका स्पष्टीकरण करें कि वहां जो ऐग्रिकल्चरल लैन्ड हैं जिसको कहते हैं कि मास्टर प्लान के अन्दर है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

तो क्या उस को अरबन सीलिंग में घोषित करने जा रहे हैं। सड़कों की हालत यह है देहरादून में प्रभुनारायण सिंह तो राजपथ में गए होंगे, कि वहां 3-3 फिट के गड्ढे सड़कों के अन्दर हैं। म्यूनिसिपैलिटीज के पास पैसा नहीं है, आप अनुदान देने को तैयार नहीं हैं। वहां उत्तरकाशी में गंगोत्री जमुनोत्री जाने के लिए केरल, तामिलनाडु और बंगाल से लोग आते हैं तो उनके सामने उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ तो नमूना रखे कि किस प्रकार वह अपने नगरिकों की सुरक्षा करना चाहती है।

मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को वह स्वीकार कर लें।

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

अध्यक्ष जी, आदरणीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं उनसे शासन बहुत लाभान्वित होगा। जो बातें बतायी हैं उनमें जिन पर गौर करना आवश्यक है उन पर गौर भी किया जायगा। आवास की समस्या हर एक के लिए बहुत आवश्यक है। इन्सान की जिन्दगी में तीन समस्या—रोटी, कपड़ा और मकान आती है। इसके लिए मौजूदा मन्त्रिमन्डल बहुत जागरूक है। इसलिए मुख्य मन्त्री जी ने अलग से आवास और नगर विकास विभाग खोला था और एक हेबीटेट विभाग भी खोला गया है। आज 10 लाख मकानों की आवश्यकता है। शासन आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए जागरूक है और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि देश भर में ऐसे लोगों के लिए जो मकान बनाए जा रहे हैं उनमें उत्तर प्रदेश में सबसे कम लागत के मकान तैयार किए जा रहे हैं। यहां पर इसी दृष्टि से पिछड़े लोगों को 4,500 रुपए का मकान बनाकर मय जमीन के हम लोग दे रहे ह। लकिन यह इतनी बड़ी समस्या है इसमें अलग समय लगेगा, धन की भी बहुत आवश्यकता है।

जहां और समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया गया है, यह भी कहा गया कि पशुओं के लिए अलग स्थान नियुक्त किए जायं और ट्रक्स वैगरह के लिए ट्रान्सपोर्ट नगर बनाए जायं। शासन इन सब समस्याओं के प्रति जागरूक है।

माननीय ऊदल और नेगी जी ने जिन समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है उनको भी देखा जायगा।

जहां तक पब्लिक सर्विस कमीशन का मामला है संशोधन इसलिए आवश्यक हुआ कि लोक सेवा आयोग ने कहा कि हम किसी सार्वजनिक उप क्रम संस्थान के लिए सेलेक्शन नहीं करते हैं। इसलिए इस संशोधन की आवश्यकता पड़ी। बहुत इनोसेन्ट सा संशोधन है इसलिए मैं समझता हूं कि आपने जो प्रवर समिति का सुझाव दिया है उसको आप वापस लेने का कष्ट करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर विकास विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक मास में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर विकास विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2, 3, 4, 5 और 6 एव खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश नगर विकास विधि (संशोधन) विधेयक, 1976

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 और उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर विकास विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा। **संक्षिप्त नाम**

2—उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (5) में,— **उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1; 1966 की धारा 3 का संशोधन**

(क) खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :—

"(च) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ — पदेन,";

(ख) खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा अर्थात्

"(चच) निदेशक, सेन्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, रुड़की— पदेन;"

3—मूल अधिनियम की धारा 8 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :— **धारा 8 का संशोधन**

"(1) ऐसे नियन्त्रण और निर्बन्धन के अधीन रहते हुए, जिन्हें राज्य सरकार विशेष या सामान्य आदेश द्वारा समय-समय पर आरोपित करे, परिषद् अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक सम्पादन करने के लिए ऐसे अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकती है जिन्हें वह आवश्यक समझे।"

4—मूल अधिनियम की धारा 35 में,— **धारा 35 का संशोधन**

(क) पार्श्व शीर्षक में, शब्द "मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना" के स्थान पर शब्द "योजना" रख दिया जायगा,

(ख) उपधारा (1) में, शब्द "मलिन बस्ती सुधार और निपातन योजना" के स्थान पर शब्द "आवास या सुधार योजना" रख दिए जायेंगे।

5—मूल अधिनियम की धारा 63 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :— **धारा 63 का संशोधन**

"(1) (क) आवास आयुक्त वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के पूर्व की जाने वाली विशेष बैठक म परिषद् के समक्ष उस वर्ष के लिए परिषद् का बजट रखेगा।

(ख) प्रत्येक ऐसा बजट, ऐसे प्रपत्र में तैयार किया जायगा जो नियत किया जाय और जिसमें निम्नलिखित की व्यवस्था होगी :—

(1) आवास और सुधार योजनाएं जिनके बारे में परिषद् का प्रस्ताव है कि उन्हें अंशत: या पूर्णत : उस वर्ष निष्पादित किया जाय;

(2) परिषद् के समस्त दायित्वों का यथोचित रूप से निर्वाह, और

(3) इस अधिनियम का दक्षतापूर्वक प्रशासन, और उसके साथ एक विवरण-पत्र होगा, जिसमें उस वर्ष के लिए पूंजी और राजस्व लेखे में अनुमानित प्राप्तियां और व्यय प्रदर्शित किए जायेंगे और उसमें ऐसी अन्य विशिष्टियां होंगी जो नियत की जायें।

(ग) परिषद् बजट पर विचार करने के पश्चात् उसे परिष्कार सहित या परिष्कार रहित स्वीकृत करेगी और उसे अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

(घ) राज्य सरकार परिषद् द्वारा स्वीकृत बजट का अनुमोदन कर सकती है, या उसे ऐसे परिष्कारों के लिए, जैसा राज्य सरकार निदेश दे, परिषद् को लौटा सकती है।

(ङ) जब कोई बजट इस प्रकार लौटाया जाय तब परिषद् तत्काल ऐसे परिष्कार करेगी और इस प्रकार परिष्कृत बजट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी जिसका अनुमोदन वह तब कर सकती है।

(च) आवास आयुक्त उस वित्तीय वर्ष के दौरान जिसके लिए राज्य सरकार ने बजट का अनुमोदन किया है, किसी समय परिषद् के समक्ष अनुपूरक बजट रख सकता है और ऐसे अनुपूरक बजट के सम्बन्ध म इस उपधारा के पूर्ववर्ती उपबन्ध आवश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुन: अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11, 1963 की धारा 59 का संशोधन

6—उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुन: अधिनियमन, अधिनियम, 1974 द्वारा पुन: अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 59 में,—

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (क) में—

(एक) कोष्ठक और शब्द "(उन आवास या सुधार स्कीमों को छोड़कर जो, उनमें समाविष्ट क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित किए जाने के पूर्व उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 32 के अधीन विज्ञापित की गई हो तथा जिन्हें इस धारा में इसके पश्चात् 'चालू आवास परिषद् स्कीम' कहा गया है)" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा, अर्थात् —

"(उन आवास या सुधार स्कीमों को छोड़कर जो, उनमें समाविष्ट क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित किए जाने के पूर्व उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा 32 के अधीन विज्ञापित की गई हो, या जिन्हें उक्त घोषणा के पूर्व उक्त अधिनियम की धारा 28 के अधीन विज्ञापित किया गया हो, तथा जो तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा, उक्त अधिनियम के अधीन जारी रखने के लिए अनुमोदित की जाये, या जिन्हें ऐसी घोषणा के पश्चात् राज्य सरकार के अनुमोदन से प्रारम्भ किया जाय, जिन्हें इस धारा में इसके पश्चात् 'विशेष आवास परिषद् स्कीम' कहा गया है)";

(दो) शब्द "और उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 के अधीन कार्यवाहियों के जारी रहने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिनियम के अधीन नियत प्राधिकारी और नियन्त्रक

प्राधिकारी की शक्ति क्रमशः उपाध्यक्ष और अध्यक्ष में निहित होगी' के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा और सदैव से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् —

"और ऐसे सभी कार्य जिसे यदि उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 निलम्बित न होता तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी और नियंत्रक प्राधिकारी कर सकते, और जिसे ऐसे निलम्बन के पश्चात् उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 6 प्रयुक्त होने के कारण, अब भी किया जा सकता है, को करने की शक्ति क्रमशः उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष में निहित होगी।"

(ख) उपधारा (13) में शब्द "चालू आवास परिषद् स्कीम" के स्थान पर शब्द "विशेष आवास परिषद् स्कीम" रख दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, 4, 5 और 6 एवं खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर विकास विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर विकास विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश पशु क्रय-कर विधेयक, 1976†

पशुपालन राज्य मन्त्री (श्री चेतराम गंगवार)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पशु क्रय-कर विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

अब सारे प्रदेश में 20-सूत्री प्रोग्राम के बाद यह बात निश्चित हो गयी है कि छोटी-छोटी होल्डिंग्स वाले किसान हैं वे अधिक जानवर या दुधारू पशु नहीं रख सकते हैं। इसके लिए हम यह विधेयक लाए हैं कि सारे प्रदेश में इससे जो आय हो उससे अच्छे पशु चिकित्सालय खोल कर और ब्रीडिंग सेन्टर्स स्थापित करके अच्छी नस्ल की गायें, भैंसें, भेड़, बकरियां वगैरह छोटे लोगों को उपलब्ध करायी जा सकें। इसी बात को मद्देनजर रखते हुये जो लोग गाय, बैल, भेड़ बकरी, हाथी, वगैरह बेचेंगे उन पर कुछ कर आरोपित करने की व्यवस्था इस बिल में की गयी है और इस बात की व्यवस्था की गयी है कि केवल एक ही प्रकार का यह कर रहेगा अलग-अलग जानवरों के ऊपर। इसमें बकरा, बकरी पर 3 रुपये गाय के बच्चे पर 10 रुपए, गाय बैल वगैरह पर 30 रुपए और हाथी पर जो सबसे बड़ा होता है उस पर 50 रुपए कर लगाने की व्यवस्था की गयी है। इसमें सरकार को कुछ स्टाफ भी रखना पड़ेगा। इस वक्त तो जो विभागीय कर्मचारी हैं उनसे ही काम लिया जायगा, लेकिन भविष्य में कुछ नए एप्वाइन्टमेन्ट्स करने की भी सम्भावना है। कुछ अधिकारियों को भी नियुक्त करना पड़ेगा। कर वसूली के लिए यह भी प्राविधान किया गया है कि उसका ठेका किसी निकाय आदि को दे दिया जाय जैसी कि यह जिला परिषद् आदि होती हैं। यह ठेका अधिक से अधिक 2 वर्ष के लिये दिया जा सकेगा। इसमें यह भी प्राविधान रखा गया

†3 नवम्बर, 1976 की कार्यवाही में छपा है।

[श्री चेतराम गंगवार]

हैं कि अगर कोई कर वसूली की रकम को जमा नहीं करेगा तो उस पर जुर्माना भी किया जा सकेगा जो कर की रकम का 5 गुना से अधिक नहीं होगा। वास्तव में इस विधेयक की बड़ी आवश्यकता थी। यह बहुत छोटा सा विधेयक है। मैं माननीय सदस्यों से, अध्यक्ष महोदय आपके जरिये, निवेदन करना चाहूंगा वे इस पर विचार करें और इसे पारित करें।

*श्री देवकुमार यादव (जिला बांदा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पशु क्रय कर विधेयक, 1976 को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक मास में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिए जायेंगे।

मान्यवर, यह विधेयक जो प्रस्तुत किया गया है इसकी अनुसूची में 16 प्रकार के पशुओं के नाम दिए हैं जिनके ऊपर कर लगाया है। बकरा या बकरी पर 3 रुपए, भैंस का बच्चा (नर) 5 रु0। ऊंट का बच्चा (नर या मादा) 5 रु0, गाय का बच्चा (मादा) 5 रु0, सुअर 5, भैंस का बच्चा (मादा) 10 रु0, गाय का बच्चा (नर) 10 रु0, गधा (नर या मादा) 10 रु0, गाय 15 रु0, खच्चर या टट्टू (नर या मादा 15रु0), भैंसा 20रु0, घोड़ा या घोड़ी 20रु0 ऊंट (नर या मादा) 25 रु0, भैंस 30 रु0, बैल या सांड 30 रु0 हाथी 50 रु0 मान्यवर, मुझे बहुत तकलीफ के साथ इस अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करना पड़ रहा है। इस सरकार ने हर चीज पर टैक्स लगा रखा है। एक हरिजन जो सुअर पालता है उस पर भी टैक्स लगा दिया है। यही हालत रही तो यह सरकार धूप और हवा पर भी टैक्स लगा देगी क्योंकि और तो कोई चीज बाकी रही नहीं है टैक्स लगाने के लिए।

माननीय मन्त्री जी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत इसको बताया, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह उस 20-सूत्रीय कार्यक्रम के उलटा है। उसके जरिए तथा संविधान में संशोधनों के जरिए हमारे देश में समाजवाद लाने की व्यवस्था की जा रही है जिसके द्वारा गरीबों और किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। उस दृष्टि से यह विधेयक अराष्ट्रीय और अप्रासंगिक है। कल ही माननीय माल मन्त्री जी ने किसानों पर विकास कर लगा कर एक बहुत बड़ी चोट ग्रामीण जनता पर की है।

मैं महसूस करता हूं कि इस विधेयक के जरिए एक दूसरी चोट यहां के छोटे किसान पर, यहां के मजदूर पर और यहां के उस हरिजन पर है। जिसके उत्थान की बात कही जाती है। यह विधेयक नितान्त जन-विरोधी है मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि जो बड़े-बड़े किसान हैं, जो वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं, जो कि ट्रैक्टर खरीदते हैं, बैल नहीं खरीदते हैं और जो छोटे-छोटे किसान हैं जो कि ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते हैं और न ट्रैक्टर खरीदते ही हैं वे बैल खरीद कर अपना काम चलाते हैं यह कर का बोझ उन छोटे-छोटे किसानों पर ही पड़ेगा। जो हरिजन, मेहतर सुअर खरीद-फरोख्त करके अपनी जिन्दगी चलाते हैं, उन पर भी टैक्सों का बोझ लगायेंगे। इसका परिणाम क्या होगा, इस सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। बड़ी हैरत की बात है कि इस समाजवाद की तरफ जाने वाली सरकार का ध्यान उन गरीब जनता पर, किसानों पर क्यों नहीं जाता है? हरिजनों पर, मजदूरों पर क्यों नहीं जाता है? इस सरकार का ध्यान, उन लाखों रुपया रोज खरीद करने वाले इजारेदारों पर, तमाम इन्डस्ट्रियलिस्ट्स पर जो लोग लाखों रुपया गरीब जनता की जेब काट कर तिजोरियां भरते हैं उन पर क्यों नहीं जाता है उन पर टैक्स लगाने की क्यों नहीं बात की जाती है? यह बहुत तकलीफजनक बात है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस विधेयक में जो ठेकेदारी प्रथा का प्राविधान कर रहे हैं, उससे इसमें तमाम तकलीफें पड़ेगी। हम जानते हैं कि जो नदियों के घाटों का ठेका लेते हैं उनके रेट कुछ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और लगे हैं 10-15 रुपये नदी की उतराई। उसमें ठेकेदार लोग इस कानून के तहत तमाम खरीदन वाले जानवरों को रोकवा लेंगे और उनको जानवर से वंचित कर देंगे। कर की मांग करने पर भुगतान न करने की स्थिति में, संग्रह प्राधिकारी पशु का अभिग्रहण कर सकता हैं और इस प्रकार अभिग्रहण करने पर पशु को निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायगा। यदि पशु का अभिग्रहण किये जाने के 24 घंटे के भीतर कर और अधिरोपित शास्ति, यदि कोई हो, और अभिग्रहण से उत्पन्न व्यय का भुगतान कर दिया जाय तो पशु को छोड़ दिया जायगा। यदि भुगतान न किया जाय तो पशु को बेच सकते हैं। आपने भी मैनडेटरी किया है कि आप सरकारी तन्त्रों के द्वारा इसका पालन कराने का ठेका देंगे और ठेकेदार अपना अभिग्रहीता नियुक्त करेगा और वह अधिकारी 24 घंटे के बाद अपने मनमानी तरीके से बेच डालेगा। जो आपके ठेकेदार लोग हैं वह धांधली करेंगे और आपकी गरीब जनता को तबाह करेंगे।

आप जो करों का निर्धारण कर रहे हैं, उस में मूल्य का कोई निर्धारण नहीं है। कोई बैल की कीमत 500 रुपए है तब भी वह 30 रुपए देगा और अगर 2 हजार रुपये हैं, तब भी वह 30 रुपए देगा। इस तरीके से दफा 16 में लिखा है कि—"इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी आदेश पर आपत्ति करने के प्रयोजनार्थ किसी न्यायालय में कोई वाद ग्राह्य नहीं होगा, और इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी किसी बात के के लिए प्राधिकारी या राज्य सरकार के विरुद्ध कोई अभियोजन, वाद या अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।" इस तरह से वह इस कार्य को कर सकेंगे इस विधेयक से आप जनता को कितने खतरे में डाल रहे हैं, जिससे भयंकर परिणाम निकल सकते हैं। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि वे जल्दी में इस विधेयक को पास करा के इस प्रदेश की लाखों करोड़ों गरीब जनता का और किसानों को प्रभावित करना चाहते हैं, इससे बड़ा नुकसान होने वाला है। आप इसको जल्दी में पास न करा कर इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें जहां इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार हो सके और इस तरह से आपकी विकास की जो मंशा है वह पूरी हो सके। मेरा निवेदन है कि आप सुअर, बकरी और भेड़ों पर भी टैक्स लगा कर गरीब जनता तथा हरिजनों पर एक भयंकर चोट करने जा रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें संशोधन करके उनको छूट देने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी से आशा करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मैं देखता हूं कि सरकार की बुद्धि का एकदम से दिवाला निकल गया है। इसलिए कि अब तक जितने हाट बाजार लगते रहे, मैं समझता हूं कि एक बाजार को छोड़ कर, शायद आगरे का बटेश्वर महादेव का मेला—और कौन सा मेला है जिसका इन्तजाम आपके हाथ में है? कोई नहीं है। अभी तक प्रदेश में जितने प्राइवेट हाट लगते हैं वे सब व्यक्तिगत लोगों के हाथों में हैं और वहां भी पशुओं की खरीद फरोख्त पर लोग लिखाई देते हैं। अभी हाल ही में जब मैं फैजाबाद के अकबरपुर मेले में गया था। तो वहां एक बैल की खरीद पर 6 रुपए लगते हैं और मेरा ऐसा ख्याल है कि बहुत पहले जब कि कि मैं बटेश्वर में गया था तो वहां तथा अछलदा में उस वक्त 4 रुपया लगता था। अब कुछ बढ़ गया हो और 6 रुपया हो गया होगा। आप देखें कि महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और इनका कहना है कि महंगाई कम हो रही है। पहले तो 6 रुपया और 4 रुपया बैल, ऊट और भैंस की खरीद पर टैक्स लगता था लेकिन अब इसमें यह प्राविधान किया गया है कि एक बैल और भैंस पर 30 रुपया खरीदारी टैक्स लिया जाएगा। मैं माननीय पशुपालन मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप बतला सकते हैं कि प्रदेश में कितने मेले हैं और किन-किन जिलो में हैं? कोई आंकड़े हैं आपके पास? कोई आंकड़े नहीं हैं। कोई व्यवस्था इसके लिए सरकार की तरफ से अब तक नहीं की गयी है। क्या सरकार

[श्री ऊदल]

की जिम्मेदारी नहीं थी कि वह इसकी व्यवस्था करती ? कहा गया है कि पशु धन के विकास के लिए यह सब करने जा रहे हैं। कल एक किसान विरोधी कानून आपने पास किया और आज यह पास होने जा रहा है। कहीं न कहीं तो रोक लगायी जाती। यह क्या कि झटपट जल्दी में इस तरह के कानून पास कर दें कि जहां पहले 6 रुपया था, उसकी जगह पर अब इसका 30 रुपया करने का इन्तजाम कर रहे हैं। प्राइवेट वाले जहां 6 रुपया लेते थे वहीं पर 30 रुपया लेने जा रहे हैं। यह अच्छा समाजवाद है। मैं प्राइवेट वालों के खिलाफ हूं और मैं चाहता हूं कि सब इन्तजाम सरकार अपने हाथ में ले ले लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि एक ऐसा निकम्मा विभाग जो माननीय मन्त्री जी का है जिसका निदेशक चलता तो फर्स्ट क्लास में है और चार्ज एयर कन्डीशन का करता है, उसी निकम्मे विभाग को लेकर, हमारे माननीय मन्त्री जी किसानों का गला काटने के लिए तैयार हैं। उन्होंने भेड़ पालन की एक योजना चलायी थी। हजारो लाखों रुपए के भेड़े बाहर से हवाई जहाजों से मंगाए गए जिनमें से बहुत से तो हवाई जहाज में ही मर गए, और जो बचे वे अल्मोड़ा तथा नैनीताल भेज दिए गए, उनमें से भी काफी मर गए जिससे लाखों रुपए का नुकसान सरकार का हुआ। ऐसे निकम्मे लोगों के हाथों में किसानों का गला काटने का अधिकार देना मैं समझता हूं कि इस प्रदेश की जनता के तथा गरीब किसानों के साथ घोर अन्याय, जो सुअर पालते हैं, बकरी पालते हैं, गाय पालते हैं और भैंस पालते हैं, उनकी जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करना है।

मैं कहना चाहता हूं मैदानी इलाकों में भेड़ पालन चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी भेड़े आपके पास हैं और कितनी मर गयीं हैं। जो उनको खाना मिलता है, जो दवायें हैं उनको डाक्टर और अन्य अधिकारी मिलके, बेचकर खा जाते हैं। मैं चुनौती देना चाहता हूं इस पशुपालन डिपार्टमेंट के बारे में। आप भेड़ों के बारे में आंकड़े दीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितनी भेड़ें पालने के लिये दिया और कितनी जिन्दा हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कितनी पालने के लिए दिया उसमें से कितनी जिन्दा हैं। भेड़ों के सम्बन्ध में जो डाक्टर रहते हैं उन का तबादला हो जाता है तो चार्ज लेने के लिये कोई केन्द्रों पर चार्ज लेने नहीं जाता। तो इस तरह से किसानों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करना मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को ठंडे दिल से इस पर विचार करना चाहिए था। प्राइवेट लोगों का इन्तजाम खत्म हो जाय मैं इसका कायल हूं और इसका समर्थन भी करता हूं। लेकिन जो प्राइवेट लोग इन्तजाम कर रहे हैं आपका इन्तजाम उससे बदतर होगा। यह कौन सा तरीका है कि 6 रुपए की जगह पर अब उनसे 30 रुपए वसूल किए जायेंगे। और आप कहते है कि पशुधन का विकास करना चाहते हैं उनको राहत देना चाहते हैं। जनता आपसे राहत पा चुकी है। उस पर आप कृपा कर दीजिए। हम कहते हैं कि प्राइवेट वाले 5-6 रुपया लेते हैं और न चारा देते हैं और न कोई इन्तजाम करते हैं। आप कहते हैं कि हम 30 रुपया लेंगे और उससे बेहतर इन्तजाम करेंगे तो हम समझते कि आपकी योजना बहुत अच्छी है। लेकिन आप तो उससे 5-6 गुना ज्यादा लेने जा रहे हैं और कहते हैं कि बेहतर इन्तजाम करेंगे। इसलिए मान्यवर, मैं इस विधेयक का सख्त विरोध करता हूं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजा साहब से, किसानों से उनको क्या मतलब ? जिन्दगी में उन्होंने गरीबों को लूटा है, शोषण किया है, बेगार लिया। रैय्यत बनाकर रखा। अपना लगान 2 आने लगवाया और गरीब का लगान 25-30 रुपए कराया। आज मैं चाहता था कि आप इस कुर्सी पर विराजमान हैं तो कम से कम गरीब किसानों के साथ रियायत करेंगे। राजा चले गए, जमींदार चले गए, राज्य चले गए, उसके साथ मैं समझता था कि आपके दिल दिमाग में अब कुछ परिवर्तन आया होगा लेकिन इतने सालों के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आया। राजा अजित प्रताप जी बड़े नम्र हैं, मृदुभाषी हैं और हमारे मित्र हैं। (हंसी) लेकिन यह बदले न थे।

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रभाव नहीं पड़ा। (हंसी)।

श्री ऊदल—

मान्यवर, कहां राजा भोज और कहां .....आज हम यहां न आते, जमाना बदला, दुनियां बदल गयी, हम यहां आए। जलन तो उनके अन्दर होगी ही। विधेयक में उसी जलन को पूरा कर रहे हैं, गरीब और किसान के साथ। लिहाजा मैं इस का सख्त विरोध करता हूं और मन्त्री जी से कहता हूं कि इसको वापस ले लें अगर नहीं लेते हैं तो जो हमारा प्रस्ताव है कि ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय, तो इसको ही मानें। यह नया विधेयक है संशोधन विधेयक तो है नहीं। ईमानदारी से, गम्भीरता के साथ विचार करके एक ऐसा विधेयक तैयार किया जाय जिससे किसानों को राहत मिल सके। मैं और मेरी पार्टी भी प्राइवेट लोगों के इन्तजाम को पन्सद नहीं करती है और चाहती है कि यह इन्तजाम सरकार अपने हाथ में ले ले। लेकिन इस विधेयक के जरिए जो रुपया आप लगाने जा रहे हैं वह बहुत गलत है और ज्यादा है इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

कल किसानों को नहीं बख्शा गया और उन पर लगान बढ़ा दिया और जानवर भी नहीं बख्शे जा रहे हैं। आज पशुओं का प्रश्न आया तो उन पर भी टैक्स बढ़ा दिया। 20 सूत्रीय कार्यक्रम की बहुत चर्चा है। सुअर को कौन पालता है? उनको समाज का कमजोर तबका पालता है। झाड़ लगाने वाला पालता है तो उनको भी आप कुछ राहत नहीं देने वाले हैं। बकरी और भेड़ के ऊपर टैक्स लगा दिया। मिर्जापुर और देहात में देखें कि वहां सबसे कमजोर तबका गड़रिया है जो कि बकरी और भेड़ पालता है तो उसको भी नहीं बख्शा है। कहावत है कि टका सेर सोना टका सेर खाजा। हरियाणा ब्रीड की भैंस पर 30 रुपया टैक्स और पहाड़ की मरियल भैंस पर भी 30 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। यदि आस्ट्रेलियन किस्म का सांड़ है और एक मरियल सांड है तो दोनों पर 30 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। यह कौन सा आपने माप-दन्ड रखा है? आज आप किसान के पशुओं को भी नहीं बख्श रहे हैं। फिर आपका 20-सूत्री कार्यक्रम क्या है? 20-सूत्री कार्यक्रम में समाजवाद की बात कही जाती है। अभी तक हमने सुना था कि कर संग्रह करने का ठेका दिया जाय। सेल्स टैक्स और इन्कम-टैक्स संग्रह करने का ठेका दिया जाय। लेकिन आज बताया जा रहा है कि सरकारी टैक्स वसूल करने का ठेका दिया जाएगा। उस ठेकेदार को कितने अधिकार रखे हैं इसको देव कुमार यादव जी ने बताया है। वह ठेकेदार पशुओं को नीलाम करा सकता है और अभी कुछ अधिकार सुरक्षित रखे हैं। यह आपकी व्यवस्था है। यह कहां लिखा है कि प्राइवेट व्यक्ति जो टैक्स लेता था वह नहीं ले पाएगा। इसका मतलब प्राइवेट वाले 6 रुपया और उसके अलावा 30 रुपया आपको और देना पड़ेगा। मान्यवर, मंत्री जी मुर्गी और चूजों पर क्यों तरस खा गए? उन पर भी टैक्स लगा देते।

अब श्रीमन्, बाजार में ही नहीं धारा 3 में लिखा है कि बाजार के 5 किलोमीटर के क्षेत्र के अन्दर जो भी गांव पड़ेंगे वहां भी यह टैक्स लगेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि यह जो विधेयक है वह बहुत ही अस्पष्ट है, असंगतियों से भरा है और विरोधाभास पूर्ण है। यह आपकी घोषित नीति के विपरीत है। इसलिए इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अत: इसको संयुक्त प्रवर समिति में भेजें। सेलेक्ट कमेटी में इस पर अच्छी तरह से विचार हो। दूसरी बात अभी तक माननीय मंत्री जी यह नहीं बता पाए हैं कि कितना रुपया सरकार को मिल सकेगा और उसमें कितना रुपया आपका खर्च होगा? रुपया तो वसूल होगा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

लेकिन उसे वसूल करने में आपका कितना खर्च होगा इसको स्पष्ट नहीं किया है। इन शब्दों के साथ मैं पुन: निवेदन करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करेंगे।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि माननीय पशु पालन मन्त्री जी ने जो विधेयक पेश किया है मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता और जो प्रवर समिति में भेजने के लिए प्रस्ताव पेश हुआ है उसको समर्थन करना चाहता हूं।

यह बात सदन में कई बार उठी कि बहुत से मेले और बाजारें जो प्राइवेट लगते हैं जिनको भूतपूर्व जमींदार लगाते हैं उनका राष्ट्रीयकरण किया जाएगा इसे कई माननीय सदस्यों ने कहा। यह विधेयक यदि उस दिशा में होता तब तो बात ठीक थी, लेकिन यह उस दिशा में नहीं है। प्राइवेट मेले और हाट, बाजार कायम रहेंगे और उन में जिस तरह से जानवरों के खरीद और बिक्री पर कर वसूल होता है वह चलता रहेगा और सरकार का टैक्स उसके एडिशन में होगा। मान्यवर, आपको भी अनुभव होगा, माननीय सदस्यों ने जैसा बताया हमारे जिलों में बहुत बड़े मेले लगते हैं। मेरे ही जिले में दो तीन मेले लगते हैं। हरदोई जिले में भी बड़े-बड़े मेले लगते हैं। लखनऊ में लगता है जो 15 दिन तक चलता है, तो इनसे मेले मालिकों की आमदनी होती है। उनको फायदा होता है। अब तक एक बैल पर बिक्री का टैक्स जो मेला मालिक लगाते हैं वह दस रुपए से ज्यादा नहीं है। भैंस का भी दस से ज्यादा नहीं है। कहीं पर 6 है या 8 है लेकिन दस से ज्यादा नहीं है। अब स्थिति यह है कि सरकार भैंस व बैल पर 30 रुपया टैक्स लगायेगी और मेला मालिक दस रुपया वसूल करेंगे ही। सरकार को देने के लिए तीस रुपया वसूल करेंगे। तो अब बैल पर टैक्स चालीस रुपया हो जाएगा। मान्यवर, बैल महंगा है, कहीं पर पांच सौ रुपए में आता है और कहीं एक हजार में। ऐसे बैल भी हैं जो सौ रुपए में भी आते हैं। तो सौ रुपया का बैल होगा और चालीस रुपए का उस पर टैक्स। कितनी अदूरदर्शिता है? सरकार अपने कब्जे में मेलों को ले लेती और मुनासिब टैक्स लगाती लेकिन जो मध्यस्थ है वह टैक्स देगा सरकार को। मध्यस्थ खत्म नहीं हुआ उसका शोषण जारी रहेगा। सरकार अगर बिना सोच समझ कर अदूरदर्शिता से टैक्स लगाती है तो बहुत ही कठिनाई पैदा हो सकती है।

मान्यवर, यह तय नहीं है। नियम बनाया जायगा नियम में क्या होगा क्या नहीं होगा, यह तय नहीं है कि कौन टैक्स देगा, क्रेता या विक्रेता। यह तय करेंगे। एक चीज इसमें रखी है वसूल की व्यवस्था जैसा धारा 7 में रखा गया है ठेकेदारी प्रथा से होगी। ठेकेदारी के लिए सार्वजनिक रूप से नीलाम भी किया जा सकता है और आपसी बातचीत से भी तय किया जा सकता है। मान्यवर, आप यह सोचें कि आपसी बातचीत ने कितना रास्ता खोल दिया भ्रष्टाचार का। ठेकेदारी के सम्बन्ध में कई बार इस सदन में आवाज उठी कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाय और प्रयास भी हो रहा है, पी0 डब्ल्यू0 डी0 में मजदूर कोआपरेटिव सोसायटी को काम दिया जायगा लेकिन पशु पालन विभाग में यह नई ठेकेदारी प्रथा शुरू हो रही है। माननीय मन्त्री जी इसके पक्ष में हों कि ठेकेदारी प्रथा न हो लेकिन विभागीय अधिकारी तो पक्ष में होंगे। जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग में ठेकेदार अधिकारियों को सलाम करने पहुंचता है। सिंचाई विभाग में जाता है तो पशु पालन विभाग में भी सलाम करने के लिए कुछ ठेकेदार होने चाहिए। तो ठेकेदारी प्रथा इसमें रखी है और वह आपसी बातचीत से तय होगी इससे भ्रष्टाचार का रास्ता खुलता है।

दूसरी बात, ठेकेदार टैक्स वसूल कैसे करेगा? ठेकेदार किस तरह से वसूल करेंगे क्यों कर वसूल करेंगे? उसको भी कमीशन मिलेगा वह किस रेट से? इन सब बातों का कोई प्राविधान नहीं है इससे कितना करप्शन का स्कोप फैलेगा, और एक नया बोझ

काश्तकारों और किसानों पर, बकरियों और सूअर पालने वालों पर पड़ेगा इसके ऊपर दूरदर्शिता से नहीं सोचा गया है। यह बिल बहुत जल्दी लाया गया है और अदूरदर्शिता से लाया गया है इसी वजह से इसमें भ्रष्टाचार बढ़ने की सम्भावना है। इसलिए मेरा प्रस्ताव मुनासिब है यह कि सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय तो इसमें ठीक तौर से विचार करके और उचित परिवर्तित संशोधनों के साथ यह बिल दुबारा आए और तभी इसको पास किया जाय। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने इस विधेयक पर अपने विचार प्रकट करके इस ओर ध्यान दिलाया। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि यह विधेयक बहुत सोच समझकर लाया गया है और जो कृषक और लैन्डलेस लोग हैं केवल उनके फायदे की दृष्टि से ही यह लाया गया है। बहुत जोर हमारे साथी श्री भीखा लाल जी ने दिया कि ठेकेदार किस रीति से कर वसूल करेंगे? तो मान्यवर, ऐसा कोई इरादा नहीं है। यदि इस विधेयक को पढ़े तो इससे साफ जाहिर है कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि यह कार्य हम ठेकेदार को ही देंगे हम अपने आदमी भी एप्वाइन्ट करेंगे। अधिनियम का 6(क) (ख) (ग) यदि आप देखें तो इसमें कई अधिकारियों के एप्वाइन्ट करने का उल्लेख है। तो इसी प्रकार से मान्यवर, और भी कई चीजें हैं लेकिन ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य ने इसको ठीक तरह से पढ़ा नहीं है इसलिए उनको कई चीजों में भ्रम हो गया है। इसी प्रकार से माननीय ऊदल जी ने कहा कि इससे जितने बाजार और मेले लगते थे उतने नहीं लगेंगे तो माननीय यह बात गलत है अब भी प्रदेश में 266 मेले लगते हैं। इसके अलावा वे तो स्वयं ही कहते हैं कि प्रदेश में ऐसी ऐसी भैंसें और गायें हैं जो आधा-आधा किलो या एक-एक किलो दूध देती हैं और नयी किस्म की गायें और भैंस लाए जाने चाहिए। तो मान्यवर इसी के लिये ही यह विधेयक लाया गया है।

एक सुझाव यह भी आया कि मेले में ठेकेदार जो पहले 6 रुपए लेता था उसे 2 अथवा 1 रुपया लेना चाहिए। देखा यह गया है कि हाट बाजार जो लगते हैं उनमें कीमत पर ठेकेदार टैक्स लेते हैं दो पैसे या तीन पैसे रुपये के हिसाब से। मैंने एक बार स्वयं बैल खरीदे और उसमें खरीदने वाले तथा बेचने वाले को 150 रुपये प्रत्येक को देने पड़े। इसलिए ऐसे यह प्राविजन कर दिया है...

(व्यवधान)

श्री ऊदल—

बटेश्वर के मेले में जो आगरा में लगता है और सबसे बड़ा मेला है, उसमें सरकार का भी इन्तजाम रहता है उसमें काफी रुपया विक्रेता को देना पड़ता है और बाकायदा रसीद मिलती है। जांच करा ली जाय।

श्री चेतराम गंगवार—

मैं यह कह रहा था कि अब विक्रेता को नहीं देना पड़ेगा, केवल क्रेता को देना पड़ेगा। दर निश्चित कर दी हैं और जो ठेकेदार है अथवा कर्मचारी हैं वह इससे अधिक टैक्स नहीं लगा पाएगा। जहां तक गरीब आदमी की बात है उसके लिए छूट दे दी गयी है कर के भुगतान से और जो मरियल जानवर है उसके लिए भी सरकार जागरूक है। क्लाज 5 में राज्य सरकार ने इसकी व्यवस्था जनसाधारण के हित में कर दी है। माननीय सदस्य का इससे समाधान हो जायगा अगर कोई वर्ग ऐसा है जिसको छूट की आवश्यकता है तो उसके लिए छूट का प्राविजन कर दिया गया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

आपने सूअर के तथा गधे के बच्चे तक को तो कर से बख्शा नहीं है?

श्री चेतराम गंगवार--

सुअर के बच्चे बहुत कम हो गए हैं। यह विधेयक बहुत सोच समझ कर लाया गया है। गोविन्द सिंह जी ने पूछा था कि इससे क्या आय होगी तो मैं बतला दूं कि इससे 1 करोड़ 85 लाख रुपए की आय होगी और सरकार का यह निश्चित मत है कि जो आय होगी वह सारा पशुधन के विकास के लिए खर्च किया जायगा। इससे गरीब किसान और भूमिहीनों को फायदा पहुंच सकेगा। इसलिए अब मैं अपने भाई से यह निवेदन करूंगा कि वह अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

(संशोधन वापस न लिए जाने पर)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पशु क्रय-कर विधेयक, 1976 को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक मास में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पशु क्रय-कर विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2

परिभाषाएं

2--इस अधिनियम में--

(1) 'अपील प्राधिकारी' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन नियुक्ति पशु-कर अपील प्राधिकारी से है ;

(2) 'निर्धारण प्राधिकारी' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन नियुक्त पशु-कर निर्धारण प्राधिकारी से है ;

(3) 'पशु' का तात्पर्य गाय, भैंस, ऊंट, हाथी, घोड़ा, गदहा, टट्टू बकरी, भेड़ या सुअर या उनमें से किसी की सन्तति से है, चाहे वह नर हों या मादा और किसी भी उम्र का हो ;

(4) 'पशु क्रय कर' या 'कर' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कर से है;

(5) 'संग्रह अधिकारी' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन नियुक्त पशु-कर संग्रह प्राधिकारी से है;

(6) 'बाजार' का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाय, लगने वाले हाट, मेला या प्रदर्शनी से है, जहां पशुओं के विक्रय का संव्यवहार व्यापक रूप से तय किया जाय, दर्ज किया जाय या सम्पन्न किया जाय;

(7) 'कीमत' का तात्पर्य पशु क्रय करने के लिए प्रतिफल के रूप में क्रेता द्वारा नकद या वस्तु रूप में दी गयी या देय राशि से है, और जब वह वस्तु रूप में हो तो उसके बराबर नकद राशि से है, और कीमत में गिरवीं के संव्यवहार की स्थिति में, गिरवीं से प्राप्त राशि भी सम्मिलित है ;

(8) 'क्रेता' का तात्पर्य बाजार में स्वयं अपनी ओर से या दूसरे की ओर से पशु क्रय करने वाले व्यक्ति से है और उसमें बाजार में गिरवी रख गये पशु का पण्यमदार भी सम्मिलित है ;

(9) 'विक्रय' का तात्पर्य कीमत के बदले में स्वामित्व के अन्तरण से है, और इसमें गिरवी का अन्तरण भी सम्मिलित है और पद 'क्रय' का तदनुरूप अर्थ लगाया जायगा ;

(10) 'विक्रेता' का तात्पर्य बाजार में स्वयं अपनी ओर से या किसी दूसरे की ओर से पशु का विक्रय करन वाल व्यक्ति से है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 3, 4, 5 और 6

कर का अधिरोपण

पशु के क्रय पर कर का उद्ग्रहण

3—राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित दिनांक पर और दिनांक से, बाजार में पशु के विक्रय के प्रत्येक संव्यवहार पर अनुसूची में दी गई दर पर, क्रेता द्वारा राज्य सरकार को कर दिया जायगा जो पशु क्रय-कर कहलायेगा ।

स्पष्टीकरण—जिस स्थान पर बाजार लगता है, उस स्थान से पांच किलो मीटर के भीतर किसी भी स्थान पर किये गये क्रय को बाजार में किया गया क्रय समझा जायगा।

अन्य कर से छूट

4—जहां किसी संव्यवहार के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कोई कर देय हो, वहां किसी अन्य उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन पशु के क्रय या विक्रय पर कोई कर, उपकर, शुल्क या अन्य उदग्रहण देय नहीं होगा ।

राज्य सरकार को छूट देने की शक्ति

5—राज्य सरकार, जनसाधारण के हित में, अधिसूचना द्वारा, किसी क्रेता या क्रेताओं क किसी वर्ग को कर के भुगतान से छूट दे सकती है ।

कर और शास्ति की वसूली

प्राधिकारियों की नियुक्ति

6—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी विशिष्ट क्षेत्र या विशिष्ट बाजार के लिये किसी व्यक्ति को, चाहे नाम से या पदनाम से,—

(क) कर और शास्ति का निर्धारण कार्य करने और किसी अन्य कार्य को, जो विहित किया जाय, करने के लिये 'पशु-कर निर्धारण प्राधिकारी' ;

(ख) इस अधिनियम में उपबन्धित अपील की सुनवाई और उसका निस्तारण करने के लिए 'पशु-कर अपील प्राधिकारी' ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन कर और शास्ति का संग्रह या उसे वसूल करने के लिये पशु-कर संग्रह प्राधिकारी' ;

नियुक्त कर सकती है :

परन्तु एक से अधिक क्षेत्र या बाजार में एक ही कार्य के लिये एक ही प्राधिकारी नियुक्त किया जा सकता है या, किसी विशिष्ट क्षेत्र या बाजार में ही एक कार्य के लिये एक से अधिक व्यक्ति नियुक्त किये जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

खंड 3 में संशोधन दिया है। यह अनन्तिम है इसलिये इसे स्वीकार कर लिया गया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि "खंड 3 के स्पष्टीकरण में " 5 किलोमीटर" के स्थान पर "एक किलोमीटर" रख दिया जाय।" 5 किलोमीटर का क्षेत्र जो लिया जा रहा है यह बहुत विस्तृत क्षेत्र होगा इसलिये मेरा यह प्रस्ताव है कि 1 किलोमीटर की सीमा रखी जाय जो ठीक रहेगा।

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, अस्वीकृत है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 3 के स्पष्टीकरण में 'पांच किलोमीटर' के स्थान पर, 'एक किलोमीटर' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 3, 4, 5 और खंड 6 विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 तथा अनुसूची

कर संग्रह का अधिकार ठेके पर देना

7—(1) राज्य सरकार किसी बाजार में कर संग्रह का अधिकार सार्वजनिक नीलाम या आपसी बातचीत द्वारा, एक बार में दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिये ऐसी शर्तों और उपबन्धनों पर, जैसी राज्य सरकार उचित समझ किसी व्यक्ति को पट्टे पर दे सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन पट्टा की स्थिति में पट्टेदार का और उसके द्वारा कर का संग्रह करने के प्रयोजन के लिये उसके अभिकर्ता के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन नियुक्त संग्रह प्राधिकारी समझा जायगा।

प्रतिभूति

8—(1) धारा 6 के अधीन संग्रह प्राधिकारी के रूप में नियुक्त ऐसे व्यक्ति से, जो सरकारी सेवा में न हों, ऐसी पर्याप्त प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जायगी जिससे इस अधिनियम के अधीन वसूल की गयी राशि का सरकारी कोषागार में जमा किया जाना सुनिश्चित हो जाय।

(2) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन पट्टेदार से अपेक्षा की जायगी कि वह पट्टे की शर्तों और निबन्धनों का सम्यक पालन करने के लिये ऐसी प्रतिभूति दे, जैसी राज्य सरकार निदेश दे।

पशुओं का अभिग्रहण करने की शक्ति

9—(1) कर की मांग करने पर भुगतान न करने की स्थिति में, संग्रह प्राधिकारी पशु का अभिग्रहण कर सकता है और इस प्रकार अभिग्रहण करने पर पशु को निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायगा।

(2) यदि पशु का अभिग्रहण किये जाने के 24 घंटे के भीतर कर और अधिरोपित शास्ति, यदि कोई हो, और अभिग्रहण से उत्पन्न व्यय का भुगतान कर दिया जाय तो पशु को छोड़ दिया जायगा।

(3) यदि उपधारा (2) में उल्लिखित देयों का भुगतान उक्त अवधि के भीतर न किया जाय तो निर्धारण प्राधिकारी पशु को बेच सकता है और कर, अधिरोपित शास्ति, यदि कोई हो, और ऐसे अभिग्रहण और विक्रय के कारण हुए व्यय को काटने के पश्चात्, अधिशेष, यदि कोई हो, पशु के स्वामी को लौटा देगा :

परन्तु निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किये गये ऐसे विक्रय पर इस अधिनियम के अधीन क्रेता द्वारा कोई कर देय नहीं होगा ।

कर का भुगतान न करने के लिये शास्ति

10—यदि कोई क्रेता क्रय के समय या विहित अवधि के भीतर अपने द्वारा देय कर की सम्पूर्ण राशि का भुगतान नहीं करता है तो वह देय कर के अतिरिक्त निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति का भी देनदार होगा :

परन्तु क्रेता को सुनवाई का अवसर दिये बिना कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जायगी :

परन्तु यह भी कि शास्ति की राशि अदत्त कर की राशि के पांच गुने से अधिक न होगी ।

कोषागार में जमा करना और व्यतिक्रम के लिए शास्ति

11—संग्रह प्राधिकारी अपने द्वारा वसूल की गयी समस्त राशि को वसूल करने के दिनांक से तीन दिन के भीतर सरकारी कोषागार में जमा करेगा जिसके न करने पर, वह इस प्रकार वसूल की गई राशि के अतिरिक्त, निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति का देनदार होगा :

परन्तु उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जायगी :

परन्तु यह भी कि शास्ति की राशि उसके द्वारा देय धनराशि से अधिक न होगी ।

भू-राजस्व के रूप में वसूली

12—इस अधिनियम के अधीन देय कर, या शास्ति की राशि या अन्य राशि, निर्धारण प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र पर भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जा सकेगी ।

अपील

अपील

13—(1) कर निर्धारण या धारा 10 या धारा 11 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उसे आदेश की संसूचना के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को विहित रीति से अपील कर सकता है :

परन्तु कोई ऐसी अपील ग्रहण नहीं की जायगी जब तक कि उसके साथ अपील प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के पास निर्धारित कर और अधिरोपित शास्ति की, यदि कोई हो, कम से कम आधी राशि का भुगतान करने का सन्तोषप्रद सबूत न हो ।

(2) अपील प्राधिकारी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकता है यदि उसका समाधान हो जाय कि उक्त अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण था ।

(3) अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील पर ऐसे आदेश देगा जैसा वह उचित समझे और वह आदेश अन्तिम होगा ।

प्रकीर्ण

उपस्थित होने आदि के लिए बाध्य करने की शक्ति

14—निर्धारण प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी को इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में वही शक्तियां होंगी जो किसी वाद पर विचार करत समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित है :—

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और शपथ या प्रतिज्ञान पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये बाध्य करना ;

(ग) किसी साक्षी की साक्षी या स्थानीय अन्वेषण या लेखों की परीक्षा के लिये कमीशन जारी करना; और

(घ) ऐसा अन्तरिम आदेश देना जैसा न्याय के उद्देश्य के लिए आवश्यक हो;

और इस अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के प्रयोजनार्थ न्यायिक कार्यवाही समझा जायगा ।

भूल सुधार

15—निर्धारण प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी निर्धारण या अपील के निस्तारण के दिनांक से एक वर्ष के भीतर किसी समय यथास्थिति, निर्धारण या अपील के अभिलेख में प्रत्यक्ष किसी भूल का सुधार कर सकता है :

परन्तु कोई ऐसा सुधार, जिससे क्रेता का दायित्व बढ़ जाय, क्रेता को सुनवाई का अवसर दिये बिना नहीं किया जायगा ।

वादों और कार्यवाहियों पर रोक

16—इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी आदेश पर आपत्ति करने के प्रयोजनार्थ किसी न्यायालय में कोई वाद ग्राह्य नहीं होगा, और इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी किसी बात के लिये किसी प्राधिकारी या राज्य सरकार के विरुद्ध कोई अभियोजन, वाद या अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

नियम

17—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है:

(क) क्षेत्र के अनुसार बाजार का परिसीमन और उसकी अवधि;

(ख) रीति जिसके अनुसार कर का निर्धारण, भुगतान या संग्रह किया जायगा;

(ग) विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा रखे जाने वाले प्रपत्र और रजिस्टर;

(घ) द्वारा 7 के अधीन कर का संग्रह करने को ठेके पर देने की रीति;

(ङ) द्वारा 9 के अधीन पशु का अभिग्रहण उसकी अभिरक्षा और उसे छोड़ना;

(च) धारा 13 के अधीन अपील का प्रपत्र और उसे करने की रीति और उस पर देय न्यायालय फीस ;

(छ) इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ज) अधिक वसूल की गयी राशि को वापस करना;
(झ) बाजार में पशु की बिक्री करनेवाल विक्रेता द्वारा या उस व्यक्ति द्वारा जिसकी भूमि पर बाजार लगे ; निर्धारण प्राधिकारी को दी जाने वाली सूचना;
(ञ) नोटिस और आदेश तामील करन का प्रपत्र और उसकी रीति;
(ट) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना हो या किया जाय।

अनुसूची

(धारा 3 देखिए)

पशु का नाम	प्रति पशु की दर रु0
1—बकरा/बकरी या भेड़/भेड़ी	3
2—भैंस का बच्चा(नर)	5
3—ऊंट का बच्चा (नर या मादा)	5
4—गाय का बच्चा (मादा)	5
5—सुअर	5
6—भैंस का बच्चा (मादा)	10
7—गाय का बच्चा (नर)	10
8—गधा (नर या मादा)	10
9—गाय	15
10—खच्चर या टट्टू (नर या मादा)	15
11—भैंसा	20
12—घोड़ा या घोड़ी	20
13—ऊंट (नर या मादा)	25
14—भैंस	30
15—बैल या सांड	30
16—हाथी (नर या मादा)	50

स्पष्टीकरण—"बच्चा" का तात्पर्य पशु के ऐसी उम्र के बच्चे से है जो विहित की जाय।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 7 निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

'राज्य सरकार किसी बाजार में कर–संग्रह की व्यवस्था नियत रीति से करेगी।'

जैसा कि हमने बताया कि आप एक नई प्रणाली को जन्म दे रहे हैं और कर वसूली ठेकेदारों से कर रहे हैं। आपके द्वारा हम बहुत व्यापक अधिकार दे रहे हैं। आप नियम बना कर जिस रीति से चाहें करें लेकिन इस ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाय। मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, अस्वीकृत है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 7 निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"राज्य सरकार किसी बाजार में कर–संग्रह की व्यवस्था नियत रीति से करेगी'।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 7, खंड 8, खंड 9, खंड 10, खंड 11, खंड 12, खंड 13, खंड 14, खंड 15, खंड 16 और खंड 17 तथा अनुसची, इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश पशु क्रय कर विधेयक, 1976

उत्तर प्रदेश में पशुओं के क्रय पर कर का उद्ग्रहण करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पशु क्रय कर अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पशु क्रय-कर विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, इस विधेयक में जैसा कि कहा गया ठेकेदारी की एक नई प्रथा को रखा जा रहा है। माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि इसमें प्राधिकारियों की नियुक्ति धारा 6 के अन्दर की गई है लेकिन जरूरी नहीं है और इसे ठेकेदारी से भी कराया जा सकता है और राज्य सरकार जब चाहे उन्हें दे सकती है। इसमें धारा 6 जो है इससे सामन्ती झलक आती है। इसलिए इसे न रखा जाय।

श्री अध्यक्ष—

धारा 6 में आपने संशोधन तो दिया नहीं था ?

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

मैं पूरे बिल पर बोल रहा हूं। इसमें दिया है कि किसी व्यक्ति को नाम से या पद से प्राधिकरण का अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी आदमी को इसको वसूल करने के लिये नियुक्त किया जा सकता है। तो यह गलत है।

पशुपालन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

श्रीमन्, यह जो क्लोज 7 है यह इनेब्लिंग क्लाज है। शासन पर यह उत्तरदायित्व नहीं है कि यह ठेकेदारी सिस्टम जरूर किया जाय। अगर कहीं पर जिला परिषद् है तो हम उसके साथ कोई व्यवस्था करना चाहते हैं तो कर लेंगे। कोई ठेकेदारी हम नहीं करने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पशु क्रय-कर विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी और हाथ उठाकर विभाजन होने पर प्रस्ताव निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—67,

विपक्ष में—8।

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (उपान्तर सहित पुनः अधिनियमन) विधेयक, 1976†

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर चरण सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (उपान्तर सहित पुनः अधिनियमन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, 1962 में ऐसा विधेयक पारित हुआ था जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि हिन्दू सार्वजनिक और धार्मिक जो संस्थाएं हैं उनकी सम्पत्ति को दरहमबरहमन किया जाय, बेचा न जाय या दुरुपयोग न किया जाय, उसकी रोक थाम की गयी थी। वह अस्थायी रूप में था। निश्चित समय पर उसकी अवधि बढ़ायी जाती है। 14 नवम्बर, 1976 को उसकी अवधि खत्म होती है। इस बीच में राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश पब्लिक चैरिटेबिल ऐण्ड हिन्दू रिलीजस इंस्टीट्यूशन ऐंड एंडाऊमेंट आर्डिनेंस, 1976 लागू किया और उसके माध्यम से यह निरस्त हो गया, जो पहला ऐक्ट था। लेकिन उस आर्डिनेंस को लैप्स होने दिया जा रहा है। इसलिए जरूरत पड़ी कि संशोधन के रूप में यह बिल लाया जाय। और इसमें मुख्य रूप से संशोधन है कि जहां यह टेम्पोरेरी है इसको परमानेंट कर दिया जाय और प्रापर्टी के ट्रांसफर के मुताल्लिक रेगुलेशन बनाये जायं ताकि सम्पत्ति का किसी तरह से दुरुपयोग न हो। इस मंशा से इसको लाया जा रहा है। इसको मैं आपके सम्मुख रखता हूं।

*श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (उपान्तर सहित पुनः अधिनियमन) विधेयक, 1976 को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक मास में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

मैं इस संशोधन प्रस्ताव को इस सदन में पेश करते हुए मंत्री जी का ध्यान धार्मिक संस्थाओं और धार्मिक स्थलों की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। धर्मप्रधान देश और प्रदेश में धर्म के नाम पर इतन श्रद्धालु और आस्थावान व्यक्ति हैं, जिस तरह से वह इतनी उदारता करते हैं और जिस तरह का अपव्यय इन धार्मिक संस्थाओं के स्तर पर किया जाता है दोनों में विरोधाभास है।

श्री अध्यक्ष—

दो बजे दूसरा आइटम आना है। जल्दी कहिए।

श्री देव कुमार यादव—

इसलिए संक्षिप्त रूप में माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि धार्मिक संस्थाओं के प्रबन्ध में और धार्मिक स्थलों के विकास के लिये सरकार द्वारा कोई नियोजित योजना होनी चाहिये। और जितना दान इसमें आता है उसका लेखा-जोखा होना चाहिए। क्योंकि यह निजी अनुभव है कि महन्तों और पुजारियों के जरिये जितना धन आता है कोई हिसाब-किताब नहीं रखा जाता है, उसका अपव्यय होता है। मैं किसी धार्मिक भावना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†3 नवम्बर, 1976 की कार्यवाही में छपा है।

[श्री देव कुमार यादव]
को ठेस पहुंचाये बिना कहता हूं कि बहुत से धार्मिक स्थल भ्रष्टाचार के अड्डे बन गये हैं। और जिनका रोका जाना नितान्त आवश्यक है। धार्मिक स्थानों में सफाई की व्यवस्था नहीं है। चित्रकूट ऐसा स्थल है जहां पर लाखों लोग आते हैं। आप भी मान्यवर, कई बार वहां पर गये हैं और वहां की व्यवस्था को देखा है। कितनी खराब व्यवस्था है। सफाई का प्रबन्ध नहीं है। लोग धन का दुरुपयोग करते हैं और सरकार के पास उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। इन पन्डों और मठाधीशों से उसका हिसाब लिया जाना चाहिये। म इन शब्दों के साथ आपसे यह आग्रह करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया जाय जिससे इस पर अच्छी तरह से विचार हो जाये।

एक सदस्य—

मान्यवर, इस पर तो बोलने का मौका ही नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—

इसे 2 बजे तक समाप्त होना था।

डाक्टर चरण सिंह—

मान्यवर, इस पर दोबारा बिचार किया गया है और जो कमियां पहले थीं उनको दूर कर दिया गया है। अतः जो यह संशोधन विधेयक है उस पर सदन विचार करे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (उपान्तर सहित पुनः अधिनियमन) विधेयक, 1976 को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो एक मास में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (उपान्तर सहित पुनः अधिनियमन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2, 3, 4, 5, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (उपान्तर सहित पुनः अधिनियमन) विधेयक, 1976

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, 1962 का कतिपय उपान्तरों सहित पुनः अधिनियमन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (उपान्तर सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

उपान्तर सहित उ० प्र० अधिनियम संख्या 22, 1962 का पुनः अधिनियमन

2—उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, 1962 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3, 4 और 5 में दिये गये उपान्तरों सहित पुनः अधिनियमित किया जाता है।

दीर्घ शीर्षक का संशोधन

3—मूल अधिनियम के दीर्घ शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित दीर्घ शीर्षक रख दिया जायगा, अर्थात्—

"उत्तर प्रदेश में हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्ति के अपव्यय को रोकने और हस्तान्तरण को विनियमित करने की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम"

प्रस्तावना का प्रतिस्थापन

4—मूल अधिनियम की प्रस्तावना के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्तावना रख दी जायगी, अर्थात् :—

"यह समीचीन है कि उत्तर प्रदेश में हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्ति के अपव्यय को रोकने और हस्तान्तरण को विनियमित करने की व्यवस्था की जाय"

धारा 1 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 1 में,—

(क) उपधारा (1) में, शब्द और कोष्ठक " (अस्थायी अधिकार)" निकाल दिये जायेंगे ; और

(ख) उपधारा (3) निकाल दी जायगी।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, 4, 5, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डाक्टर चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (उपान्तर सहित पुनः अधिनियमन) विधेयक, 1976 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (उपान्तर सहित पुनः अधिनियमन) विधेयक, 1976 पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अब जो हमारे पास संकल्प आया है वह एक तो माननीय कमला प्रसाद वर्मा का है, श्री सत्यपाल मलिक, श्री सत्य प्रकाश और श्री रणंजय सिंह का है। संकल्प के प्रस्तुतकर्त्ता नहीं हैं। अतएव हम मद 37 पर आते हैं।

नियम 51 के अन्तर्गत 4 सूचनायें मिली हैं। एक श्री मोहम्मद शकील अहमद की है कि लखनऊ शहर में कथित मोहल्लों में भेड़ियों के आतंक से जन जीवन अस्तव्यस्त है। इसको अस्वीकार किया।

दूसरा श्री काशीनाथ मिश्र एवं शिवानन्द नौटियाल का है कि जिला शाहजहांपुर, तहसील तिलहर की ग्राम सभा बरी प्रसिद्धपुर में बीस सूत्रीय कार्य क्रमानुसार 23 हरिजनों की आवंटित भूमि पर खड़ी फसलों को उजाड़ कर उन्हें प्रताड़ित करना व गांव से निकाल देने पर त्राहि त्राहि मचना। इसको केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है।

तीसरा श्री भीखालाल का है कि श्री अन्नपूर्णा आयल मिल, अलीगढ़ के मिल मालिक द्वारा एकाएक तालाबन्दी कर देने से मजदूरों में घोर असंतोष व अशान्ति।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--

अध्यक्ष महोदय मेरा यह बहुत जरूरी है। आप स्टेटमेंट दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष--

सरकार इस पर खुद वक्तव्य दे देगी।

श्री भीखालाल--

माननीय मंत्री जी के पास भेज दें।

श्री अध्यक्ष--

भेज देते हैं।

श्री भीखालाल--

मान्यवर, वहां पर मजदूरों में बड़ा असंतोष व्याप्त है। आप इस पर कम से कम मंत्री जी का वक्तव्य तो दिला दें ?

श्री अध्यक्ष--

ठीक है। मैं इसे केवल वक्तव्य के लिये मंत्री के पास भेजे देता हूं। दूसरे को भी भेजता हूं। श्री कौशिक का अस्वीकार कर दिया है।

अब हम उठते हैं और 8 तारीख को 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 2 बजकर 1 मिनट पर सोमवार, 8 नवम्बर, 1976 के 11 बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
4 नवम्बर, 1976

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 35 का उत्तर पीछे पृष्ठ 547 पर।)

तालिका

क्रम-सं0	नाम तथा पदनाम	जिस औषधि भंडार का कार्य देखते हैं उसका नाम	कार्यरत रहने की अवधि	शैक्षिक योग्यता
1	2	3	4	5
(1)	श्री शिव शंकर प्रसाद, फार्मेसिस्ट (कम्पाउन्डर)	जनरल तथा रिजर्व औषधि भंडार	लगभग एक वर्ष	प्रशिक्षित फार्मेसिस्ट (प्रशिक्षित फार्मेसिस्टों की शैक्षिक योग्यता बायलोजी से इन्टर पास तथा फार्मेसी में डिप्लोमा निर्धारित है)
(2)	श्री बलराम प्रसाद, मेडिकल अटेंडेन्ट (प्रशिक्षित)	राजकीय कर्मचारियों, विधायकों, स्वतंत्रता सेनानियों, जल विद्युत विभाग के कर्मचारियों तथा इमरजेन्सी वार्ड से सम्बन्धित औषधि भंडार।	लगभग दो वर्ष	हाई स्कूल अनुतीर्ण
(3)	श्री विजय शंकर त्रिपाठी, स्टोर कीपर–कम–क्लर्क।	औषधि के अतिरिक्त चिकित्सालय के सभी भंडार का कार्य देखते हैं।	लगभग एक वर्ष	इण्टरमीडिएट

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 59 का उत्तर पीछे पृष्ठ 553 पर।)

कर्मचारियों की सूची जिनके लिये नसबंदी आपरेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है :—

	लक्ष्य (प्रतिमाह)
(1) परिवार नियोजन कार्यकर्ता—	
1—प्रसार शिक्षक	2
2—परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायक	2
3—महिला स्वास्थ्य निरीक्षिका	2
4—ए0 एन0 एम0/एफ0 डब्लू0 डब्लू0	2
(2) स्वास्थ्य कार्यकर्ता—	
1—सैनिटरी इन्सपेक्टर	1
2—स्वास्थ्य निरीक्षक	1
3—वैक्सीनेशन सुपरवाइजर	1
4—बेसिक हेल्थ वर्कर व वैक्सीनेटर	1

नगरीय केन्द्रों में 4 कार्यकर्ता मानकर लक्ष्य 8 रखा गया है।

———

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 61 का उत्तर पीछे पृष्ठ 554 पर।)

तालिका 'क'

1—श्रीमंत इन्डियन ड्रग एंड फार्मास्युटिकल लि0, लखनऊ।
2—श्रीमंत बरोज बेलकम कं0 (इन्डिया) प्रा0 लि0, बम्बई।
3—श्रीमंत ज्योषिरी मैनर्स एंड कं0 लि0, कानपुर।
4—श्रीमंत यूनीडिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा0 लि0, लखनऊ।
5—श्रीमंत कास्मों फार्मास्युटिकल प्रा0 लि0, गाजियाबाद (मेरठ)।
6—श्रीमंत नेशनल मेडिकल स्टोर्स, लखनऊ।
7—श्रीमंत नेक्ट्रीन फार्मेसी, गाजियाबाद।
8—श्रीमंत इन्टरनेशनल एजेन्सीज, लखनऊ।
9—श्रीमंत मेडी प्रोडक्ट्स, लखनऊ।
10—श्रीमंत फार्मास्युटिकल कं0 आफ इन्डिया, बम्बई।
11—श्रीमंत सेण्डीज इन्डिया लि0, नई दिल्ली।
12—श्रीमंत हिमालिया ड्रग कं0, बम्बई।
13—श्रीमंत वोल्टाज लि0, कानपुर।
14—श्रीमंत फार्माचेम लेबोरेट्रीज, लखनऊ।
15—श्रीमंत हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि0, पूना।
16—श्रीमंत डेज मेडिकल स्टोर्स मैन्युफैक्चरिंग प्रा0लि0, लखनऊ।
17—श्रीमंत भारत सिरिंज वर्क्स, लखनऊ।
18—श्रीमंत यू0 एस0 विटामिन्स एंड फार्मास्युटिकल कार्पोरेशन (इन्डिया) प्रा0 लि0, बम्बई।
19—श्रीमंत हैपकिन बायोफार्मास्युटिक कार्पोरेशन, बम्बई।
20—श्रीमंत हेस्ट फार्मास्युटिकल लि0, लखनऊ।
21—श्रीमंत सायनेमिड इन्डिया लि0; लखनऊ।
22—श्रीमंत एलोडियल केमिकल कं0 प्रा0 लि0, मेरठ।
23—श्रीमंत रिचेमको लेबोरेट्रीज, कानपुर।
24—श्रीमंत रिन्को फार्मास्युटिकल, कानपुर।
25—श्रीमंत बायोलोजिकल इवान्स प्रा0लि0, बम्बई।
26—श्रीमंत सिगमा केमिकल एंड फार्मास्युटिकल लेबोरेट्रीज, लखनऊ।
27—श्रीमंत यूनाइटेड एजेन्सीज, लखनऊ।
28—श्रीमंत एमसन एंड कं0, गाजियाबाद (मेरठ)।
29—श्रीमंत गर्गा फार्मा प्रा0 लि0, लखनऊ।
30—श्रीमंत अर्गनान इन्डिया लि0, कलकत्ता।
31—श्रीमंत गोपाल इन्जीनियरिंग, लखनऊ।
32—श्रीमंत अजन्ता फार्मास्युटिकल, लखनऊ।
33—श्रीमंत सालोमन कं0, लखनऊ।
34—श्रीमंत राधा ड्रग हाउस, लखनऊ।
35—श्रीमंत लैवोस केमिकल, लखनऊ।
36—श्रीमंत फार्मास्युटिकल लैब।

तालिका 'ख'

फर्म का नाम			सप्लाई की गई औषधि का मूल्य
1—श्रीमंत एमसन एंड कं0, लखनऊ	..	..	2,178.52
2—श्रीमंत यूनाइटेड एजेन्सीज, लखनऊ	..	..	3,193.00
3—श्रीमंत मैडी प्रोडक्ट, लखनऊ	..	..	3,022.36
4—श्रीमंत आई0 डी0 पी0 एल0, लखनऊ		..	5,464.24
5—श्रीमंत ईस्टर्न मेडिकल एण्ड कम्पनी, लखनऊ		..	1,569.60
6—श्रीमंत राधा ड्रग हाउस, लखनऊ		..	1,02,632.34
7—श्रीमंत बरोज बेलकम एंड कं0, बम्बई		..	870.97
8—श्रीमंत सेन्ट्रल मेडिकल स्टोर्स डिपो, लखनऊ		..	2,891.31
	योग	..	1,21,822.34

नत्थी 'घ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 62 का उत्तर पीछे पृष्ठ 554 पर)

आडिट आपत्तियों का सारांश

1—पुरानी आडिट आपत्तियों का अनुपालन आपत्तिजनक पाया गया।

2—वार्षिक लेखा नहीं बनाया गया ।

3—10 हजार रुपये का सड़क अनुदान का उपयोग नहीं किया गया।

4—डाकघर बचत खाता संख्या 411131 में उल्लिखित 85 हजार रुपए की धनराशि से सम्बन्धित पास बुक प्रस्तुत नहीं की गयी।

5—मंहगाई भत्ते से सम्बन्धित अभिलेख नहीं दिखाये गए।

6—1970-71 से 1973-74 तक का संप्रीक्षा शुल्क नहीं जमा किया गया।

7—नगर क्षेत्र समिति के प्रबन्ध में एक भवन है इसकी वार्षिक आय 120 रुपए है। इसका चतुर्थांश राजकोष में नहीं जमा किया गया।

8—नजूल से सम्बन्धित रजिस्टर सत्यापित नहीं थे।

9—जलकर नहीं लगाया गया था।

10—जलकर निर्धारण एवं जल परिव्यय नियमावली न लागू करने से समिति को आर्थिक क्षति हो रही है।

11—सम्पत्ति एवं विभव कर निर्धारित नहीं किया गया जिससे समिति को हानि हो रही है।

12—ठेका, अड्डा तथा तहबाजारी रजिस्टर नहीं दिखाए गए।

13—समिति की आय समय से कोषागार में नहीं जमा की गयी इस पर अध्यक्ष ने कोई ध्यान नहीं दिया और समिति के धन का निरन्तर अस्थायी दुर्विनियोग हुआ।

14—टोल टैक्स की आय की जांच नहीं की गयी इससे धन के दुरुपयोग की गम्भीर सम्भावना है।

15—आय से सम्बन्धित रसीदें नहीं दिखायी गयीं।

16—निर्माण-कार्य के अनियमित भुगतान हुए।

17—सम्पति रजिस्टर नहीं दिखाया गया।

18—कुओं की मरम्मत के लिये अध्यक्ष के नाम 500 रुपए अस्थायी अग्रिम निकाला गया जिसकी औपचारिकतायें नहीं पूरी की गयीं।

19—1974 में 1642.74 पैसा ओवरसियर को अमानी पर कार्य निर्माण कराने हेतु भुगतान किया गया जो अनियमित था क्योंकि काम ठेके पर कराए गए थे।

20—अधिष्ठान सूची नहीं प्रस्तुत की गयी जिससे यह ज्ञात हो सके कि समिति के कर्मचारियों को नियमित दर से वेतन दिया गया या नहीं।

21—श्री श्यामेश्वर प्रसाद भार्गव को अनियमित रूप से ओवरसियर के पद पर रखा गया।

22—समिति की आर्थिक एवं अनियमितताओं की स्थिति बहुत गम्भीर है।

नत्थी "ङ"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 67 का उत्तर पीछे पृष्ठ 556 पर।)

श्री राज कुमार शर्मा (प्रथम), अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम का लगातार लखनऊ में तैनाती की अवधि में पदवार एवं तिथिवार विवरण की सूची।

कार्य	पद	अवधि	उच्च अधिकारियों का नाम व पद जिनसे सीधे सम्बन्ध रहे हैं
1	2	3	4
पर्चेज कमेटी के कार्य ..	सहायक अभियन्ता	1-7-1971 से 11-2-72 तक।	श्री अविनाश चन्द्र चतुर्वेदी, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, षष्टम मन्डल, लखनऊ।
पर्चेज कमेटी के कार्य ..	सहायक अभियन्ता	12-2-1972 से मई, 1972 तक।	श्री राज नारायण मिश्र, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, षष्टम मन्डल, लखनऊ।
मुख्यालय के कार्य ..	सहायक अभियन्ता	मई, 1972 से 31-8-1972 तक।	श्री हरिहर प्रसाद घोष, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता,
विभागीय कार्यों की विशिष्टतायें एवं दरें तैयार करना।	सहायक अभियन्ता	1-9-1972 से 5-9-72 तक।	(1) श्री हरिहर प्रसाद घोष, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता। (2) श्री अविनाश चन्द्र चतुर्वेदी, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता।
विभागीय कार्यों की विशिष्टताएं एवं दरों की जांच करना।	अधिशासी अभियन्ता	6-9-1972 से 30-6-1973 तक।	तदैव
सभी आयोजनेतर कार्य (बाढ़, सूखा, कुम्भ एवं माघ मेला कार्यों को छोड़कर) गाजियाबाद मन्डल से सम्बन्धित सभी कार्य, जल परिषद् गठन व्यवहार से सम्बधिन्त सभी पत्र एवं उपरोक्त कार्यों के आर्बोट्रेशन से सम्बन्धित सभी कार्य।	अधिशासी अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता के वैयक्तिक सहायक (निर्माण-1)।	1-7-1973 से मई, 1974 तक।	तदैव
सभी आयोजनेतर कार्य (बाढ़, सूखा, कुम्भ मेला एवं माघ मेला कार्यों को छोड़कर) गाजियाबाद	तदैव	मई, 1974 से 17 जून, 1975 तक।	(1) श्री हरिहर प्रसाद घोष, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य

1	2	3	4
बाद मन्डल से सम्बन्धित सभी कार्य, जल परिषद् के गठन से सम्बन्धित समस्त पत्र-व्यवहार एवं उपरोक्त कार्यों के आर्बीट्रेशन से सम्बन्धित कार्य, क्रय समिति के सचिव के रूप में समस्त कार्य, रुड़की विश्वविद्यालय, आवास विकास की बैठकों से सम्बन्धित कार्य, विवाचन सम्बन्धी सभी कार्य, (पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर), लोहा तथा सीमेन्ट का प्रबन्ध ।			अभियन्ता। (2) श्री अविनाश चन्द्र चतुर्वेदी, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता।
सभी आयोजनेतर कार्य (बाढ़, सूखा, कुम्भ मेला एवं माघ मेला कार्य को छोड़कर) गाजियाबाद मन्डल से सम्बन्धित, सभी कार्य, जल परिषद् के गठन से सम्बन्धित, समस्त पत्र व्यवहार, एवं उपरोक्त कार्यों के आर्बीट्रेशन से सम्बन्धित सभी कार्य। क्रय समिति के सचिव के रूप में समस्त कार्य, रुड़की विश्वविद्यालय, आवास विकास की बैठकों से सम्बन्धित कार्य, विवाचन सम्बन्धी सभी कार्य (पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर), लोहा तथा सीमेन्ट का प्रबन्ध।	तदैव	18 जून, 1975 से 30 सितम्बर, 1975 तक।	श्री हरिहर प्रसाद घोष, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता।
तदैव	तदैव	1-10-1975-से 22-10-1975 तक।	श्री अविनाश चन्द्र चतुर्वेदी, तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक।
प्रक्योरमेन्ट आफ मैटीरियल एवं अन्तर्राष्ट्रीय निविदायें सम्बन्धित कार्य एवं मुख्य अभियन्ता के वैयक्तिक सहायक।	अधिशासी अभियन्ता एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के वैयक्तिक सहायक	23-10-1975 से 14-7-1976 तक।	श्री श्याम नाथ मिश्र, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (एप्रेजल एवं नियोजन)।
	तदैव	15-7-1976 से 5-9-1976 तक उपार्जित अवकाश पर रहे।	..
योजनाओं के प्राक्कलन बनाने का कार्य एवं उससे सम्बन्धित सर्वेक्षण एवं अनुसन्धान कार्य।	अधिशासी अभियन्ता	6-9-1976 से अब तक।	श्री जुगल किशोर तनेजा, अधीक्षण अभियन्ता, अष्टम मन्डल, लखनऊ।

नत्थी 'ब'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 71 का उत्तर पीछे पृष्ठ 557 पर ।)

दिनांक 1-4-75 से 15-4-75 के मध्य नियुक्त 15 एफ० डब्लू० डब्लू० की सूची

1—श्रीमती अनन्यन पी०	..	उसका बाजार
2—श्रीमती जमीन सिंह		
3—श्रीमती इलायची देवी	..	खेसरहा
4—श्रीमती बलवन्ता देवी	..	मेंहदावल
5—श्रीमती बिमला मिश्रा		
6—श्रीमती कुसुम लता	..	बर्डपुर
7—श्रीमती राम दुलारी		
8—श्रीमती केवल पति	..	साऊ घाट
9—श्रीमती प्रेमा देवी		
10—श्रीमती सन्तन देवी	..	खूनियांवां
11—श्रीमती गायत्री देवी	..	जोगिया
12—श्रीमती माधुरी देवी		
13—श्रीमती रफीकुन निशा	..	मनवापुर
14—श्रीमती राजपति	..	परसरामपुर
15—श्रीमती परमेश्वरी देवी	..	बहादुरपुर

सत्यमेव जयते

बस्ती जनपद में दिनांक 16-4-75 को एफ० डब्लू० डब्लू० के रिक्त पदों की सूची

उपकेन्द्र	16-4-75 को रिक्त स्थानों की संख्या
1—मुरलीया	1
2—नाथु बाजार	4
3—मेहदावल	2
4—हरिजा	2
5—कप्तानगंज	1
6—जाट	1
7—परसरामपुर	1
8—दामनागंज	4
9—मोमनापुर	4
10—खलगावां	4
11—ईटवा	2
12—रघावा	2
13—मिथवल	3
14—खेरहा	3
15—सिन्था	2
16—नावंगेश	2
17—बिरदपुर	2
18—उसका बाजार	3
19—जगता	2
20—बराहनी	4

नत्थी "छ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 19 का उत्तर पीछे पृष्ठ 566 पर।)

वर्ष 1972 से 15 जुलाई, 1976 तक

वर्ष	मरीजों की सं0	दवाइयों पर व्यय	औजार पर व्यय
1	2	3	4
1972–73 ..	2,922	41,990.21	..
1973–74 ..	2,732	12,503.00	2,150,00
1974–75 ..	2,528	12,400.00	7,800.00
1875–76 ..	2,480	38,226.00	6,970.00
1976–77 .. (15–7–1976) तक	980	8,731.00	2,603.74

वस्त्र बिस्तर पर व्यय	वस्त्र बिस्तर पर व्यय	ड्रेसिंग व्यय	मरीजों के खाने पर व्यय
5	6	7	8
16,000.00	19,000.00	14,930.00	14,970.00
41,000.00	12,000.00	15,000.00	15,000.00
43,150.00	10,915.00	35,218.00	35,218.00
49,308.00	20,430.00	33,054.00	45,509.00
7,187.00	4,645.00	8,240.00	14,995.17

प्रभु नारायण,
स्वास्थ्य मन्त्री,
उत्तर प्रदेश।

को0एस0यू0पी0–एल0 223 वि0 सभा (509)—1977—840।